समसामयिकी

अप्रैल - 2015

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. मौसम विज्ञान विभाग का कम मानसून का पूर्वानुमान

4. किसानों की आत्महत्या:

5. भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन

5. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक

6. कृषि बीमा सुधार : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से कृषि आय बीमा योजना तक

7. पारिस्थितिक बहाली और निरंतरता के लिए ग्रीनप्रिंट

8. ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस रद्द

9. ट्राई का भारत के लिए एक आपातकालीन नंबर का प्रस्ताव

9. ऑनलाइन मध्यस्थ और आईटी अधिनियम की धारा 79

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500

10. स्मार्ट सिटी परियोजना:

11. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

12. पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा

12. दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 197

12. सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

13. आतंकवाद का समर्थन करने वाले राष्ट्र पर कार्यवाही

13. स्टेम कौशल (STEM SKILLS)

13. भारत का रक्षा क्षेत्र

14. आरटीआई पर खुफिया एजेंसियों की चुप्पी

14. ई पर्यटक वीजा

अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

15. अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

16. चीनी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा

16. ट्रांस-अफ़गानिस्तान गैस पाइप लाइन

17. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की 2015 की समीक्षा

17. आतंकवादी संगठनात्मक नेटवर्क प्रभावकारिता को आकार देना (STONE)

17. आईबीएसए (इब्सा) का पुनर्निर्माण

18. हेंज पुरूस्कार

18. चीन मंगोलिया रूस (CMR) आर्थिक गलियारा

19. अमेरिका, जापान नए रक्षा नियमों पर सहमत

19. श्रीलंका ने 19वें संशोधन को पारित किया

19. भूमध्य सागर में प्रवासी आपदायें

20. रूस, पाकिस्तान का पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास

20. भारत कनाडा सम्बन्ध

21. गंटर ग्रास 1927-2015

21. उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा

21. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु करार

22. भारत और फ्रांस संबंध

22. भारत और जर्मनी संबंध

22. 2014 में मौत की सजा

23. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत का प्रयास

23. आर्मेनियाई नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ

23. अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन

अर्थव्यवस्था

24. विदेश व्यापार नीति (2015-2020)

24. मौद्रिक संचरण

25. देना बैंक व LIC के मध्य समझौता-ज्ञापन

25. गुजरात औद्योगिक पर्यटन का शुभारंभ

25. मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में सुधार

25. इलेक्ट्रानिक मनी आर्डर

25. शहतूत की जैविक कृषि

26. भौगोलिक संकेतक (GI TAG)

26. एकीकृत कीट प्रबन्धन

26. ब्रिक्स रेटिंग ऐजेंसी

26. ग्रीन ब्रांड्स

26. निर्भया फंड

सामाजिक एंव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

28. किशोर कानून में परिवर्तन

28. बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध

29. कुष्ठ रोग के विरूद्ध संघर्ष

29. राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण

30. यूनेस्को वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट 2015

30. सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) में भारत की 101वीं रैंक

31. एसिड हमले की स्थिति में पीड़ित को सम्पूर्ण उपचार का अधिकार: उच्चतम न्यायालय

32. शल्य चिकित्सा: पहुँच से दूर

32. श्रम बाजार में लैंगिक अंतराल

VISION IAS

33. विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 73 बिलयन डालर की आवश्यकता
33. Kyasanur Forest Disease (KFD)

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

34. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index)
34. रक्त वर्षा (Blood Rain)
35. चेस्टनट-ब्रेस्टेड पैट्रिज (भूरी छाती वाला तीतर)
35. हबल स्पेस टेलिस्कोप के 25 वर्ष
35. तीन नए टाइगर रिजर्व
35. विगलन (Abscission)
36. IUCN की लाल सूची (red list) में भारत की स्थिति
36. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
36. भारत में ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी
36. आई.एन.एस. विशाखपत्तनम
37. ई-समीक्षा
37. मैग्लेव प्रौद्योगिकी
37. प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक, 2015
37. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी
38. ई-वेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट (ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2014)
38. कचरे से ईंधन उत्पादन की भस्मीकरण तकनीक (RDF from Incinerator Technology)
39. आलडेन्लेण्डिआ दिनेशी
39. जैव-बाड़
39. तेलंगाना केकड़ा-मकड़ी (थोमिसस तेलंगानेन्सिस)
39. साइलेंट वैली
39. लाल चंदन
40. भारत का अर्थ-ऑवर कैपिटल (Earth-hour-capital)
40. नदियों को जोड़ना
41. हिमालय के पार बायोमास (जैवभार) को जलाने से होने वाले उत्सर्जन:
42. रोसेट्टा मिशन (Rosetta Mission): धूमकेतु 67P मेग्नेटाइज्ड़ नहीं है
42. धनुष मिसाइल:
42. गट बैक्टीरिया द्वारा की-ग्रेन केमिकल की उत्पत्ति

सुरक्षा

43. गुजरात आतंक विरोधी विधेयक
44. भारत में साइबर आक्रमण

मौसम विज्ञान विभाग का कम मानसून का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून से 93 प्रतिशत वर्षा होगी, जो कि सामान्य से 3 प्रतिशत कम है।

- वर्ष 1951-2000 अवधि के दौरान देश भर में वर्षा का औसत 89 सेमी. है।
- भारत में जून से सितंबर के बीच कुल वर्षा की 75% वर्षा होती है।
- प्रशांत महासागर के ऊपर एल-नीनो की स्थिति जून माह के दौरान प्रबल रहेगी और इसके दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद के महीनों के दौरान भी जारी रहने की संभावना है।
- एल-नीनो प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के तट पर वार्मिंग इफेक्ट है एवं यह माना जाता है कि इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

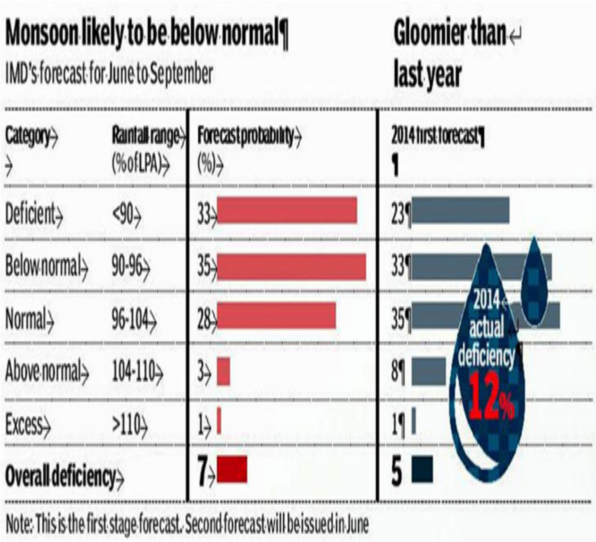

किसानों की आत्महत्या:

किसानों की आत्महत्या में वृद्धि ने भारतीय किसानों की समस्याओं को उजागर कर दिया है। मार्च और अप्रैल के महीने के मौसम बारिश ने उत्तर भारत के कई राज्यों में फसल उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचाया है। नकदी फसलों और बागवानी में व्यापक क्षति ने कुछ समृद्ध किसानों को भी बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि अलाभकारी व्यवसाय बन गई है और कई किसान, यदि उन्हें अन्यत्र बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं तो कृषि का व्यवसाय छोड़ने के लिए तैयार हैं।

- भारत में 85 फीसदी किसान छोटे और सीमांत किसान हैं और 65 फीसदी किसान खेती वर्षा पर निर्भर है। लेकिन उच्च लागत, कम लाभ, फलस्वरूप कृषि ऋण चुकाने में असमर्थता और उपेक्षा ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि को अलाभकारी बना दिया है।
- अधिकांश किसान निजी साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए हैं। एक बर्बाद फसल किसानों को और अधिक ऋण में डुबो देती है, जिससे बाहर निकल पाना आसान नहीं है।
- जलवायु परिवर्तन, अलाभकारी मूल्य, पर्याप्त सिंचाई के साधनों की कमी, आय में अनिश्चितता और फसल बीमा के अभाव के बावजूद भारतीय किसानों ने देश को चावल, गेहूं, सब्जी, फल और दूध के शीर्ष उत्पादकों की श्रेणी में पहुँचा दिया है।

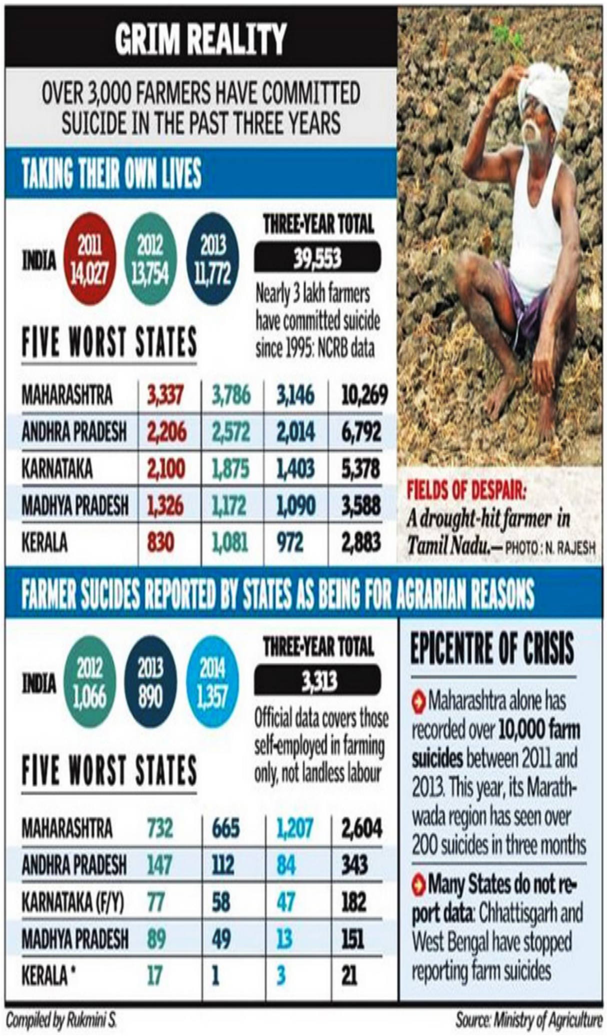

किसानों की उदासीनता के कारण

- आय प्रतिफल बहुत कम है, सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं और सहायक बुनियादी ढांचा या तो अनुपस्थित है या फिर खराब गुणवत्ता वाला है।
- किसानों के लिए योजनाओं की कोई कमी नहीं है - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और ग्रामीण भंडारण योजना आदि उनमें से कुछ नाम हैं। हालांकि ज्यादातर किसान उनसे लाभ नहीं उठा पाते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, प्रत्येक योजना में लाभ लेने वाले किसानों का अनुपात 10% से भी कम था। नई योजना शुरू करने की बजाय इनकी पहुँच और वितरण में सुधार की जरुरत है।

- कृषि के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी एक और बड़ा मुद्दा है।
- विशेषज्ञों की सलाह की कमी भी परेशानी का एक कारण है।

विश्लेषण

- यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसान कृषि को नापसंद नहीं करते, बल्कि किसानों का कृषि से मोहभंग काफी हद तक आर्थिक हितों से प्रेरित है।
- वैकल्पिक रोजगार या कारोबार को बढ़ावा देकर कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने की जरूरत है। यह कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी कार्रवाई की जरूरत को बताता है।
- खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक समृद्ध कृषि क्षेत्र अत्यंत आवश्यक है। अत: सरकार को किसानों की उभरती हुई समस्याओं का सक्रिय समाधान करने की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन घरेलू भ्रष्टाचार निरोधक कानून में कथित कमियों को पूरा कर सकेगा। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य भ्रष्टाचार से निपटने के लिए और अधिक कठोर उपाय करना है:

- रिश्वत लेने एवं देने वाले दोनों के लिए, अधिक कठोर सजा का प्रावधान करना।
- दंड प्रावधानों को 6 महीने से बढ़ाकर कम से कम 3 साल और 5 साल से बढ़ाकर अधिकतम 7 साल करना (सात वर्ष से अधिक कारावास, भ्रष्टाचार जघन्य अपराध की श्रेणी में आ जाता है)।
- भ्रष्टाचार से मिलने वाले फायदे को कम करने के लिए कुर्की की शक्तियों को जिला न्यायालय के बजाय निचली अदालत (विशेष न्यायाधीश) में प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- लोक सेवकों को प्रलोभन के लिए वाणिज्यिक संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिए मौजूदा अधिनियम के दायरे को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान कानून के तहत केवल व्यक्ति ही उत्तरदायी हैं।
- प्रस्तावित संशोधन विधेयक में वाणिज्यिक संगठनों के लिए ऐसे दिशा-निर्देशों को जारी करने का प्रावधान है जिससे कि उनसे जुड़े व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारी को घूस देने से रोका जा सके।
- पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामलों की औसत परीक्षण अवधि 8 वर्ष से ज्यादा रही है। यह प्रस्तावित किया गया है कि 2 साल के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके त्वरित परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- लोक सेवकों द्वारा उद्देश्यपूर्ण समृद्धि (Intentional enriching) को आपराधिक दुराचरण और आय से अधिक संपत्ति रखने को अवैध संवर्धन के सबूत के रूप में देखा जाएगा।
- गैर-मौद्रिक परितोष को परितोष शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- धारा 7 (2) के स्पष्टीकरण द्वारा एक लोक सेवक के दायित्व को इस प्रकार स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है कि लोक सेवक को किसी सांविधिक कर्तव्य या नियमों, सरकारी नीतियों, कार्यकारी निर्देशों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से रोका जा सके।
- यह भी प्रस्तावित किया गया है कि मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी की सुरक्षा उन सरकारी कर्मचारियों को भी प्रदान की जाए जो सेवानिवृत्ति, इस्तीफा आदि के कारण पद छोड़ देते हैं। साथ ही सरकारी कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में एक लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णय अथवा की गई सिफारिशों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए, लोकपाल या लोकायुक्त से पूछताछ और जांच के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी।

पृष्ठभूमि

- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया था।
- भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में 19 अगस्त 2013 को पेश किया गया और बाद में स्थायी समिति को भेजा गया।
- समिति ने विधेयक पर अपनी रिपोर्ट 6 फरवरी 2014 को राज्यसभा को सौंप दी, लेकिन विधेयक पारित नहीं किया जा सका। प्रस्तावित संशोधन पर भारत के विधि आयोग के विचार भी लिए गए। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित नए संशोधन विधि आयोग के 254वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर आधारित हैं।

विश्लेषण

- रिश्वतखोरी से संबंधित विस्तृत प्रावधान और बढ़ाई गई जेल अवधि सकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन 'आपराधिक कदाचार' के तहत आने वाले अधिकांश अपराधों को एक एकल खंड में समेटने के विचार पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूर्व मंजूरी के प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, सरकार ने अब सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी संरक्षण दे दिया है।
- एक अधिकतम समय सीमा होनी चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
- कपटपूर्ण रिश्वतखोरी और मजबूरी में दी गई रिश्वत के बीच अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास विधेयक) को मंजूरी दे दी है। इससे अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक नियामक लाने संबंधी मांग पूरी हो सकेगी।

सरकार के अनुसार विधेयक निम्नलिखित मांग सुनिश्चित करेगा :

- उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेही।
- धोखाधड़ी को विशेष रूप से कम करना।
- दक्षता, व्यवसायिकता और मानकीकरण के माध्यम से अचल संपत्ति क्षेत्र के विनियमित और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अचल संपत्ति क्षेत्र में नैतिक और पारदर्शी व्यवसाय के लिए केन्द्र और राज्यों में नियामक निकायों की स्थापना करना।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

रियल एस्टेट नियमन विधेयक अगस्त 2013 में यूपीए सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था और उसे संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2014 में सौप दी थी। उसके बाद राजग सरकार ने मूल कानून में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये।

- पहले विधेयक में यह अनिवार्य रखा गया था कि निर्माणकर्ता को खरीददार के निवेश का 70 फीसदी पैसा एस्क्रो खाते (Escro Account) में रखना होगा, जिसका उपयोग केवल परियोजना के निर्माण के लिए ही किया जा सकेगा। आवास मंत्रालय ने इसे 50 फीसदी कर दिया है।
- अन्य प्रमुख परिवर्तन - अचल संपत्ति क्षेत्र के वाणिज्यिक खंड को विधेयक के दायरे में लाना है, जो कि पहले केवल आवासीय क्षेत्र के विनियमन तक ही सीमित था।

इस विधेयक की कुछ प्रमुख बातें

- प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के लिए 'रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण' गठित किया जाएगा, जो अचल संपत्ति लेनदेन से संबंधित नियमों को अनिवार्य और उनका विनियमन करेगा।
- यह विधेयक प्रत्येक राज्य में सभी परियोजनाओं के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान रखता है। किसी भी भूखंड, मकान या इमारत को बेचने के इच्छुक रियल एस्टेट एजेंट को प्राधिकरण के पास स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- यह पंजीकृत परियोजनाओं के लिए सभी जानकारियों जैसे- प्रमोटरों का विवरण, लेआउट (layout) योजना, भूमि की स्थिति, निष्पादन की अनुसूची और विभिन्न मंजूरियों की स्थिति के प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है।
- विधेयक संपत्ति दलालों को भी जवाबदेह बनाता है क्योंकि कानून के तहत स्थापित किए जाने वाले नियामक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन के लिए उन्हें भी दंडनीय बनाया गया है।
- खरीददार से प्राप्त धन का 50% धन निर्माण प्रयोजन के लिए एक बैंक में जमा करना होगा।
- परियोजना के मूल डिजाइन और निर्माण की योजना में किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए परियोजना के कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की मंजूरी लेनी होगी।
- यह विवादों को निपटाने के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र के रूप में कार्य करता है एवं डेवलपर और खरीदार के बीच अनुबंध को लागू कराता है

भारत में रियल एस्टेट की चुनौतियां

- भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर को वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे- मंजूरी में देरी, जमीन की बढ़ी हुई कीमत, खरीदार और डेवलपर्स दोनों के स्तर पर धन उपलब्धता की कमी, कम विकसित बुनियादी ढांचा और कुशल मजदूर।
- रियल एस्टेट सेक्टर की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 6.3% है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर ने वर्ष 2013 में लगभग 70 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।
- देश भर में किफायती घरों की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है। पारदर्शिता की कमी भी भारतीय रियल एस्टेट को बाधित कर रही है।
- भूमि अतिक्रमण और विनियमन की कमी भारतीय रियल एस्टेट में निवेश करने के इच्छुक विदेशी निवेशकों को निवेश करने से रोकती है।
- भारत में रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे भ्रष्ट क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमे सबसे ज्यादा कला धन कमाया जाता है।
- विभिन्न अधिकारियों से मंजूरी मिलने में देरी के कारण निर्माणकर्ता भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं अथवा संबंधित अधिकारी को रिश्वत देते हैं।

खरीदार और निर्माणकर्ता की कठिनाई समाप्त करने के लिए इस क्षेत्र का नियमन बहुत आवश्यक है।

रियल एस्टेट विधेयक 2013 के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारत रियल एस्टेट बाजार में सुधार, निवेशकों और खरीदारों के बीच और अधिक विश्वास पैदा होने की उम्मीद है।

कृषि बीमा सुधार : राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से कृषि आय बीमा योजना तक

पृष्ठभूमि:

- भारत में 60 फीसदी ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।
- कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, जिससे कृषि उत्पादों के उत्पादन और मूल्य में हमेशा अनिश्चितता रहती है।
- 50 फीसदी से अधिक किसान/परिवार बैंकों या अनौपचारिक साहूकारों के कर्ज के तले दबे हुए हैं।
- कर्ज का बोझ किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण है।
- वैश्विक उत्पादन में वृद्धि और विभिन्न वस्तुओं की कम मांग के कारण कई छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज के लिए कम कीमत मिल रही है।
- कृषि में लागत बढ़ने और आय के मुकाबले उपभोग व्यय में चिंताजनक वृद्धि हुई है।

कृषि संकट को कम करने के लिए सरकार की पहल

- सरकार ने कृषि संकट को कम करने के लिए कई उपायों जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा और सब्सिडी को अपनाया है।
- चूंकि 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं, अत: ये उपाय किसानों की समस्याओं में बहुत प्रभावी नहीं हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मुख्य रूप से बड़े किसानों द्वारा उठाया जाता है। इसके अलावा सरकार भ्रष्टाचार की वजह से सब्सिडी को जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं है।
- अन्य चुनौतियों जैसे कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और

VISION IAS

विश्व व्यापार संगठन का सुधारों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य विरोधी दबाब छोटे खेत धारकों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विश्वसनीय तंत्र की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

सरकार ने वर्ष 1999-2000 में "नेशनल एग्रीकल्चर इन्शुरेंस स्कीम" (NAIS) या "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (RKBY) नामक एक नई योजना प्रारम्भ की थी। NAIS सभी खाद्य फसलों (अनाज और दालों), तिलहन, बागवानी और वाणिज्यिक फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में सभी किसान- ऋणी और गैर-ऋणी दोनों शामिल हैं।

RKBY निम्न के आधार पर चलती है:

- क्षेत्र के दृष्टिकोण से- बड़े पैमाने की आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र।
- व्यक्ति के आधार पर- स्थानीय आपदाओं जैसे विनाश, भूस्खलन, चक्रवात और बाढ़ के लिए।

RKBY की सीमाएं:

- कम साक्षरता, खेत के सही आंकड़ों को मापने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव और औपचारिक वित्तीय ऋण की सीमित पैठ ने योजना को अक्षम बना दिया है। इस वजह से इस योजना के प्रति किसानों का भरोसा कम हुआ है।
- मौजूदा वैश्विक बाजार में यह योजना मूल्य में उतार-चढ़ाव से किसानों की रक्षा करने में असमर्थ रही है।

कृषि आय बीमा योजना

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि आय बीमा योजना प्रारंभ की थी।

- सरकार कृषि आय बीमा योजना (एफआईआईएस) को लॉन्च करने पर विचार कर रही है ताकि दोनों महत्वपूर्ण घटकों, अर्थात् उत्पादन और कीमत को एकल नीति साधन के तहत हल किया जा सके।
- हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा कृषि आय बीमा योजना को फिर से शुरू करने का प्रयास कृषि बीमा में सुधार ला सकता है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य किसानों को उत्पादन और बाजार जोखिम के लिए उन्हें बीमा देकर उनकी रक्षा करना है।

- यह योजना किसान की आंकलित आय और वास्तविक आय के बीच के अंतर को बीमा के द्वारा आय सुनिश्चित करने की कोशिश करती है।
- पैदावार में उतार-चढ़ाव या बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आंकलित आय में होने वाली किसी कमी का योजना के तहत बीमा किया जाता है।
- केवल प्राकृतिक आपदाओं से उपज के नुकसान को शामिल करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

चुनौतियां:

इस योजना में दो बड़ी चुनौतियां आ रही हैं :

- उपज का विश्वसनीय आंकलन करना।
- वस्तु का सही बाजार मूल्य प्राप्त करना।

इन समस्याओं को केवल तब ही दूर किया जा सकता है जब सरकार नवीनतम प्रौद्योगिकी (उपग्रह आधारित उपज निगरानी प्रणाली) के उपयोग को प्रोत्साहित करे, कृषि बाजारों को एकीकृत करे और वस्तु विनिमय केन्द्रों (कमोडिटी एक्सचेंजों) की दक्षता सुनिश्चित करें।

लाभ:

- यह योजना सरकार कि अन्य पहलों को कारगर बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। उदहारण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मृदा का आकलन करना और उत्पादन की केवल कुशल लागत के बीमा द्वारा उर्वरक और पानी के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना।
- साथ ही यह आय में गिरावट की स्थिति में बीमा का लाभ लेने के लिए औपचारिक बाजारों के साथ जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इससे कृषि की कीमतों में पारदर्शिता आएगी एवं छोटे किसान के लिए सही मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर को कम किया जायेगा।
- यह योजना कृषि-स्तर की सब्सिडियों को एकीकृत करने और प्रणाली में से अपव्यय को दूर करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

- यदि इसे सही इरादे और दृढ़ता के साथ लागू किया गया तो यह किसानों की आत्महत्याओं को रोकने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करने के लिए एक विश्वसनीय साधन के रूप में कार्य कर सकती है।
- एक बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे बाजार की कीमतें विकृत न हों।

पारिस्थितिक बहाली और निरंतरता के लिए ग्रीनप्रिंट

"ग्रीन इंडिया" योजना को क्रियान्वित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु दिये जा रहे हैं:

प्रासंगिक कानूनों पर फिर से ध्यान देना:

- हमारे पास कानून बहुतायत में हैं। उनमें से कुछ 19वीं सदी के मध्य से पहले के हैं और कई सन् 1947 के बाद पारित किए गए हैं।
- फिलहाल दर्जनों कानून एक दूसरे के असंगत हैं और हमारी न्यायपालिका की व्याख्या भी जटिल है।
- वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों पर एक बार फिर से विचार करने और एक अधिक व्यापक कानून लाने की तत्काल आवश्यकता है।
- नए कानून में विशेषज्ञों की राय पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

- संघीय ढांचे को फिर से रूप देना: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय (MoEFCC) में सुधार किया जाना चाहिए और इसे दो मंत्रालयों, नहीं तो कम से कम दो विभागों में बाँट दिया जाना चाहिए।
- भारतीय वन सेवा का पुनर्गठन: इसके तहत लगभग 2,00,000 व्यक्ति हैं। भारतीय वन सेवा को एक कुशल सेवा के रूप में उभरने की जरूरत है।
- वन क्षेत्र कर्मचारी हतोत्साहित हैं।
- कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण आवश्यक है।
- नई भर्तियों में विशेषज्ञताओं पर विचार किया जाना चाहिए ये विशेषज्ञतायें वन्य जीवन, पर्यटन या संरक्षण में हो सकती हैं।
- यह एक विशेषज्ञ सेवा है और प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए एक पर्यावरण सेवा की भी जरूरत है।
- वित्तीय स्वतंत्रता भी एक मुद्दा है:
- प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण को वर्ष 2002 में शुरू किया गया। इसमें वन भूमि की उपयोगकर्ता एजेंसियों से लगभग 35,000 करोड़ रुपये संचित हैं।
- हमें वनों की रक्षा करने के लिए इन निधियों का उपयोग करने हेतु एक नई योजना तैयार करने की जरूरत है।
- वन्य जीवन और विरासत शहरों की तरफ भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। लाखों लोग राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से निकट बड़े शहरों में रहते हैं।
- हमें इन वन्य जीवन और विरासत नगरों के चारों ओर धारणीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- उनका विरासत मूल्य इनके संरक्षण के औचित्य को सिद्ध करता है। पर्यावरण पर उनका प्रभाव इतना कम होना चाहिए कि जंगलों की बेहतर रक्षा की जा सके।
- राजस्थान ने इस तरह के शहरों को फिर से तैयार करने पर विचार किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन स्थानों को सबसे अच्छी अपशिष्ट रीसाइक्लिंग प्रक्रिया और अक्षय ऊर्जा से युक्त मॉडल ग्रीन टाउन में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- वाइल्ड लाइफ पर्यटन का विकास: यदि पर्यटन संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है, जैसा कि अफ्रीका में अधिकांश देशों में देखा गया है।
- यह अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, सकल घरेलू उत्पाद को सुधारता है और सर्वाधिक गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाता है।
- हमें नवोन्मेषी पर्यटन, स्थानीय और निजी कंपनियों, दोनों के साथ तालमेल की सख्त आवश्यकता है।

हम सभी को इस तरह के उपक्रम का समर्थन करने और इनकी सफलताओं से सीखने की जरूरत है। इसका पालन करके वन्य भारत की रक्षा होगी और इससे जलवायु परिवर्तन की भयावहता को कम किया जा सकेगा।

ग्रीनपीस इंडिया का लाइसेंस रद्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह महीने के लिए विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत ग्रीनपीस के पंजीकरण को निलंबित कर दिया है। यह ग्रीनपीस की सभी शाखाओं और इकाइयों के लिए प्रभावी है।

यह ग्रीनपीस को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।

निलंबन क्यों?

9 अप्रैल को लाये गए आदेश में विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए ग्रीनपीस के खिलाफ 9 आरोप सूचीबद्ध किए गए हैं। जून 2014 में भी ग्रीनपीस के खिलाफ इन्टेलिजेन्स ब्युरो (I.B.) की एक रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें देश के आर्थिक हित को खतरे में बताया था और बाद में जनवरी 2015 में ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को हिरासत में लिया गया था। हाल के आरोपों में शामिल हैं:

- विदेशी योगदान नियमन अधिनियम उल्लंघन का सबसे स्पष्ट उदाहरण वर्ष 2008-09 के लिए खाते में प्रारंभिक जमा राशि है, जिसे लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र में शून्य माना गया है। लेकिन यह वास्तव में रु. 6.6 करोड़ से अधिक थी। जिसे बाद में ग्रीनपीस सोसायटी द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था और इसे मात्र एक त्रुटि होने का दावा किया गया था।
- ग्रीनपीस सोसायटी द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति ने जनता के हित और राज्य के आर्थिक हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जो विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 12 का उल्लंघन करते हुए पंजीकरण का भी उल्लंघन करता है।
- खातों और रिकॉर्ड के एक निरीक्षण के दौरान संगठन ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम नामित बैंक खाते में प्राप्त विदेशी योगदान को विदेशी योगदान नियमन अधिनियम उपयोग खाते में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 9 (1) (ई) का उल्लंघन करते हुये संबन्धित अधिकारी को बिना बताए वहाँ से पांच अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
- विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 8 (1) (ख) के उल्लंघन में ग्रीनपीस ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्रशासन व्यय पर विदेशी अंशदान का 50% से अधिक खर्च कर दिया।
- ग्रीनपीस ने विदेशी योगदान नियमन अधिनियम की धारा 7 का भी उल्लंघन किया, जो बिना पूर्व स्वीकृति के किसी विदेशी योगदान नियमन अधिनियम पंजीकृत एनजीओ द्वारा किसी गैर- विदेशी योगदान नियमन अधिनियम पंजीकृत एनजीओ को विदेशी योगदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है।

आदेश के विरोधी

- आदेश का विरोध करने वाले सभी लोग दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ देते हैं। ग्रीनपीस को दिल्ली उच्च न्यायालय

VISION IAS

से विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोक हटाने और इसके मुख्य कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई को विदेश यात्रा करने की इजाजत देने सहित कम से कम तीन अलग-अलग अवसरों पर राहत प्राप्त हुई है।

- 20 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय की कार्रवाई को मनमानी, अवैध और असंवैधानिक घोषित करते हुये गृह मंत्रालय को ग्रीनपीस इंटरनेशनल एंड क्लाइमेट वर्क्स फाउंडेशन से विदेशी धन को ग्रीनपीस इंडिया के खातों में हस्तांतरण करने का निर्देश दिया था।
- सामाजिक संगठनों ने इसे "लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला" करार देते हुये ग्रीनपीस इंडिया के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई की आलोचना की है।
- सरकार की कार्रवाई नागरिक समाज को सचेत करने का एक प्रयास प्रतीत होती है कि विकास की नीतियों और प्राथमिकताओं पर असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वे पारिस्थितिकी के लिए अधारणीय और सामाजिक अन्याय ही साबित क्यों न हों।

ट्राई का भारत के लिए एक आपातकालीन नंबर का प्रस्ताव

- अमेरिका में सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर है - '911'। इसी प्रकार भारत में पुलिस, आग और एम्बुलेंस सहित सभी आपातकालीन फोन कॉल के लिए '112' नंबर को इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्तमान में भारत में अलग-अलग आपात स्थितियों के लिए अलग अलग नंबर डायल करने पड़ते हैं। पुलिस के लिए 100, अग्निशमन के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए 108।
- लोग अपने मोबाइल या लैंडलाइन फोन से आउटगोइंग कॉल की सुविधा से वंचित कर दिये जाने या सेवा के अस्थायी रूप से निलंबित हो जाने की स्थिति में भी 112 पर कॉल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन आपातकालीन सुविधा की अनुमति ऐसे मोबाइल हैंडसेट या उपकरणों से नहीं दी जानी चाहिए, जिसमें कोई सिम नहीं है।
- नए आपातकालीन नंबर पर SMS आधारित सेवा की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें दूरसंचार ऑपरेटरों को उस स्थान के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है, जहां से एसएमएस भेजा गया है।
- नियामक ने पब्लिक सेफ़्टी आन्सरिंग पॉइंट (PSAPs) की स्थापना की सिफारिश की है, जो कि एक कॉल सेंटर जैसा होगा। इसके माध्यम से '112' नंबर पर कॉल भेजी जाएँगी।
- नियामक ने सिफारिश की है कि बीएसएनएल को बुनियादी ढांचा (डाटा सेंटर) की स्थापना या किराये पर लेने और उसके रख-रखाव के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

ऑनलाइन मध्यस्थ और आईटी अधिनियम की धारा 79

ऑनलाइन मध्यस्थ वो इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं, जो हमे इंटरनेट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे, फेसबुक, गूगल सर्च आदि से जोड़ते हैं। माध्यमिक दायित्व इन निकायों को उपयोगकर्ता द्वारा प्रकाशित या प्रसारित सामग्री के लिए उत्तरदायी बनाता है।

- चूंकि ऑनलाइन सामग्री भारी मात्रा में होती है, अत: इस सामग्री पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखना असंभव है। इसीलिए आईटी अधिनियम के तहत धारा 79 प्रसारित या प्रकाशित सामग्री के दायित्व से उन्हें उन्मुक्ति प्रदान करती है। इस तरह की उन्मुक्ति समाचार पत्र की वेबसाइटों या ब्लॉग या एकत्रीकरण वाली वेबसाइटों पर लागू नहीं होती जो संपादकीय या सामग्री की निगरानी का कार्य करती हैं।
- यद्यपि ऑनलाइन मध्यस्थों द्वारा प्रसारित सभी सामग्री की निगरानी की अनिवार्यता धारणीय नहीं है, फिर भी तथ्य यह है कुछ विशेष प्रकार के उत्तेजक भाषण या सामग्री, जैसे- चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हटाने के लिए उनका सहयोग आवश्यक है।
- यही कारण है कि अधिकांश देशों में एक प्रणाली है, जो उन्हें निर्दिष्ट अवैध सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने के लिए मध्यस्थों को अनुमति देता है। भारतीय आईटी अधिनियम ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो सरकार या किसी तीसरे पक्ष को सामग्री के हटाने संबंधी अधिकार देने एवं मध्यस्थों द्वारा सामग्री को हटाने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाता है।

आईटी अधिनियम की धारा 69 A

- धारा 69 A सरकार और उसकी एजेंसियों को निम्न छह में से किसी भी कारण से वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है : "भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या उपर्युक्त से संबन्धित किसी संज्ञेय अपराध को भड़कने से रोकने के लिए"।

ब्लॉक करने की प्रक्रिया:

- ब्लॉक करने की प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग के लिए ब्लॉक करने हेतु प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2009 में निर्धारित की गई है।
- यह आवश्यक है कि जांच समिति प्रत्येक ब्लॉक करने के अनुरोध की जांच करे। यह सामग्री के प्रसारक और प्रकाशक को अपना प्रतिवेदन देने के लिए 48 घंटे का समय देती है।
- तत्पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव मध्यस्थ को ब्लॉक करने संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस 2015

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और इसके अंतर्गत "ब्लॉक करने संबंधी नियम" की धारा 69(ए) की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रणाली की जांच की कि कानून एवं संविधान से सुरक्षा प्राप्त सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी दुरुपयोग को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं या नहीं। अदालत ने उन मध्यस्थ संबंधी दिशानिर्देश की भी जांच की जो किसी भी तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ता के कहने पर मध्यस्थ द्वारा सामग्री को हटाने को आवश्यक बनाते हैं।

VISION IAS

- सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

श्रेया सिंघल फैसले के बाद सामग्री को ब्लॉक करना

- गैर-सरकारी पक्ष को मध्यस्थ से सामग्री हटवाने के लिए अदालत का आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- सरकारी आदेश से ब्लॉक करना : अदालत ने घोषित किया है कि ब्लॉक करने की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय हैं।
- कोर्ट ने उल्लेख किया है कि ब्लॉक करने संबंधी नियम, मध्यस्थ या सामग्री डालने वाले को सुनवाई का अधिकार देते हैं और सामग्री को ब्लॉक करने के लिए विशिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।
- निर्णय लेने और समीक्षा के कई स्तर हैं। इन सुरक्षा उपायों को देखते हुए कोर्ट ने प्रावधान को संवैधानिक पाया।

निर्णय का विश्लेषण

- कई लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) के मामले में एक बहुत सक्रिय और पारदर्शी रुख नहीं अपनाया है जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 66 (ए) के मामले में ले लिया है।
- हालांकि कोर्ट ने धारा 79(3) को देखने के बाद यह निर्णय दिया कि गूगल या फेसबुक जैसे मध्यस्थों को उनकी वेबसाइटों पर अवैध सामग्री के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि वे इस तरह की सामग्री को हटाने संबंधी अदालत के आदेश का पालन करने में दोषी न पाये गये हो।
- ब्लॉक करने संबंधी नियम व्यापक हैं पर ब्लॉक करने के प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है।
- नियम 16 कहता है कि "सभी प्राप्त अनुरोधों और शिकायतों एवं उन पर की गई कार्रवाई के विषय में गोपनीयता बरती जाएगी। इसलिए ऐसी कार्यवाही केवल गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों तक सीमित होंगी (और समय पर सामग्री निर्माता को), जिन्हें इन ब्लॉकों के बारे में पता होगा।
- लेकिन धारा 69ए और उसके अधीन तैयार किए गए नियम, सूचना के प्राप्तकर्ताओं को इन ब्लॉकों से संबन्धित कोई भी जानकारी देने से छूट प्रदान करते हैं और इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील करने से रोकते हैं।
- इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों ने धारा 69 ए का इस्तेमाल, आपत्तीजनक सामग्री के कारण वेबसाइट के किसी विशिष्ट पन्ने (page) की बजाय पूरी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए किया है।

परंपरागत सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार

- यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबन्धित चिंताओं ऐसी कार्यवाइयों के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रयास किया है।
- इंटरनेट की प्रकृति को देखते हुये ऐसे नए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है जिससे उपयोगकर्ताओं को सुनवाई और निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त हो।
- डिजिटल दुनिया में प्रगति के साथ ताल-मेल बनाए रखने के लिए हमारे नियामक ढांचे और निष्पक्ष प्रक्रिया के बारे में समझ को विकसित करने की आवश्यकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि से संबंधित है।

- धारा 499 'मानहानि' अपराध को परिभाषित करती है।
- धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) : जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का केस करेगा उसे साधारण कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों द्वारा दंडित किया जा सकता है।
- कानून के अनुसार मानहानि सामाजिक अपराध के साथ-साथ एक दंडनीय आपराध भी हैं। जहाँ सामाजिक अपराध में किसी व्यक्ति पर मुआवजे के लिए मुकदमा किया जा सकता है, जबकि आपराधिक मामले में दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
- इन प्रावधानों की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
- 'द हिन्दू' अखबार ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। इस याचिका में धारा 499 की शक्तियों को चुनौती दी गयी थी कि ये धारा 19(1) (क) के तहत प्रेस को प्राप्त स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं।
- याचिका में तर्क दिया गया है कि आईपीसी की धारा 499 और 500, अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधान से हटकर कार्य कर रही हैं और निर्दिष्ट बाहयताओं की सीमा से परे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
- अनुच्छेद 19 (2) के तहत, केवल उचित प्रतिबंध के माध्यम से ही कटौती की जा सकती है। इस तरह का कोई प्रतिबंध मनमाना या अत्यंतिक नहीं होना चाहिए, और स्वतंत्रता की सीमाएं कम से कम होनी चाहिए। लेकिन भारत में आपराधिक मुकदमों, से संबंधित प्रक्रिया काफी लंबी होती हैं, और जिस कारण यह प्रतिबन्ध 'अनुचित' दिखता हैं।

स्मार्ट सिटी परियोजना:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ स्मार्ट सिटी योजना और शहरी नवीनीकरण मिशन को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहले जवाहर लाल नेहरू के नाम पर थी जिसे नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन:

- 48000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी योजना।
- स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के अलावा शहरी जीवन के लिए और अधिक सुलभ और

 ©Vision IAS

समावेशी बनाकर देश के शहरी परिदृश्य को पुनर्भाषित करना है।

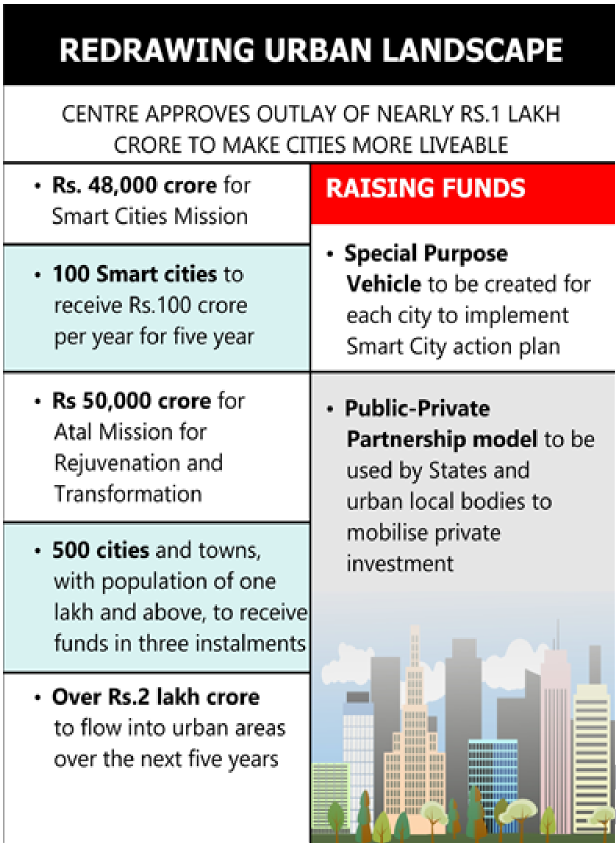

- स्मार्ट सिटी का चयन एक 'सिटी चैलेंज प्रतियोगिता' के माध्यम से किया जाएगा जो कि मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शहरों की क्षमता को वित्त पोषण से जोड़ने के लिए लक्षित है।
- सभी राज्यों को कम से कम एक स्मार्ट सिटी मिलेगी।
- इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक चयनित शहर को पांच साल के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मिलेगी।
- मिशन के तहत वित्तपोषण को परियोजनाओं की बहुआयामी प्रगति के आधार पर जारी करने का उद्देश्य है एवं नागरिकों की भागीदारी इन शहरों की योजना का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- स्मार्ट सिटी कार्य योजना को लागू करने हेतु प्रत्येक शहर के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (Special Purpose Vehicle) बनाया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल पर शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 20 साल की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति निवेश की आवश्यकता रु.43,386 या कुल 7 लाख करोड़ रुपए है। एक स्मार्ट सिटी के निर्माण का मतलब सिर्फ भौतिक बुनियादी ढांचा -- सड़क, साफ पानी, बिजली, परिवहन आदि बनाना ही नहीं है।
- बड़ी चुनौती आत्मनिर्भर शहर बनाने की होगी जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे, संसाधनों का बुद्धिमता पूर्ण उपयोग साथ ही साथ लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे।

एक स्मार्ट शहर क्या है?

सुलभ एवं सुविधापूर्ण एवं जीवनयापन के लिए बुनियादी संरचना, स्वच्छ एवं धारणीय पर्यावरण और कुछ स्मार्ट समाधानों से युक्त शहर।

- आधारभूत संरचना: पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-प्रशासन व नागरिक भागीदारी और नागरिकों की सुरक्षा।
- स्मार्ट समाधान: लोक सूचना, शिकायत निवारण, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करना, नागरिकों की सहभागिता, अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण, अपशिष्ट जल का 100% उपचार, स्मार्ट मीटर एवं प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता की जाँच, ऊर्जा के अक्षय स्रोत, कुशल ऊर्जा और हरित भवन, स्मार्ट पार्किंग, बुद्धिमत्तापूर्ण यातायात प्रबंधन प्रणाली।

द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फ़ोर्मेशन (अमृत)

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर 500 शहरों के लिए 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) को शुरू किया गया है।
- अमृत मिशन को एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 500 शहरों में लागू किया जाएगा। यह शहरों और कस्बों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यरत हैं।
- अमृत के लिए केंद्रीय सहायता राशि 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर एवं कस्बों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत एवं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का एक तिहाई होगी। केन्द्रीय सहायता, उपलब्धियों के आधार पर 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।
- पानी की आपूर्ति, सीवेज, परिवहन और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरीडोर और पार्कों के विकास का विशेष प्रावधान, जैसी बुनियादी संरचनात्मक सेवाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- कार्यान्वयन को शहरी सुधारों के आयामों जैसे ई-गवर्नेंस, पेशेवर नगरपालिका की स्थापना, शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन और कार्यों का हस्तांतरण, नगर निगम के करों के आकलन और संग्रह में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग, ऊर्जा और पानी की लेखा परीक्षा और नागरिक केन्द्रित शहरी नियोजन से जोड़ा जाएगा।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मध्यम उद्यमों और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्राथमिकता ऋण प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। इस निर्णय से इस क्षेत्र के लिए बड़ा लाभ अर्जित होने की उम्मीद है।

VISION IAS

- इससे सरकार को वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इससे वित्त एक प्रतिस्पर्धी दर पर उपलब्ध हो सकेगा।
- इससे क्षेत्र को बढ़ने एवं विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
- अब वाणिज्यिक बैंक सौर आधारित बिजली जेनरेटर, बायोमास आधारित बिजली जेनरेटर, पवन मिलों, सूक्ष्म पनबिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए और गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था और दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण लेने वालों को रु. 15 करोड़ की सीमा तक के ऋण दे सकेंगे।
- एकल परिवार के लिए ऋण सीमा रु. 10 लाख प्रति उधारकर्ता रहेगी।

वित्त वर्ष 2015 में स्थापित 4,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

वर्ष 2014-15 में ग्रिड से जुडी 4000 मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाएं स्थापित की गईं। मार्च 2015 के अंत में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 35,777 मेगावाट थी।

	वर्ष 2014-15		संचयी (मेगावाट)
	लक्ष्य (मेगावाट)	प्राप्ति (मेगावाट)	4
पवन	2000	2312	23444
लघु हाइड्रो	250	251	4055
सौर	1112	3744	1100
खोई सह उत्पादन	300	360	3009
बायोमास	100	45	1410
कचरे से बिजली	20	8	115
कुल	3770	4089	35777

पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा

- पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सतलुज और ब्यास नदी में घड़ियाल छोडने की परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- शुरू में 'घड़ियाल रिकवरी एक्शन प्लान' के एक भाग के रूप में हरिके वन्यजीव अभयारण्य में 10 घड़ियाल छोड़े जाएंगे।

घड़ियाल:

- घड़ियाल कभी भारतीय उपमहाद्वीप पर काफी मात्रा में पाया जाता था, जो अब लुप्तप्राय जानवर है।
- भारत में पाई जाने वाली तीन मगरमच्छ प्रजातियों में से एक- घड़ियाल, ब्यास और सतलुज नदियों सहित सिंधु नदी प्रणाली में मौजूद थे, जो कि स्वस्थ नदी प्रणाली का संकेत है।
- घड़ियाल को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में और 2007 में इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में "गंभीर संकटग्रस्त" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 197

दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 197 में प्रावधान है कि अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में अथवा इसके लिए तात्पर्यित किसी भी लोक सेवक को, उसके द्वारा किए गए कथित तौर पर किसी भी अपराध के लिये कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि उसकी नियोक्ता सरकार, केन्द्रीय या राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी न ली गई हो।

यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के डर के बिना ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करने के लिए है। हालांकि यह प्रावधान काफी हद तक भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन में देरी करने के लिए एक चाल बनकर रह गया है।

उच्चतम न्यायालय का पक्ष:

- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के ईमानदार निर्वहन के लिए ही उपलब्ध है। भ्रष्टाचार के लिए अभियोजन अनुकरणीय और बिना देरी के होना चाहिए।
- शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है। पूर्व मंजूरी के सवाल पर विचार बाद में जरूरत पड़ने पर आपराधिक मुकदमे चलने के दौरान किया जाएगा।
- अदालत ने कहा की मंजूरी से संबंधित प्रावधानों का अर्थ इस तरीके से लगाया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के विरोध के रूप में ईमानदारी, न्याय और सुशासन को बढ़ावा दिया जा सके।
- अप्रमाणित संपत्ति रखना, रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़े जाना और संपत्ति का गबन करना आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो सकता, और इस तरह के मामलों में पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है।
- इस निर्णय से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत लंबित कई मामलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 बनाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के आलोक में सरकारी गोपनीयता के प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई।
- यह गोपनीय शासन से खुले और पारदर्शी शासन की दिशा की ओर एक कदम है।

कानूनी स्थिति

- दोनों कानूनों के बीच विरोधाभास की स्थिति मे आरटीआई अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

VISION IAS

- सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इसके प्रावधान सरकारी गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों से असंगत होने के बावजूद भी प्रभावी होंगे।
- इसी तरह आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) के तहत लोक प्राधिकारी "अगर संरक्षित हितों के नुकसान की तुलना में सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण अधिक महत्वपूर्ण है", सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कवर जानकारी की अनुमति दे सकता। 'सार्वजनिक हित' की व्याख्या एक चुनौती है।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923

- कठोर सरकारी गोपनीयता अधिनियम को विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में ब्रिटिश शासकों ने 1923 में अधिनियमित किया था।
- क़ानून के प्रावधान बहुत जटिल और अस्पष्ट हैं जो अक्सर निरंकुशता को बढ़ावा देते है स्वेच्छाचारिता के लिए जगह छोड़ते हैं।
- उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 2 (8) (डी) आरक्षित स्थान को इस तरह परिभाषित करती है - "कोई भी रेलवे, सड़क, रास्ता या चैनल या भूमि अथवा जलीय क्षेत्र से संचार के अन्य साधन...." केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित स्थान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
- धारा 3 किसी आरक्षित स्थान के 'आसपास' भी पाये जाने वाले किसी व्यक्ति पर जासूसी करने के लिए दंड लगाने का प्रावधान करती है।

सरकारी कार्यों में गोपनीयता आवश्यक है लेकिन यह परम आवश्यकता एवं समयबद्ध गोपनीयता द्वारा सीमित की जानी चाहिए।

आतंकवाद का समर्थन करने वाले राष्ट्र पर कार्यवाही

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर ईशारा करते हुए कहा कि दुनिया को सामूहिक रूप से ऐसे देशों पर दबाव डालना चाहिए जो आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर लंबे समय से लंबित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) के निष्कर्ष पर जोर दिया। CCIT का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है।
- आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है और इस मुद्दे से परमाणु प्रसार जैसे मुद्दो की तरह पूरी संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए है।
- आतंकवाद "मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है"। मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों को इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास तेज करने चाहिए।

स्टेम कौशल (STEM SKILLS)

- STEM, विज्ञान (Science), प्रौद्योगिकी(Technology) इंजीनियरिंग(Engineering)और गणित (Mathematics) को दर्शाता है। आजकल कार्यस्थलों में स्टेम टेलेंट की काफी मांग है। हालांकि विभिन्न अध्ययनों के अनुसार इस मांग की पूर्ति वर्तमान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नहीं हो पा रही है।
- 'प्रतिभा आपूर्ति और मांग का विश्लेषण' रिपोर्ट 2014 में नैसकॉम का कहना है कि "देश हर साल एक बड़ी संख्या में इंजीनियर तैयार कर रहा है, लेकिन केवल कुल 21 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातक ही रोजगार योग्य हैं।"
- स्टेम कौशल के कमजोर विकास के लिए, जिम्मेदार कारणों में से एक शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल का अभाव है। उद्योगों में काम करने से छात्र इस प्रकार के कौशल को प्राकृतिक रूप से सीख पायेंगे। भारतीय परिदृश्य में इस तरह के अवसर कॉलेज छात्रों के लिए दुर्लभ हैं।
- तेजी से बढ़ रहे 80 फीसदी से अधिक व्यवसायों में स्टेम कौशल की आवश्यकता होती है।
- चीन, भारत और ब्राजील में क्रमश: सबसे ज्यादा स्टेम स्नातक तैयार होते हैं।

भारत का रक्षा क्षेत्र

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। वर्तमान सरकार ने अपने 'मेक इन इंडिया' नारे के बावजूद रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में और वृद्धि कर दी है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर अब स्वचालित मार्ग के तहत 49 प्रतिशत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में 75 प्रतिशत और महत्वपूर्ण नई तकनीक से जुड़े मामले में 100 फीसदी तक कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में निम्न तर्क हैं:

- सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक क्रांति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां एवं रक्षा क्षेत्र मे हुए अनुसंधान एवं विकास में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगातार नाकाम रहे हैं।
- निजी क्षेत्र की कुशल प्रबंधन संस्कृति से बजट और समय का सदुपयोग होगा।
- देश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आयात मे बार-बार आयात पर निर्भर रहा है (संविदात्मक दायित्वों के बावजूद), क्योंकि सैन्यबल को हमेशा प्रौद्योगिकी की तत्काल जरूरत होती है।
- इसलिए, तर्क दिया जाता है कि विदेशी कंपनियों को भारतीय रक्षा क्षेत्र में निवेश करने और यहां उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे प्राप्त पूंजी को देश के अन्दर ही खर्च किया जायेगा। परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निर्यात मे वृद्धि की संभावना के साथ नई तकनीकी प्राप्त होगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सीमित प्रभाव

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निश्चित रूप से मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की विदेशो पर निर्भरता को कम करना ही रक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य है।

- वर्ष 2001 के बाद नियमों मे ढिलाई होने के बावजूद 334 बिलियन डॉलर के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मे से 4.8 बिलियन डॉलर का निवेश ही रक्षा क्षेत्र को प्राप्त हुआ।
- सामान्यत: यह मान लिया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी भी लाएगा। ऐसा सदैव नहीं होता है।
- रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एक गलत प्रश्न के लिए एक गलत जवाब है और ठीक से पेश नहीं की गई समस्याओं के लिए एक झूठा समाधान है। यदि दृढ़ निश्चयी लक्ष्य और राजनीतिक समर्थन के साथ उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना के माध्यम से अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी के सामरिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सामरिक महत्व वाले सैन्य साजो-सामान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता न प्राप्त हो सके।

आरटीआई पर खुफिया एजेंसियों की चुप्पी

- भारत की शीर्ष पच्चीस सुरक्षा एजेंसियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की अधिकांश अनिवार्यताओं से छूट दी गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।
- उन्हें भी लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त करने और आरटीआई आवेदनों की संख्या के बारे में केन्द्रीय सूचना आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही एकत्र की गई फीस की राशि एवं ऐसे मामलों के विवरण, जिनमें जानकारी देना अस्वीकार कर दिया गया हो के बारे में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- दिल्ली स्थित कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने 2005 से 2014 तक की वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण मे पाया गया कि इन 11 सुरक्षा एजेंसियों ने केन्द्रीय सूचना आयोग को किसी भी आरटीआई की जानकारी के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी 2012 में काफी हद तक सूचना के अधिकार अधिनियम से छूट प्राप्त संगठनों की सूची में शामिल होने के बाद से आंकड़ों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना बंद कर दिया है।

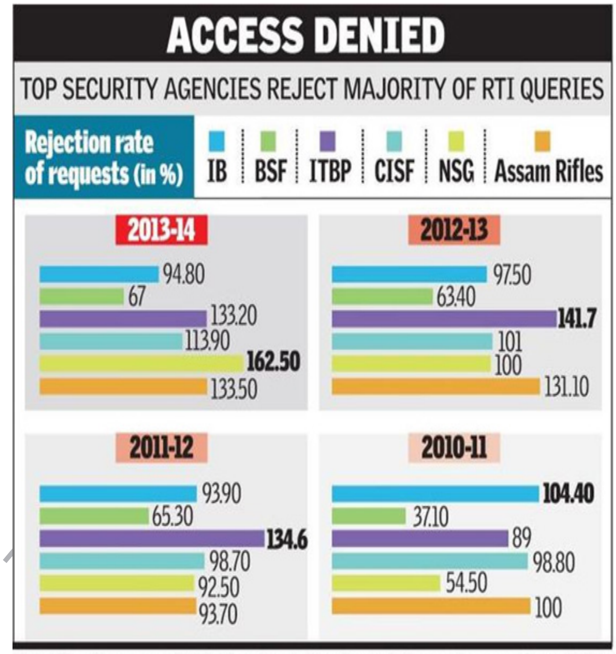

Note: When figure exceeds 100%, it includes rejection of requests from earlier years; Source: CHRI

ई पर्यटक वीजा

- "टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल - इलेक्ट्रोनिक ट्रैवल ऑथोराइज़ेशन (TVoA-ETA)" योजना का नाम बदलकर 'ई-पर्यटक वीजा" कर दिया है। इसे 44 देशों के यात्रियों को कम अवधि की यात्राओं मे सुविधा देने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। नाम मे परिवर्तन इस बात को स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यह कोई वीजा ऑन-अराइवल स्कीम नहीं है।
- योजना का नाम (TvoA-ETA) पर्यटकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, जो यह धारणा बना लेते हैं कि आगमन पर भी वीजा दिया जा रहा है।

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
- General Studies
- Philosophy
- Sociology
- Public Administration
- Geography
- Essay
- Psychology

All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion

Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
- By renowned faculty and senior bureaucrats
- 25 Classes
- Regular Batch

Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course
@ JAIPUR Center
- Includes comprehensive & updated study material
- Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:

Starts : 7th Sep

अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

सितंबर 2014 में पदभार संभालने के बाद, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पहली बार भारत आये।

पृष्ठभूमि:

- अफ़गानिस्तान और भारत के लोगों के बीच संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही रहे हैं।
- 1999 में भारत, तालिबान विरोधी नॉर्दन एलायंस के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया।
- 2005 में भारत ने सार्क में अफ़गानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। दोनों देशों ने इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ रणनीतिक और सैन्य सहयोग विकसित किया।
- 2011 में अफ़गानिस्तान ने अपना पहला सामरिक भागीदारी समझौता भारत के साथ किया था।
- अफ़गान संविधान के ढांचे के अंतर्गत अफ़गान नेतृत्व में और अफ़गान स्वामित्व वाली राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया का भारत का समर्थन करता है
- भारत ने अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत ने अफ़गानिस्तान को दो अरब डॉलर की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी हैं। अफ़गानिस्तान में भारत की विकास परियोजनाओं को मुख्यत: चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
- बड़ी आधारभूत परियोजनाएं;
- मानवीय सहायता;
- क्षमता निर्माण की पहल; और
- लघु विकास परियोजनाएं
- कुछ बड़ी परियोजनाएं:
- ईरानी सीमा के लिए माल और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए जरांज से डेलाराम तक 218 किमी सड़क का निर्माण।
- पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220kV डीसी ट्रांसमिशन लाइन और चिम्ताला में एक 220/110/20 केवी सब-स्टेशन का निर्माण,
- हेरात प्रांत में सलमा बांध का निर्माण
- अफगान संसद का निर्माण

व्यापार सम्बन्ध:

- भारत और अफ़गानिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार 2013-14 में 683.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत और अफ़गानिस्तान के व्यापार में मुख्य बाधा पाकिस्तान द्वारा स्थल मार्ग की सुविधा न देना है।
- अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने, 2011 में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट और व्यापार समझौते (APTTA) पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों की राष्ट्रीय सीमाओं तक दोनों देशों को बराबर पहुँच देता है।
- वर्तमान में पाकिस्तान भारत जाने वाले अफ़गान ट्रकों को वाघा बॉर्डर तक ही आने देता है जबकि महज 1 किमी दूर ही स्थित अटारी पर भारतीय चौकी तक ट्रकों को आने की अनुमति नहीं दी है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत भी APTTA में शामिल होना चाहता है।
- ऐसे परिदृश्य में, ईरान के चाबहार बंदरगाह के विस्तार में तेजी लाने की जरूरत है, जो भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।

अफ़गानिस्तान की नीति में बदलाव

- तालिबान के अशरफ गनी की वार्ता को भारत पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की नीति से दो मुद्दों पर बदलाव के रूप में देखता है:
- गनी अशरफ मध्यस्थता वार्ता में, पाकिस्तान की एक अहम् कड़ी मानता हैं। उनकी सरकार हिंसा छोड़ देने संबंधी पूर्व शर्त के बिना ही तालिबान नेताओं से बात करने के लिए तैयार है।
- डॉ गनी पर तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया पूरी करने का दबाव है, ताकि अफ़गान अर्थव्यवस्था में कुछ निवेश हो और आर्थिक विकास फिर से शुरू हो।
- भारत, अफ़ग़ानिस्तान के साथ पाकिस्तान सेना के अच्छे संबंधो से भी चिंतित है।
- पाकिस्तानी सेना से समर्थन मांगने के अलावा, डॉ गनी अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन से भी निवेश प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीन अपने "एक बेल्ट, एक सड़क" पहल के तहत, निवेश करने के लिए तैयार हो जाता है तो यह तालिबान के साथ एक सार्थक शांति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई पर दबाव डाल सकता है।

यात्रा के परिणाम

- राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए। लेकिन जल्द ही एक मोटर वाहन समझौता पूरा करने की घोषणा की गई। साथ ही ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच व्यापार मार्ग के विकास में तेजी लाने की घोषणा की गई।
- अशरफ गनी ने आतंक से लड़ने पर सहयोग करने के लिए एक उप-महाद्वीप नेटवर्क के निर्माण की बात भी की।
- हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित तीन चीतल हेलीकाप्टरों को राष्ट्रपति की यात्रा के पहले काबुल भेजा गया था।
- भारत ने APTTA में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

निष्कर्ष

भारत को डॉ गनी के पाकिस्तान-चीन परियोजना को समर्थन दिए जाने से अनावश्यक रूप से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक सहयोग परियोजनाओं, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, पोषण, संस्था निर्माण, मानव संसाधन विकास और उद्योग द्वारा किये जा रहे प्रयासो से अफ़गान

समुदाय के सभी वर्गों के साथ पिछले एक दशक में निर्मित सद्भावना कम नहीं होगी। आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से संपर्क बनाने से पड़ोस में बेहतर संबंधों के लिए रास्ता साफ होगा। साथ ही यह एक और अधिक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के लिए मदद प्रदान करेगा।

चीनी राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, ऊर्जा उत्पादन, कृषि, शिक्षा, दूरसंचार और अनुसंधान सहित कुल 51 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीनी राष्ट्रपति ने बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के करीब 45 अरब डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए, जिसका बीजिंग के महत्वाकांक्षी "समुद्री सिल्क रोड" (MSR) परियोजना के पाकिस्तानी क्षेत्र को निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के सबसे बड़े विदेशी निवेश के अंतर्गत 3,000 किलोमीटर लम्बे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की नींव रखी।
- एक बार आर्थिक गलियारे के पूरा होने एवं ग्वादर पोर्ट का पूरी तरह से आधुनिकीकरण हो जाने के बाद, चीन की अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरत के लिए मलक्का जलमार्ग पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- यह नया मार्ग पहले मार्ग से लगभग 12000 किलोमीटर छोटा होगा।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन के पिछडे पश्चिमी क्षेत्र को पाक अधिकृत कश्मीर के माध्यम से अरब सागर पर स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ देगा। इसमें सड़क, रेलवे, व्यापार क्षेत्र, ऊर्जा योजनाओं और पाइपलाइनों का एक विशाल और जटिल नेटवर्क होगा।
- इस गलियारे के तीन साल में तैयार होने की उम्मीद है और यह 10400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के साथ, चीन को हिंद महासागर तक सीधी पहुँच देगा।
- चीन के झिंजियांग प्रांत के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर तक के गलियारे से, चीन को दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से जुड़ने के बाद त्रिकोणीय आकृति मिल जाएगी जो इसकी हिंद महासागर में पहुँच को और आसान बनाएगा।
- पाक अधिकृत कश्मीर में बढ़ रही चीनी मौजूदगी से भारत भी चिंतित है, लेकिन बीजिंग, हमेशा की तरह, भारत की चिंताओं को दरकिनार कर काशगर-ग्वादर गलियारे की परियोजना पर तेज़ी से काम कर रहा है।

विश्लेषण:

- राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे को एक बड़े कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का औपचारिक शुभारम्भ, सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।
- पिछले कुछ वर्षों में चीन ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास में अरबों डॉलर का निवेश किया है। इससे चीन ने पकिस्तान की अमेरिका पर निर्भरता को कम कर दिया है और पाकिस्तान के मजबूत भागीदार के रूप में उभरा है।
- पाकिस्तान में चीन के विकास कार्यो से दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया मे चीन की एक मजबूत विदेश नीति को दर्शाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा नई भूराजनीतिक आकांक्षाओं के उद्भव का संकेत है, जो एक उभरती बहुध्रुवीय दुनिया में भारत को खुद को समायोजित करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है।

ट्रांस-अफ़गानिस्तान गैस पाइप लाइन

भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में कहा कि जल्द ही तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली ट्रांस-अफ़गानिस्तान गैस पाइप लाइन महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो सकती है, जिसकी बातचीत अंतिम चरण में है।

- ट्रांस-अफ़गानिस्तान पाइपलाइन, को तुर्कमेनिस्तान-अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान भारत (TAPI) नाम से भी जाना जाता है। यह एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। इसके वर्ष 2017 में पूरा होने की उम्मीद है। यह पाइप लाइन कैस्पियन सागर से प्राप्त प्राकृतिक गैस को तुर्कमेनिस्तान एवं अफ़गानिस्तान से होकर पाकिस्तान और फिर भारत तक पहुंचाएगी।

- इसमें 30 साल की अवधि के लिए प्रतिदिन 90 mn स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस के परिहवन की क्षमता है। इसमें से भारत और पाकिस्तान को 38-38 mn स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी और शेष 14 mn स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस अफ़गानिस्तान को मिलेगी।
- 1735 किलोमीटर की यह गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के सबसे बड़े गैस क्षेत्र गेल्किनिश से अफ़गानिस्तान के हेरात और कंधार प्रान्त से होती हुई, फजिल्का तक आएगी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित क्षेत्र है।
- चारों देशों के राष्ट्रपतियों ने 2010 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबात में तापी परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की 2015 की समीक्षा

परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (एनपीटी) पर सम्मेलन 2015, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में 27 अप्रैल से 22 मई 2015 तक आयोजित किया जाएगा।

- 1970 में इस संधि के प्रभाव में आने के बाद, हर पांच साल के अंतराल पर संधि की समीक्षा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है।
- इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की वर्षगांठ भी है: बेल्जियम में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की 100वीं वर्षगाँठ; हिरोशिमा और नागासाकी के बम विस्फोट की 70वीं वर्षगाँठ; और परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार की 20वीं वर्षगाँठ।

आतंकवादी संगठनात्मक नेटवर्क प्रभावकारिता को आकार देना (STONE)

- कम्प्यूटेशनल सांस्कृतिक गतिशीलता के लिए मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने STONE (Shaping Terrorist Organizational Network Efficacy) नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है।
- यह प्रोग्राम एक नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण नोड्स की पहचान करता है। इसके लिए यह नेटवर्क विश्लेषण उपकरण, नेटवर्क में उपस्थित व्यक्तियों के अनोखे गुण और "बिग डेटा" विश्लेषण के एक संयोजन का उपयोग करता है।
- यह ये भी पता करेगा कि किसी नोड के हटने पर नेटवर्क कैसे समायोजन करेगा।
- STONE को अब तक हमास, हिजबुल्ला, अल-कायदा और लश्कर से संबंधित खुले डेटा सोर्स पर लागू किया गया है। आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व में पुराने बदलाव को समझ कर, STONE की आतंकवादी संगठनों के उत्तराधिकारी को इंगित करने की शीर्ष तीन भविष्यवाणियों में से एक 80 प्रतिशत मामलों में सही रही है।

आईबीएसए (इब्सा) का पुनर्निर्माण

- एक दशक पहले अपनी शुरुआत के समय, इब्सा (IBSA) को एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के “सबसे बड़े लोकतंत्र” - भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के एक साथ आने के रूप देखा गया था।
- तीनो देश मे सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय विविधताएं विद्यमान हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वसम्मत कानून/सहमती और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सितंबर 2006 में ब्रासीलिया में इब्सा की पहली शिखर बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ‘इब्सा जैसे विचार की कोई मिसाल नहीं है’।
- और आज हालात यह हैं कि भारतीय विदेश मंत्री एक शिखर बैठक की मेजबानी करने के लिए सभी देशों के लिए सर्वसम्मत तारीख सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला शिखर सम्मेलन इसी वर्ष के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

ब्रिक्स का उदय

- रूस द्वारा प्रारंभ, और चीन द्वारा आगे बढाया हुआ ब्रिक्स, ब्रिक्स इब्सा पर पिछले कुछ वर्षों में भारी रहा है। जो G7 के समान काफी आगे बढ़ चुका है।
- रूस और चीन दोनों ने ब्रिक्स के दर्जा मांगने के प्रयास मे अधिक रूचि दिखाई और इससे वर्चस्व को चुनौती देने वाले एजेंडे को आगे बढाया है। वहीँ ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने इब्सा और इसके एजेंडे को आगे बढाने में इतनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सम्बन्ध

- एक दशक पहले इब्सा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और सदस्यता के लिए जो साझा उद्देश्य लाया था, अब वह इतना दमदार नहीं रहा।

VISION IAS

- लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार एवं पुनर्गठन और स्थायी सदस्यता के लिए इच्छुक देशों ने अब परिवर्तन की उम्मीद छोड़ दी है।

इब्सा का पुनर्जीवन

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर कि "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत का अधिकार है और यह भारत के ऊपर कोई एहसान नहीं होगा", अपने प्रयास को एक नई दिशा प्रदान की।

- संयुक्त राष्ट्र की शासन प्रणाली अप्रभावी हो गई है।
- शक्तिशाली देशों द्वारा एकतरफा कार्रवाई रोकने में असमर्थता से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अर्थहीन होता दिख रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई मौकों पर जैसे इराक में अमेरिका की कार्रवाई, क्रीमिया में रूसी कार्रवाई और यमन में सऊदी अरब की बमबारी रोकने में विफल रही।
- इब्सा को केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे -
- तीनों देशों की कुछ सामान्य सुरक्षा चिंताएं हैं।
- जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, काला धन को वैध बनाना और आतंकवाद।
- समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी एक मुद्दा है।
- जिस तरह से विश्व हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन चाहता है, वैसे ही इब्सा हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक में शांति, स्थिरता और संतुलन ला सकता हैं।
- समुद्री मार्गों की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें इब्सा पूरा कर सकता है।
- ब्राजील-भारत संबंधों में दोनों देशों के बीच दूरी कहीं न कहीं एक बाधा उत्पन्न करती है, परन्तु दोनों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना एक दूसरे की पूरक है।
- ब्राजील मे प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता बहुत ज्यादा है, साथ ही प्रति व्यक्ति पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं; भारत मे प्रति व्यक्ति भूमि-उपलब्धता बहुत कम है और प्रति व्यक्ति के आधार पर संसाधन बहुत कम हैं।
- ब्राजील और भारत, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग कर इस क्षेत्र को तीव्र गति से आगे बढ़ाने को साझा प्रयास कर सकते है।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार की असीम सम्भावनाएं है जिनका प्रयोग किया जाना अभी बाकी है।

पूरब एवं पश्चिम के बीच सेतु के रूप में

इब्सा ने समूह की चिंताओं को साझा किया है। तीनो उभरती शक्तियां वैश्विक भागीदारी में जगह देने की पश्चिम देशों की अनिच्छा से निराशा महसूस करती हैं। साथ ही तीनो देशों के पड़ोस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी एक सामूहिक चिंता का विषय है।

- वैश्विक शासन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए G7 और P5 में सदस्यता पाने में समस्या और विश्व में चीन की बढती आर्थिक गतिविधियों की चुनौती का सामना करने के लिए इब्सा के पास एक साझा और सार्थक एजेंडा है।
- कुछ लोग G7 बनाम ब्रिक्स को एक "उत्तर-दक्षिण" विभाजन के रूप चित्रित करते हैं। परन्तु वास्तविकता मे इब्सा ही बहुपक्षीय आर्थिक मुद्दों और वैश्विक शासन से संबंधित विषयों पर दक्षिणी दुनिया का मुख्य प्रतिनिधि है।
- इब्सा समूह को उत्तर अटलांटिक, यूरेशिया के साथ मुद्दों को निपटाने के लिए और अन्य वैश्विक मुद्दों पर एक सामूहिक सहमति के लिए स्वस्थ वार्ता करनी चाहिए दक्षिण दुनिया के देश होने के कारण और अपनी सामूहिक चिंताओं की वजह से, इब्सा पश्चिम और पूर्व के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।

हेंज पुरूस्कार

- मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा संगीता भाटिया को प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान के का हेंज पुरस्कार दिया गया।
- हेंज पुरस्कार, प्रतिवर्ष कला और मानविकी, पर्यावरण, सामाजिक नीति और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है।
- सुश्री भाटिया की टीम ने कृत्रिम मानव माइक्रोलीवर का निर्माण किया है जिसका कई दवा कंपनियों द्वारा, दवा की विषाक्तता का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
- वे इस माइक्रोलीवर का उपयोग, प्रयोगशाला में मलेरिया के संक्रमण का नमूना बनाने और उस पर दवाओं को परीक्षण में कर रही हैं। उनका उद्देश्य मलेरिया परजीवी के उन्मूलन की दवा बनाना है। उन्हें उम्मीद है कि वे आने वाले समय मे पूरे के लिए एक वैकल्पिक लीवर ऊतक विकसित कर लेंगी।

चीन मंगोलिया रूस (CMR) आर्थिक गलियारा

चीन अपने महत्वाकांक्षी सिल्क रोड गलियारे को विकसित करने के लिए रूसी पहल और मंगोलियाई पहल को एक साथ करने में लगा हुआ है।

- चीन, मंगोलिया की स्टेपी रोड पहल में शामिल होकर और मास्को संचालित अंतरमहाद्वीपीय रेल योजना के साथ जुड़कर, चीन मंगोलिया रूस (सी एम आर) आर्थिक गलियारा विकसित करना चाहता है।
- सी.एम.आर प्रयास, चीन के अन्य दो प्रयासों जैसी ही है: जिसमें पाकिस्तान-चीन आर्थिक गलियारा और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार गलियारा आते हैं।
- चीनी को अपनी वन "बेल्ट और वन रोड पहल" के साथ अन्य देशों की राष्ट्रीय योजनाओं को एकीकृत करने के लिए, उन्हें समझाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस एकीकरण के प्रयास के क्रम मे ही चीन भारत के "मौसम" और "मसाला मार्ग परियोजना" को अपनी बड़े योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए तत्पर है।
- भारत की "मौसम" परियोजना द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र मे तटीय

VISION IAS

व्यापारिक भागीदारों को बढ़ाकर एक बार फिर प्राचीन समुद्री मार्गों की स्थापना का प्रयास किया गया हैं।

- "भारत का मसाला मार्ग" एशिया, यूरोप और अफ्रीका से ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को भारत से जोड़ने की परियोजना है।

अमेरिका, जापान नए रक्षा नियमों पर सहमत

- अमेरिका और जापान ने एक ऐतिहासिक कदम के तहत रक्षा सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की हैं जिससे जापानी सशस्त्र बलों को वैश्विक भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।
- नये दिशा-निर्देशों के तहत, जापान किसी तीसरे देश द्वारा धमकी देने पर, अमेरिका की मदद के लिए आ सकता है। उदहारण के लिए मध्य-पूर्व में एक मिशन के लिए जापान द्वारा सुरंग भेदी पोत की तैनाती।

नए सिद्धांत

- यद्यपि यह नया आयाम चीन के विरुद्ध नहीं है, पर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विवादित क्षेत्रों मे चीन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के क्रम मे किया गया प्रयास है। उत्तर कोरिया भी इस क्षेत्र में तनाव का मुद्दा है।
- अमेरिका, विवादित सेंकाकू द्वीप जिसे चीन में दिओयुस के नाम से जाना जाता है, को जापान का हिस्सा मानता है।
- वाशिंगटन, जापान की सुरक्षा संबंधी के प्रति प्रतिबद्धता पर कायम है और सेंकाकू द्वीप सहित जापान के प्रशासन के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रो को इसमें शामिल किया गया है। (द्वीपों की संप्रभुता के लिए दशकों से टोक्यो और बीजिंग के बीच विवाद है)

पुनर्व्याख्या

- पिछले समझौते के तहत, जापानी सेना बल अमेरिकी सैनिकों की सहायता तभी कर सकती थी जब वे प्रत्यक्ष जापान की मदद कर रहे हो।
- यह नया समझौता पिछले साल शिंजो अबे सरकार द्वारा संविधान की पुनर्व्याख्या को प्रतिबिंबित करता हैं, जिसमे 'सामूहिक सुरक्षा' अंर्तनिहित हैं।
- जापान में बढ़ रही चिंता और एशिया में चीन के बढ़ती सैन्य और आर्थिक गतिविधियाँ शिंजो अबे सरकार को "सक्रिय शांतिवाद" को अपनाने के लिए बाध्य कर रही हैं।

श्रीलंका ने 19वें संशोधन को पारित किया

श्रीलंका मे एक नये राजनीतिक अध्याय की शुरुआत करते हुए, श्रीलंकाई संसद ने 19वें संविधान संशोधन को पारित किया है जिसमे सत्ता के हस्तांतरण या बंटवारे संबंधी मुद्दे शामिल नहीं हैं।

विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल को छह साल से कम करके पांच साल किया गया।
- एक व्यक्ति केवल दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है।
- राष्ट्रपति अब संसद को साढ़े चार साल की अवधि पूरी होने के बाद ही भंग कर सकता है, पहले यह अवधि महज एक साल थी।
- संवैधानिक परिषद का पुनरुद्धार और स्वतंत्र आयोगों की स्थापना।

POWERS CLIPPED

19TH AMENDMENT BILL ENVISAGES DILUTING THE POWERS OF THE EXECUTIVE PRESIDENCY

July 1978 Constitution adopted and **Executive Presidency established**
- J.R. Jayawardene becomes first Executive President

Nov. 1978 First Amendment adopted to continue probe against the previous Sirimavo Bandaranaike regime

Nov.1987 13th Amendment passed after Rajiv Gandhi-JRJ Accord in July
- Provisions made for **devolution of powers**, merger of Northern and Eastern Provinces

Protesters demand approval of the Bill in Colombo on Monday. —PHOTO: AFP

Oct. 2006 Supreme Court **holds unconstitutional the merger** of provinces

Sept. 2010 18th Amendment passed. **Two-term limit** on presidential tenure removed

April 2015 19th Amendment **Bill adopted**, taking away many powers of Executive Presidency

भूमध्य सागर में प्रवासी आपदायें

एक मछली पकड़ने की नाव लीबिया तट पर पलट गयी। यह प्रवासियों से भरी हुई थी और इसमें करीब 700 लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह अब तक की सबसे बड़ी भूमध्य सागरीय प्रवासी आपदाओं में से एक हो सकती है।

- अफ्रीका और मध्य पूर्व में गरीबी और संघर्ष की वजह से लोग यूरोप के लिए पलायन कर रहे हैं। इसके लिए समुद्र मार्ग का सहारा ले रहे हैं।
- उन्हें लीबिया से बाहर जाने के लिए तस्करों द्वारा चलायी जा रही भीड़ भरी और यात्रा के लिए अनुपयोगी नावों पर भरोसा करना पड़ रहा है।
- 2011 में पूर्व नेता मुअम्मर गद्दाफी के हटाये जाने के बाद से लीबिया एवं अन्य अफ्रीका देशों और मध्य-पूर्व से प्रवासियों को ले जाने के लिए तस्करों का गिरोह बिना किसी डर के काम कर रहा हैं।
- एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2014 में 218000 लोगों ने भूमध्य सागर पार किया है।
- यूरोप में प्रवेश बिंदु लम्पेदुसा है। जो अफ्रीका के नजदीक है और इटली का दक्षिणतम बिंदु है।

यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया

- इस आपदा से चिंतित होकर यूरोपीय संघ के नेता यूरोपीय संघ के समुद्र गश्ती मिशन 'ट्राइटन' के लिए तीन गुना वित्त जारी करने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन अफ्रीका और मध्य पूर्व के विभिन्न

VISION

हिस्सों में संघर्ष और गरीबी की वजह से भागकर आ रहे लोगों के साथ क्या करना है? इस पर अभी भी असहमति बनी हुई है।

- इस अवैध प्रवसन से संघ के विरोधी नेता, लीबिया के तट की एक तत्काल नौसैनिक नाकाबंदी चाहते हैं।
- 2013 में, लम्पेदुसा के तट से दूर हुई एक घटना में सैकड़ों लोग डूब गए थे। इस घटना के बाद इटली सरकार ने "मेर नोस्ट्रम" या "हमारा सागर" नामक खोज और बचाव अभियान शुरू किया था।
- इटली को इस मिशन को बंद करना पड़ा था, क्योंकि वह यूरोपीय सहयोगियों को इस निगरानी के लिए नब्बे लाख यूरो प्रति महीने के खर्चे की मदद के लिए राजी करने मे नाकाम रहा था। यूरोपीय नेताओं में इस बात को लेकर संशय था कि यह मिशन अनजाने में प्रवासियों को यूरोप आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
- अंततः "मेर नोस्ट्रम" को, यूरोपीय संघ के अन्य आपरेशन 'ट्राइटन' द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा है कि दुनिया भर की सरकारों को एकजुटता दिखाकर अधिक शरणार्थियों को अपनाना चाहिए।

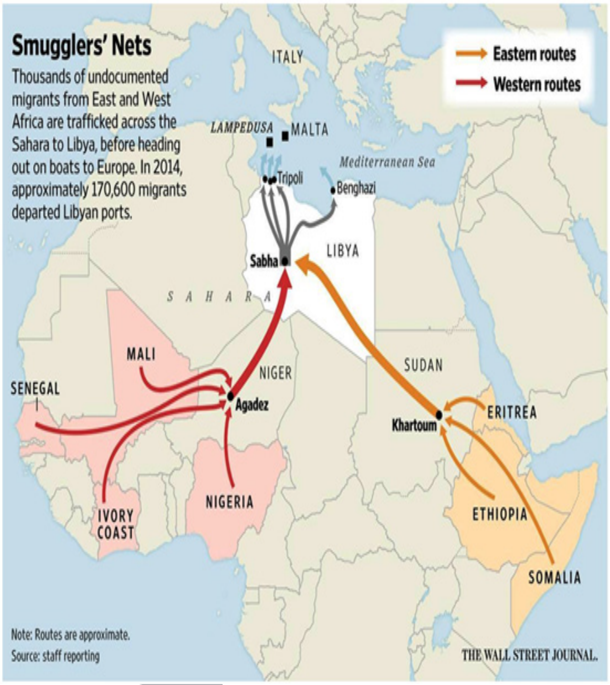

- सरकारों को सिर्फ समुद्र बचाव में सुधार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि दुनिया भर में युद्ध की वजह से विस्थापित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शरण और सुरक्षित पनाहगाह का अधिकार भी देना चाहिए।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अन्य समूहों ने भी "मेर नोस्ट्रम" जैसे खोज और बचाव अभियान जो पिछले वर्ष के अंत मे बंद कर दिये गये थे, की बहाली की मांग की है।
- सहायता समूह प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक मानवीय गलियारे की बात कर रहे हैं। पर साथ ही वे चाहते हैं कि अन्य प्रितक रास्तो से नावों को निकलने से रोकने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए।

रूस, पाकिस्तान का पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास

रूस और पाकिस्तान, बढ़ते रक्षा सहयोग के क्रम में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए सहमत हो गए हैं। समझौते के अनुसार, दोनों देशों निम्नलिखित प्रयास करेंगे:

- रक्षा उद्योग और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाना।
- सैन्य अभ्यास में संयुक्त भागीदारी को बढ़ावा देना।
- हथियारों के आयात और सैन्य प्रशिक्षण के लिए सहयोग में बढोत्तरी।
- बल का इस्तेमाल करने के बजाय, कूटनीतिक नीतियों के माध्यम से संघर्ष का हल करना।

इसी के साथ दोनों देश एक आम सहमति पर पहुंच गए हैं कि बहुध्रुवीय दुनिया ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति और संतुलन सुनिश्चित करेगी।

2014 में दोनों देशों ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक सैन्य सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत कनाडा सम्बन्ध

42 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा की यात्रा की। जिससे द्विपक्षीय सहयोग के छह प्रमुख आयामों को इस यात्रा के दौरान एक सार्थक दिशा मिली।

- उन्होंने परमाणु सहयोग और व्यापक आर्थिक सहयोग पर बातचीत को आगे बढ़ाने के नागरिक उड्डयन, रेल, शिक्षा, अंतरिक्ष, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि पर अपने समकक्ष स्टीफन हार्पर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- कनाडा को भारत आने पर वीजा मिलने वाले देशों में शामिल किया जायेगा। साथ ही ओसीआई और पीआईओ कार्ड के विलय के पश्चात् उनके पास जीवन भर ओसीआई के साथ प्रवेश करने के साथ ही, 10 साल के लिए भारतीय वीजा होगा। यह 12 लाख

भारतीय मूल के कनाडाई समुदाय के लिए फायदेमंद होगा।

- मोदी ने भारत की ऊर्जा जरूरतों पर जोर देते हुए और कई मौकों पर "भगवा क्रांति" का नाम लिया, जिसमे परमाणु, सौर, पवन, बायोमास के साथ ही ऊर्जा की मितव्ययता पर जोर दिया।

यूरेनियम पर संधि

- 350 मिलियन डॉलर का परमाणु समझौता प्रधानमंत्री की यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास भी बढेगा।
- 254 मिलियन डॉलर के हुए समझौते के तहत, कनाडा भारतीय रिएक्टरों के लिए की 3,000 टन की यूरेनियम आपूर्ति करने पर सहमत हुआ।
- रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला तीसरा देश बना। यह आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा निर्धारित मापदंडो के तहत की जाएगी।

भारत की पैरेट लेडी

- कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने नरेन्द्र मोदी को तोता पकड़ें हुए एक महिला की 800 साल पुरानी बलुआ पत्थर की निर्मित भारतीय मूर्ति सौंप दी।
- 12वीं सदी की यह मूर्ति 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत लौटाई गई है।
- पैरेट लेडी को नायिका के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कामुक, कम कपडे पहने हुई, थोड़ी सी सजीव दिखती हुई है,और उसकी पीठ पर एक तोता है। यह कामुक महिलाओं की पत्थर से बनी मूर्तियों में से एक है जिसे खजुराहो के मंदिरों को सजाने के लिए बनाया गया था।

गंटर ग्रास 1927-2015

- जर्मनी के नोबेल विजेता लेखक गंटर ग्रास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विश्व युद्ध के बाद, उन्होंने कई देशों के लिए एक प्रबुद्ध नैतिक दिशा दर्शक के रूप में काम किया था। लेकिन बाद में वे द्वितीय विश्व युद्ध मे अपनी भूमिका को लेकर आलोचना के शिकार हुए।
- गंटर ग्रास को उनके पहले और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास "दी टिन ड्रम इन 1959" से ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद उन्होंने "कैट एंड माउस" और फिर "डॉग इयर्स" लिखा। ये सभी उपन्यास उनके जन्म शहर देंजिग में नाज़िवाद के उदय को लेकर थे।
- उन्होंने नाजी अतीत का सामना करने के लिए जर्मनी को प्रेरित किया। 1999 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि उनके लेखन की कथाएं, इतिहास के भूले परिदृश्य को चित्रित करती हैं।
- लेकिन 2006 में उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे 17 वर्ष की उम्र में हिटलर की कुख्यात वाफ्फेन एसएस सेना के सदस्य थे। इससे उनके प्रशंसकों को झटका लगा।

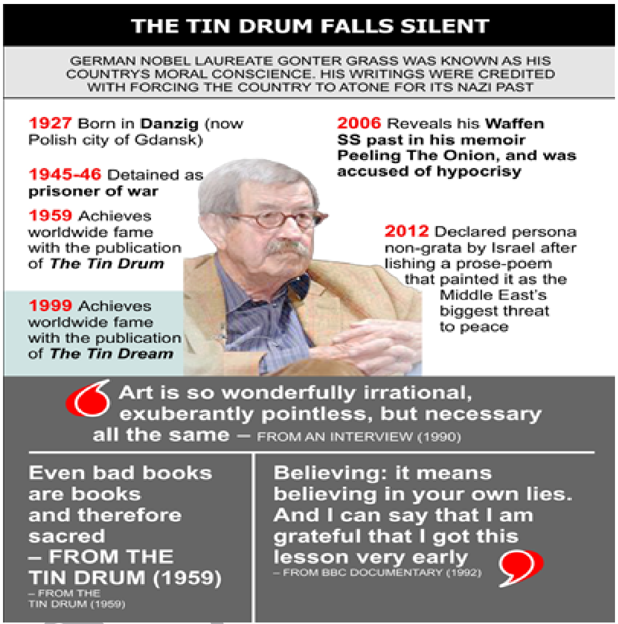

उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा

- भारत और उत्तर कोरिया के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंधों में नाटकीय मोड़ तब आया जब कोरियाई विदेश मंत्री री सु योंग ने भारत की यात्रा कर अपने भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से मुलाकात की।
- उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री ने अपने देश के परमाणु कार्यक्रम से भारत को अवगत कराया।
- संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय द्वारा गंभीर प्रतिबंधों के अधीन उत्तर कोरिया को भारत ने कई बार विस्तारित मानवीय सहायता दी है। साथ ही 2011 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से दस लाख डालर की खाद्य सहायता प्रदान की है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु करार

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर किए थे। अब ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पुष्टि के बाद, ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कर सकेगा। हालांकि, इस सौदे का संसदीय समिति द्वारा स्तर पर विरोध किया जा रहा हैं। परमाणु विशेषज्ञों का एक समूह इस सौदे का विरोध कर रहे हैं क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

विवादास्पद मामला

- भारत को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रयोग पर निगरानी विवादास्पद मुद्दा है।
- ऑस्ट्रेलियाई कानून की धारा 51(2) के तहत, यह जरुरी है कि सरकार, वार्षिक तौर पर, सभी परमाणु कार्यक्रम से संबंधित हर प्रत्येक गतिविधी का लेखा जोखा रखे। जबकि भारत निगरानी संबंधी प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी तक सीमित रखना चाहता हैं।

भारत और फ्रांस संबंध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीन देशों की यात्रा के क्रम मे पहले चरण में फ्रांस का दौरा किया।

यात्रा के परिणाम

- दोनों पक्षों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, शहरी विकास, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- फ्रांस ने भारतीय प्रधानमंत्री के विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में निवेश के आमंत्रण को स्वीकार करके, भारत मे विकास कार्यों के लिए 20 लाख यूरो देने का वादा किया।
- एयरबस ने अगले पांच वर्षों में भारत में आउटसोर्सिंग को चालीस लाख यूरो से चार अरब यूरो तक बढाने की घोषणा की। साथ ही "मेक इन इंडिया" को समर्थन देकर भारत में विनिर्माण कार्य में अपनी रुचि व्यक्त की है।

रॉफेल सौदा:

- भारत सरकार ने वायु सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए, 36 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया।
- 126 विमान की आपूर्ति में आ रही समस्या को दरकिनार करते हुए जल्द से जल्द 36 रॉफेल लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय किया।

परमाणु करार:

- अरेवा परमाणु उपकरण सौदे की सफलता से एक सकारात्मक रुख का पता चलता है। श्री मोदी और श्री औलांदे ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए, सौदों में आ रही अड़चन को ख़त्म करने का निर्णय लिया। उदहारण के लिए, मूल्य निर्धारण के मुद्दों के लिए एवं तकनीकी और कानूनी पहलुओं के लिए अलग-अलग तंत्र बनाने पर बल दिया।
- फ्रांसीसी कंपनी अरेवा, जैतापुर में 10,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के छह परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी। यह परियोजना उत्पादित बिजली की लागत कुल मूल्य पर मतभेद के कारण लंबे समय से अटकी पड़ी है।
- फ्रांस ने भारतीय पर्यटकों के लिए 48 घंटे में वीजा जारी करने संबंधी योजना को शुरू करने के फैसले से भारत को अवगत कराया।
- आर्थिक पहलू: एक हजार से अधिक फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में लगभग 20 अरब डॉलर का कुल निवेश कर रखा है किन्तु फिर भी भारत फ्रांस का द्विपक्षीय व्यापार सिर्फ 8 अरब डॉलर का है।

भारत और जर्मनी संबंध

जर्मनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने हनोवर मेले का उद्घाटन किया, जिसमे भारत मेक इन इंडिया के नारे के साथ भागीदार है।

- श्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ वार्ता की और घोषणा की कि जर्मनी से निवेश और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जायेगा। दोनों देश द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को व्यापक बनाने के लिए सहमत हुए।
- जर्मनी, भारत में आठवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। जनवरी-नवंबर 2014 के दौरान भारत में जर्मनी का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 995,700,000 डॉलर था।
- जर्मनी, यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होने के साथ शीर्ष दस वैश्विक व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
- दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का बाजार, पिछले वर्ष करीब 15.96 अरब यूरो था, जो 2013 के मुकाबले 1.14 अरब यूरो कम था।

2014 में मौत की सजा

- एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, मिस्र और नाइजीरिया में पिछले साल करीब 1000 लोगों को मौत की सजा सुनाई गयी, जो पूरी दुनिया में मौत की सजा का एक तिहाई से भी अधिक था। विश्व स्तर पर मौत की सजा में 20% तक कमी आई है और दुनिया के दो तिहाई देशों ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है।
- पिछले साल सबसे अधिक मौत की सजा देने वालो देश हैं: ईरान-289, सऊदी अरब - लगभग 90 , इराक-61 और अमेरिका-35

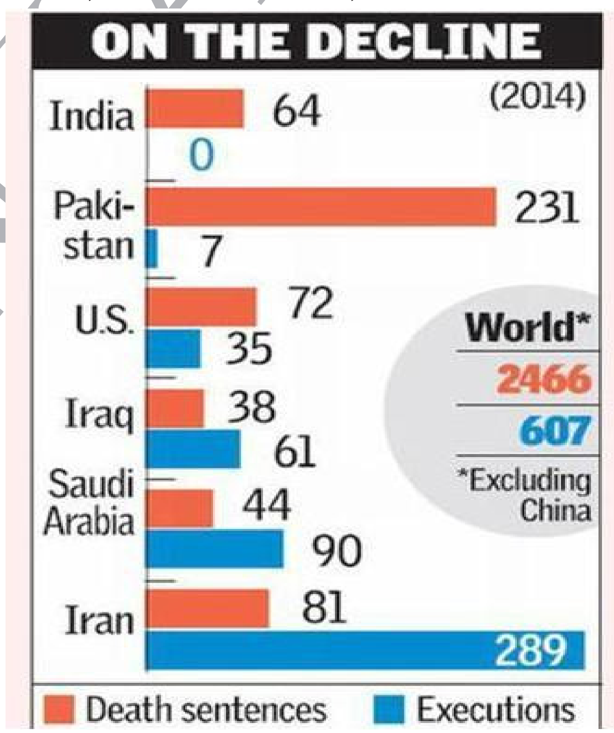

- भारतीय अदालतों ने पिछले साल 64 मामलो मे मौत की सजा सुनाई। लेकिन अदालती कार्यवाई की वजह से कोई भी सज़ा अमल में नहीं लायी गयी।
- सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार दया याचिकाओं के निपटारे में देरी को सजा कम करने का आधार माना जा सकता है। साथ ही मानसिक विकलांगता के मामले में भी सजा कम की जा सकती है।
- यह सोचना गलत है की मौत की सजा के प्रावधान द्वारा अपराध कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि किसी अन्य सजा के बजाए मौत की सजा से अपराध कम किया जा सकता है।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत का प्रयास

- चीन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में एक बड़ी भूमिका निभाने की भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है। इसके बावजूद वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन नहीं कर रहा है।
- चीन ने स्पष्ट किया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एकपक्षीय समर्थन करने के लिए अनिच्छुक है। चीन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सामूहिक आम सहमति आधार पर सुधार होने चाहिए।
- विश्लेषकों का कहना है कि चीन जापान और पाकिस्तान की वजह से परिषद में भारत की स्थायी का समर्थन नहीं कर रहा है।
- जी-4 देश, भारत ब्राजील, जर्मनी और जापान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए प्रबल दावेदारों के रूप मे देखा जाता है, जिसमे जापान चीन का क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है। इसके अलावा, चीन के पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध के कारण भी वह भारत की सदस्यता का विरोध करता है।

मोदी ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता के लिए मजबूत आवाज़ उठाई है

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर कि "वैश्विक शांति मे अहम् भूमिका निभाने के कारण स्थायी सदस्यता, भारत का अधिकार है", संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक मजबूत आवाज़ उठायी है।
- श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अधिकतम उपस्थिति भारतीय सैनिकों की थी। प्रथम विश्व युद्ध में भी 14 लाख भारतीय लड़ाई के मोर्चे पर गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीयों की भागीदारी व्यापक थी।

आर्मेनियाई नरसंहार की 100वीं वर्षगांठ

- रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति, आर्मीनियाई लोगों के नरसंहार के 100वी वर्षगाठ पर उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए।
- इसमें ओटोमन तुर्कों द्वारा 15 लाख आर्मीनियाई लोगों की हत्या कर दी गयी थी।
- पहले विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन तुर्कों को डर था कि आर्मीनियाई ईसाई, उनके विरोधी रूस के साथ जुड़ सकते हैं।
- इस घटना को इतिहासकारों द्वारा व्यापक रूप से नरसंहार ही बताया गया है। परन्तु आधुनिक तुर्की (जिसे तुर्क साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है) इस आरोप को खारिज करता है और कहता है कि मरने वालो की संख्या कुछ ज्यादा ही बताई गयी है और मारे गए लोग गृह युद्ध और अशांति के शिकार थे।

THE ROOT OF THE 'GENOCIDE'

1 In 1908, the Young Turk movement seized power, determined to modernise, strengthen and "Turkify" the Ottoman Empire. In March 1914, the Young Turks entered World War I and sided with Germany. They hoped to capture the city of Baku but were defeated by Russian forces at the battle of Sarikemish.

Armenians in the area were blamed for **siding with the Russians and the Young Turks began a vilification campaign.**

2 Some Armenian nationalists had sided with the Russians and briefly seized the city of Van in the spring of 1915. On **April 24**, several hundred Armenian intellectuals were rounded up, arrested and later executed. **This was the start of the alleged genocide.**

अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन

अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र का 13वां सम्मलेन दोहा में आयोजित किया गया था। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक दोहा घोषणा को अपनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने विदेश में जमा काला धन वापस लाने, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर अपराध के खतरे से लड़ने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर भारत के सुझाव का समर्थन किया।

विधि और न्याय मंत्री सदानंद गौड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सम्मलेन में भाग लेने गया था।

- श्री सदानंद गौड़ा ने वैश्विक समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खात्मे के लिए एक व्यापक अभिसमय के तहत प्रयासों में तेजी लाने के लिए आह्वान किया।
- उन्होंने कहा कि भारत ने इस उद्देश्य के लिए 1996 में संयुक्त राष्ट्र में एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया था और भारत इसे अंतिम रूप देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सकरात्मक रूप से लगा हुआ है।

©Vision IAS

अर्थव्यवस्था

विदेश व्यापार नीति (2015-2020)

भारत सरकार ने 2019-20 तक निर्यात को बढ़ाकर 900 बिलियन डालर करने के लिए एक पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया। जिससे "मेक इन इंडिया" प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके।

- सरकार का लक्ष्य वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3.5% करना है।
- विदेश व्यापार नीति को डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया व स्किल इंडिया के ध्यान मे रखते हुए अनुसार बनाया जायेगा।

प्रमुख बिंदु:

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है जिनके नाम हैं-
- "भारत में माल निर्यात योजना" (MEIS) तथा "भारत से सेवाओं का निर्यात योजना" (SEIS)
- इन योजनाओं के तहत जारी किये गये दिशा निर्देशों से कोई शर्त जुडी नहीं होगी।
- MEIS को निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए लक्षित किया जाएगा तथा SEIS पहले चल रही बहुत सारी योजनाओं के स्थान पर निर्दिष्ट सेवाओं के निर्यात के लिए होगी।
- MEIS पाँच वर्तमान योजनाओं का स्थान लेगी, जिसमे हैं - उत्पाद आधारित योजना, मार्केट लिंक्ड फोकस उत्पाद योजना, बाजार आधारित स्कीम, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन स्क्रिप तथा विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना (VKGUY)
- दूसरी तरफ SEIS ने वर्तमान में चल रही सर्वड फ्रांम इंडिया स्कीम (SFIS) का स्थान ले लिया है।
- SFIS में "भारत में स्थित सभी सेवा प्रदाता शामिल होंगें होगा" जबकि SEIS में केवल "भारतीय सेवा प्रदाता" शामिल थे।
- MEIS के तहत छूट की दरें अब 2-7 फीसदी के बीच में होगी, जो पहले 2-5 फीसदी थी दूसरी ओर, SEIS में ये 3-5 फीसदी होगी जो पहले 5-10 फीसदी थी।
- MEIS व SEIS के तहत जारी किये गये शेयर तथा इन शेयरों के एवज में आयात की गई वस्तुएँ पूर्णत: हस्तांतरणीय होगी। इसका मतलब है कि भारत से सेवा योजना के तहत जारी किये गये शेयरों का उपयोग अब वस्तुओं के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क, निवेश या माल की घरेलू खरीद पर उत्पादन शुल्क और सेवा कर के भुगतान के लिए किया जा सकेगा।
- विदेश व्यापार नीति में एक आयात मूल्यांकन सर्वेक्षण की अवधारणा को शुरु किया गया है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर पूरा किया जाएगा।
- सेज (SEZ) से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोनों योजनाओं (MEIS व SEIS) को सेज स्थित इकाइयों तक बढ़ाने का फैसला किया है।
- "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा": ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत घरेलू खरीद के लिए कम निर्यात पर बल :
- पूँजी एवं वस्तु विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सामान्य निर्यात दायित्व को 75% तक कम किया गया है।
- घरेलू सामग्री व मूल्यवर्द्धन वाली निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए MEIS के तहत विशेष व्यवस्था।
- धारकों का वर्गीकरण -
- मौजूदा धारक श्रेणियों की शब्दावली को संशोधित कर एक, दो, तीन, चार, पाँच स्टार एक्सपोर्ट हाऊस किया गया है।
- एक्सपोर्ट हाउस के प्रदर्शन को मापने के पैमाने को अब भारतीय रुपये के स्थान पर अमेरिकन डॉलर बना दिया गया है।
- विनिर्माता स्थिति धारक स्व-प्रमाणित पत्र जारी करने के हकदार होगें।
- व्यापार सुविधा व व्यापार करने में आसानी:
- चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर को करने के लिए आनलाइन प्रक्रिया का विकास।
- नई विदेश व्यापार नीति के प्रमुख उद्देश्यों में 24×7 वातावरण में कागज रहित काम को प्रोत्साहन देना।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ के बार-बार प्रस्तुत करने को रोकने हेतु आयातक/निर्यातक प्रोफाइल का निर्माण तथा ट्रेड रिफंड दाखिल करने के लिए आनलाइन सुविधा।
- आनलाइन अंतर मंत्रालयी विचार विमर्श
- विनिर्माण क्षेत्र में व रोजगार सृजन में, लघु व मध्यम उद्यमों के महत्व को देखते हुए, एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 108 लघु व मध्यम उद्यमों की पहचान की गई है। तदनुसार स्किल इंडिया मिशन 'कौशल भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'निर्यात बंधु योजना को शुरु किया गया है। निर्यात संवर्द्धन परिषदों व अन्य "औद्योगिक भागीदारों" व विशेषज्ञों की सहायता से गतिविधियों को नये तरीके से गति प्रदान की जायेगी।

नई व्यापार नीति अत्याधिक संभावनाएं उपलब्ध करवाएगी क्योंकि 'ब्रांड इंडिया' पर केन्द्रित होने के कारण यह बार-बार नहीं बदलेगी। माल व सेवा निर्यात में ऐसे नवीन पहलों के माध्यम से भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इन सबके लिए कम से कम 6 महीने दिये जाने चाहिए ताकि निर्यातक नए ढाँचे के अनुसार खुद को समायोजित कर सके। इसके अलावा, ब्याज सहायता योजना भी सफल नहीं हुई है। इससे कहीं न कहीं इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल असर होगा ।

मौद्रिक संचरण

मौद्रिक संचरण एक प्रक्रिया है, जिसमे केन्द्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में किए गए परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, यदि केन्द्रीय बैंक उन ब्याज दरों में कटौती करता है, जो उधारकर्ता बैंको द्वारा देय होती है तो यह उम्मीद की जाती है कि इसका परिणाम, मौद्रिक संचरण की प्रक्रिया द्वारा अंतिम ग्राहकों तक पहुँचेगा।

VISION IAS

वर्ष 2015-2016 मे अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 50 आधार बिंदु (8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत) की कटौती की है। जबकि, वाणिज्यिक बैंक अभी तक इस लाभ को अपने उधारकर्ताओं तक नहीं पहुँचा पाये है। कम ब्याज दरें उपभोग को प्रोत्साहित करने, निवेश को बढ़ाने व आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

बैंकों द्वारा लाभों को उधारकर्ताओं तक न पहुँचने के कई कारण निम्नलिखित है:

- वे अभी भी इंतजार कर ये देखना चाहते है कि मुद्रास्फीति व आर्थिक सुधार वास्तविकता में कितना परिवर्तित होते है।
- वे अधिकाधिक दरों में कमी के बावजूद ऋण दरों को कम नहीं कर रहे है, क्योंकि नकदी की स्थिति अनुकूल नहीं तथा कटौती के बाद मुद्रा बाजार की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।
- बैंकों का कहना है कि जब तक फंड की लागत कम नहीं आती, तब तक उनके लिए ऋण दरों को कम करने में मुश्किल होगा।
- एक कारण यह भी हो सकता है कि मुद्रास्फीति लंबे समय के लिए इतनी न रहे, जितनी वर्तमान में है।
- भारत के उपजाऊ कृषि क्षेत्र खासकर उत्तरी व पश्चिमी भारत में बेमौसम बरसात के कारण खाद्य मुद्रास्फीति पुन: बढ़ सकती है, जो मुद्रा बाजार को या तो इसी ब्याज दर के स्तर को जारी रखने या इसे बढ़ाने को प्रोत्साहित करेगी।

देना बैंक व LIC के मध्य समझौता-ज्ञापन

सरकारी ऋणदाता देना बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJBY) के तहत अपने बचत खाताधारकों को बीमा-कवर उपलब्ध करवाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये है।

- समझौता ज्ञापन के तहत, LIC बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु होने पर मात्र 330रु. प्रतिवर्ष के न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख रु. तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाएगा।
- 18 से 50 वर्ष तक की आयु के खाता धारक इस उत्पाद का लाभ उठाते है।
- योजना 1 जून 2015 से लागू होगी।
- बैंक के ग्राहक 1 जून 2015 से 31 मई 2011 के मध्य नई योजना से जुड़ सकते है।
- यह सरकार के वित्तीय समावेशन से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

गुजरात औद्योगिक पर्यटन का शुभारंभ

- गुजरात सरकार राज्य को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाने वाले प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से टूर पैकेज को शुरु कर रही है। यह देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है।
- हाल ही में शुरु हुए इस टूर पैकेज के मुख्य आकर्षण है- सानंद स्थित नैनो कार प्लांट, अमरेली के समीप पीपापाव पोर्ट, भावनगर स्थित अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड तथा आणंद स्थित अमूल डेरी।

मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग में सुधार

- वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की BAA3 रेटिंग की पुष्टि की तथा रेटिंग आउटलुक को 'स्थिर' से बढ़ाकर 'सकारात्मक' कर दिया।
- मूडीज ने भारत को BAA3 रेटिंग दी है जो इसे निम्न निवेश ग्रेड में प्रदर्शित करता है।
- मूडीज पहली रेटिंग ऐजेंसी है जिसने भारत को 'सकारात्मक' श्रेणी में रखा है।
- रेटिंग आउटलुक को बदलने से इस बात की संभावना बढ़ी है कि नीति-निर्माताओं की कार्यवाही भारत की आर्थिक सशक्तता को बढाएगी।

BIG BOOST

Moody's raises India's credit outlook from 'stable' to 'positive'

Rating agency maintains Baa3 sovereign rating as economy is still exposed to external, financial shocks

- भारत को Baa3 रेटिंग श्रेणी में रखना, यह दर्शाता है कि भारत का प्रदर्शन-राजकोषीय, मुद्रास्फीति व आधारभूत - ढाँचे संबंधी मामलों में कमजोर है।

इलेक्ट्रानिक मनी आर्डर

- भारतीय डाक ने उस परम्परागत मनी आर्डर सेवा को बंद कर दिया है जो 1880 से विभाग का अभिन्न हिस्सा था तथा जो 1.55 लाख डाकघरों से लोगों को घर तक धन पहुँचाता था।
- इलेक्ट्रानिक मनी आर्डर, परम्परागत मनी आर्डर का ही इलेक्ट्रानिक रुप है जो भौतिक संचरण के कम करते हुए घर तक पैसे पहुँचाएगा।
- इलेक्ट्रानिक मनी-आर्डर सेवा से रु. 1000 से रु. 50,000 तक की राशि तुरंत भेजी जा सकेगी।

शहतूत की जैविक कृषि

- शहतूत, रेशम कीट का खाद्य-पादप है जो पूरे वर्ष पैदा होता है एवं एक बार उगाने पर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वर्षो तक उपयोग में लाया जा सकता है।
- रेशम कीट पालने वाले किसानों को गुणवत्ता पूर्ण के उत्पादन के लिए अच्छे पौधो को रोपण करना जरुरी है।
- सभी फसलों की तरह कम समय में परिणाम प्राप्त करने के लिए शहतूत पर भी अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, रेशम-कीट पालन उद्योग को बचाने के लिए, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

VISIONIAS

- अन्य पर्यावरण-हितैषी तरीके जैसे - रुट नोट नेमेटोड्स को नियंत्रित करने के लिए बायोनेभा व नीमाहारी का प्रयोग, रुटनोट बीमारियों के प्रबंधन के लिए नाविन्या इत्यादि का प्रयोग शहतूत के उद्यान में पानी की तेज फुहारों के प्रयोग प्रभावी पाया गया है। ऐसे तरीकों तक किसानों की पहुँच अत्यावश्यक है।
- इसी प्रकार खरपतवार को रोकने के लिए ताप आधारित निराई व ब्लैक पालीथीन मलचिंग शुरु की गई है, इससे हाथ से निराई में आने वाली श्रम की समस्या को भी दूर किया जा सकता है।
- सेरीकल्चर अथवा रेशम उद्योग का तात्पर्य सिल्क के उत्पादन के लिए रेशम कीट को पालन करना है। रेशमकीट की कई व्यवसायिक प्रजातियाँ है। Bombayxmori सर्वाधिक उपयोग में आने वाला रेशमकीट है।
- भारत चीन के बाद रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान पर है। रेशम का 97% कच्चा माल पाँच राज्यों आध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल से आता है।
- भारत एक मात्र देश है, जिसमें रेशम के सभी पाँचों किस्मों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मलबरी, इरी, मूंगा, ट्रापिकल रेशम व टेम्परेट रेशम शामिल है। इनमें से मलबरी सिल्क सबसे प्रसिद्ध किस्म है, जो देश के कुल रेशम उत्पादन में 79% हिस्सेदारी रखती है।

भौगोलिक संकेतक (GI TAG)

- केरल का बहुमूल्य नेन्दरण केला व कर्नाटक का बैंगलोर रोज प्याज को भौगोलिक संकेतक के रुप में पंजीकृत किया गया है।
- चेंगाजीकोडन नेन्दरण केला जो कि चेन्गाज़ीकोड केला के नाम से भी पहचाना जाता है, केरल के त्रिसुर जिले के अन्तर्गत उत्पादित परम्परागत फलों में सबसे प्रसिद्ध फल है।
- बैंगलोर रोज प्याज बैंगलोर व इसके आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है तथा यह अन्य किस्मों की तुलना में इसकी प्रसिद्धि अधिक तीखेपन के कारण है।

भौगोलिक संकेतक (GI) का तात्पर्य ऐसे संकेतक से है जो यह दर्शाता है कि कोई वस्तु विशेष जगह से ही उत्पन्न हुई है, तथा वस्तु की गुणवत्ता स्थिति व अन्य विशेषताऐं भी इसकी भौगोलिक उत्पत्ति में विशेष योगदान देती है।

- कोयम्बटूर, तिरुपुर व इरोड़ जिलों में कार्य कर रही 80, बुनकर व सहकारी समितियां कोवईकोरा कॉटन के प्राधिकृत डीलर हैं, जिन्हें (GI) भौगोलिक संकेतक माना गया है।
- कोवईकोराकॉटन सिल्क व कॉटन का मिश्रण है तथा कोरा अन्य उत्पाद है जो सिख्मुगई क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। देवांगा समुदाय से जुड़े लोग, अधिकाशत: कोवईकोरा कॉटन साड़ी बनाते है तथा वे इसके उत्पादन में निपुण है।
- नागपुर के संतरे, प्रसिद्ध आदिवासी वरली आर्ट, धर्मावरम साड़ी, केरल के काईपड चावल को पहल ही भौगोलिक संकेतकों के रुप में पंजीकृत किया जा चुका है।
- "मदुरैमल्ली" को भी भौगोलिक संकेतक चिन्ह दिया गया है। यह तमिलनाडु में किसी फूल को दिया जाने वाला पहला भौगोलिक संकेतक है। यह "मदुरै सांगुडी" के बाद मदुरै को दिया गया दूसरा संकेतक है।

एकीकृत कीट प्रबन्धन

मादा कीटों के द्वारा, समान प्रजाति के नरों को आकर्षित करने के लिए सैक्स फीरोमोन्स उत्पन्न किये जाते है। एकीकृत कीट प्रबंधन में, फीरोमोन्स को अन्य तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। जिसमें ट्रैप कैच के जरिये निगरानी, समूह ट्रेपिंग के द्वारा मारना मिलाप को रोकना तथा आकर्षक करने वाले तरीके (लुभाना व मार देना) आते हैं।

अट्रेक्टीसाइड (प्रलोभन व मारना) पर आधारित तरीके में फिरोमोन का प्रयोग कीट को उस विशेष बिन्दु अथवा क्षेत्र में लुभाने के लिए किया जाता है जहाँ वे टाक्सीकैन्ट के संपर्क में आते हैं। टाक्सीकैन्ट से वे तीव्रता से नष्ट होते है अथवा दूषित रोगाणुओं के संपर्क में आ जाते है।

ब्रिक्स रेटिंग ऐजेंसी

- तीन बड़ी रेटिंग ऐजेंसियों - फिच, मूडीज व स्टेण्डर्ड एण्ड पूउर्स के एकाधिकार को तोड़ने के लिए चीन ने ब्राजील, रुस व भारत के विशेषज्ञों के साथ ब्रिक्स रेटिंग ऐजेंसी बनाने की चर्चा कर रहा है।
- पश्चिम ऐजेंसियों के द्वारा यूक्रेन संकट के बाद मास्कों की साख गिराने के बाद से एक अन्य समानान्तर रेटिंग ऐजेन्सी स्थापित करने की मांग उठने लगी है।
- किसी देश की क्रेडिट रेटिंग तय करते समय अमेरीका स्थित रेटिंग ऐजेन्सी जो मानदंड अपनाती है उसमें किसी देश का राजनीतिक ढाँचा बाजार मे निजीकरण का स्तर तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा रिजर्व जारी करने का अधिकार आदि शामिल है।
- ये सभी विचारात्मक मानदंड हैं, जिनका केन्द्रीय सरकार के राजस्व उत्पन्न करने व ऋण चुकाने की क्षमता से कोई सरोकार नहीं है।

ग्रीन ब्रांड्स

- बांड एक ऋण साधन है जो निवेशकों से एक इक्विटी के रुप में पैसा उठाता है। बांड जारीकर्ता को पूंजी प्राप्त होती है जबकि निवेशकों को ब्याज के रुप में निश्चित आय प्राप्त होती है जब बांड परिपक्व हो जाता है तो पूंजी लौटा दी जाती है।
- ग्रीन बांड भी इसी प्रकार का है। केवल अंतर इतना है कि ग्रीन बांड को जारी करने वाल सार्वजनिक रुप से घोषण करता है कि पूंजी जो जुटाई जायेगी वह उन 'ग्रीन' प्रोजेक्ट को वित्त उपलब्ध करवाने के लिए होगी जो नवीकरणीय ऊर्जा, उत्सर्जन कटौती आदि से संबंधित होगें।
- यस बैंक व आयात निर्यात बैंक (Exim Bank) ने हाल ही में 'ग्रीन ब्रांड्स' क सफलतापूर्वक शुभारंभ किया, मार्च में एक्जिम बैंक ने 500 मिलियन डॉलर के पंचवर्षीय ग्रीन बांड जारी किये, जो भारत के प्रथम डॉलर - आधारित ग्रीन बांड है।

निर्भया फंड

भारत सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद 'निर्भया फंड'

VISION IAS

के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। सरकार ने निर्भया फंड के लिए, गृह मंत्रालय के स्थान पर महिला व बाल विकास मंत्रालय (WCD) को आधिकारिक ऐजेंसी बनाया है। जारी किये गये दिशा निर्देश इस प्रकार हैं -

- महिला व बाल विकास मंत्रालय आधिकारिक प्राधिकरण होगा जो किसी भी मंत्रालय/विभाग द्वारा देश में महिला की सुरक्षा को मजबूत करने से संबंधित निर्भया फंड से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं का मूल्यांकन कर, उनकी 'निर्भया फंड' से धन प्राप्त की अर्हता का निर्णय करेगा।
- महिला व बाल विकास मंत्रालय, उपर्युक्त प्रस्तावों को मांगों के साथ आवश्यक आवंटन हेतु आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को भेजेगा। यह विभाग, देश में महिला सुरक्षा को मजबूत करने हेतु सरकारी योजनाओं/प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए प्रस्तावों की वित्तीय व अन्य पहलुओं के आधार पर मूल्यांकन करेगा।
- बजट विभाग, वित्त मंत्री के अनुमोदन के उपरांत, कोष से योजना के वित्तपोषण को अनुमोदित करेगा। तथा कोष से धन निकालने में होने वाली किसी भी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक मंत्रालय होगा।
- संबंधित मंत्रालय/विभाग योजना के क्रियान्वयन के लिए SFC/EFC/PIB केबिनेट से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगें।
- महिला व बाल विकास मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ में इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा व निगरानी के लिए आधिकारिक मंत्रालय होगा।

निर्भया फंड - महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु, 2013 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा सरकार के 1000 करोड योगदान से निर्भया फंड स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निर्भया फंड में 2013-14, 2014-15, 2015-15 को मिलाकर 3000 करोड़ रुपये का है।

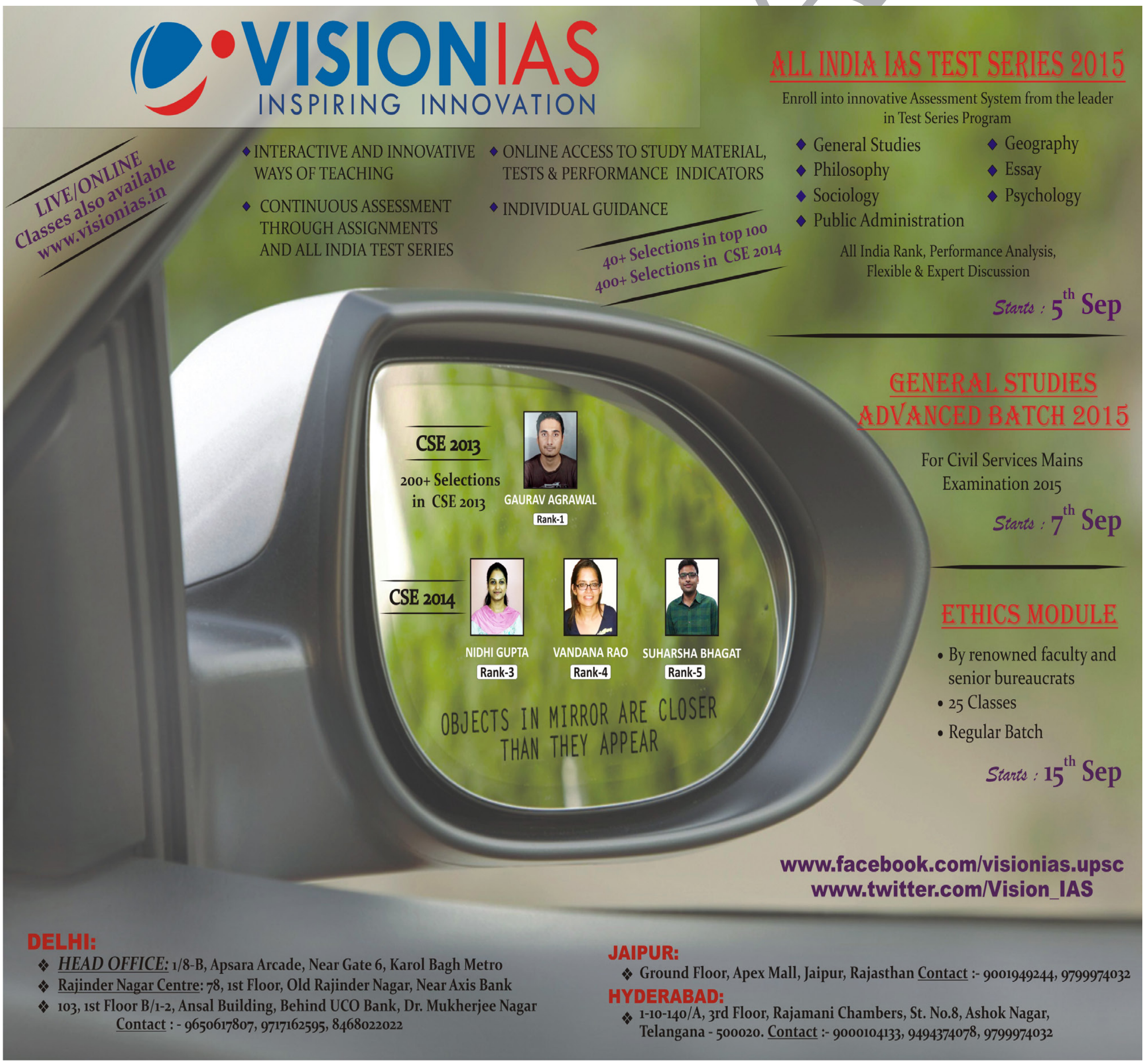

सामाजिक एंव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

किशोर कानून में परिवर्तन

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने "किशोर न्याय (बालक देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक 2014" में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

- नये प्रस्ताविक कानून के माध्यम से किशोर न्याय पीठ को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह गंभीर अपराध की स्थिति में सुनिश्चित करे कि 10 से 18 वर्ष के बीच के अपराधी की मनोवृत्ति अपराध करने के दौरान बालक की थी अथवा व्यस्क व्यक्ति की।
- किशोर न्याय पीठ का गठन देश के जाने-माने मनोचिक्त्सिकों और सामाजिक विशेषज्ञों में से किया जाएगा। अत: यदि पीठ आश्वस्त हो जाती है कि आपराधिक कृत्य को अंजाम देने वाला अपराधी बाल मनोवृत्ति का है तो उसके अधिकारों के उचित संरक्षण का उत्तरदायित्व किशोर न्याय पीठ पर होगा।
- किशोर न्याय पीठ के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही समूचे मामले में न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा।
- सरकार के द्वारा संशोधन में प्रस्तावित उस विवादित मुद्दे को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके अंतर्गत व्यस्क मनोवृत्ति के निर्धारण के सन्दर्भ में चली न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषी करार दिये गये अपराधी (16-18 वर्ष) को चुनाव लड़ने व सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पर रोक होगी।

पृष्ठभूमि

- सरकार के द्वारा अगस्त 2014 में किशोर न्याय (बालक देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक को प्रस्तुत किया गया। सरकार के द्वारा विधेयक में गंभीर अपराध की स्थितियों में, 16-18 वर्ष के अपराधियों के संबंध में 'न्यायिक छूट' की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी।
- 'न्यायिक छूट' का अर्थ था कुछ विशेष प्रकार के गंभीर अपराध की स्थिति में 16-18 वर्ष के किशोर को व्यस्क माना जाना चाहिए और इसी के अनुसार उस पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए तथा इसी के अनुसार उसे दण्डित किया जाना चाहिए।
- विधेयक को संसद की स्थाई समिति के पास भेजा गया। समिति के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। समिति का मानना था गंभीर अपराध की स्थिति में किशोर को व्यस्क मानने के तथ्य में कानून के साथ अंतर्निहित समस्याएं/ विवाद स्थिति विद्यमान है।
- संसदीय समिति का मानना था विधेयक में प्रस्तावित स्थानांतरण व्यवस्था (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) भारत की संवैधानिक उत्तरदायित्वों का उल्लंघन है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार प्रंसविदा के रुप में बाल अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबंद्धताओं से भी विसंगति रखता है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार करते हुए बताया गया है, कि गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या और डकैती के मामलों में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित संशोधन की आलोचना

विभिन्न बाल अधिकार संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है।

- संगठनों के अनुसार सरकार किशोर द्वारा किए जा रहे अपराध के आधारभूत कारणों को समझने और इन पर रोक लगाने का प्रयास नहीं कर रही है। गरीबी, बिखरी पारिवारिक संरचना, अश्लील सामग्री तक आसान पहुँच और बाल संरक्षण की यथोचित व्यवस्था का अभाव वे मुद्दे है जिन पर गहन चिंतन मंथन और प्राप्त निष्कर्षो पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। किंतु सरकार अपने उत्तरदायित्वों की अनदेखा करते हुए, शीघ्रता में किशोर अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है।
- सरकार के अपराध संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2013 में बलात्कार के 1,383 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 5 प्रतिशत से भी कम मामलों का संबंध 16-18 वर्ष के किशोरों से था।

बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के बाल श्रमिकों की संख्या 40 लाख है। नोबल शांति पुरस्कारों के विजेता कैलाश सत्यार्थी के अनुसार बालश्रम (संशोधन) विधेयक 2012 को पास करने की तत्काल आवश्यकता है।

6 प्रमुख मांगे

श्री सत्यार्थी द्वारा विधेयक में निम्न प्रावधानों को शामिल किए जाने की मांग की गई:

- 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए सभी प्रकार के बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

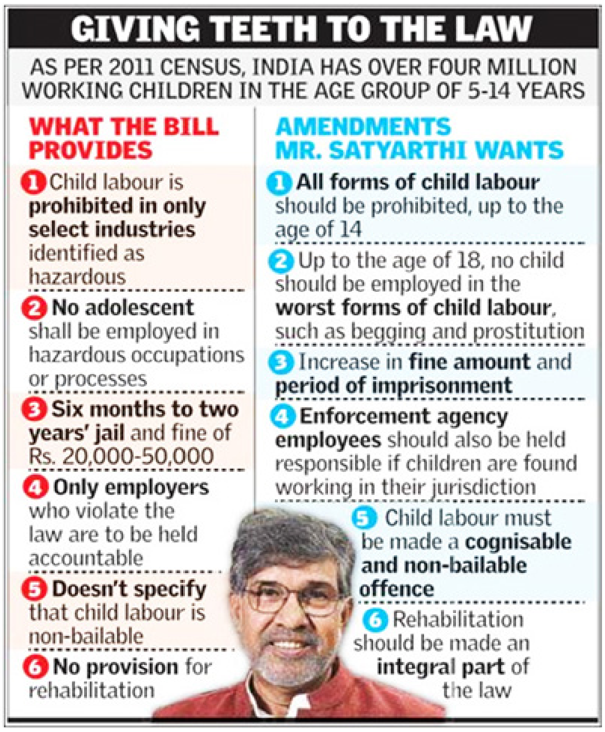

VISION IAS

- 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों द्वारा भीख मांगने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए।
- जुर्माने की राशि और कारावास की अवधि को बढ़ाकर कानून को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए ताकि बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों पर लगाम लगायी जा सके।
- कानून के द्वारा उन लागों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिन्हें सरकारी विभागों में बाल अधिकारों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी सौपी गयी हैं। कारखाना निरीक्षक, श्रमिक निरीक्षक आदि सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण क्षेत्र में यदि बालश्रम की कोई घटना पाई जाती है तो बाल श्रमिक के नियोक्ता के साथ-साथ, इन अधिकारियों को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए।
- बालश्रम को संज्ञेय तथा गैरजमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी इसकी शिकायत कर सके और इस मामले पर त्वरित कानूनी कार्यवाही की जा सके।
- पुनर्वास को कानून का अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं में पुनर्वास प्रयासों को शामिल किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बालश्रमिक के अभिभावक को भी आर्थिक रुप से सक्षम बनने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

कुष्ठ रोग के विरूद्ध संघर्ष

- कुष्ठ रोग एक भयावह संक्रामक रोग है जिससे रोगी व्यक्ति की त्वचा एवं तंत्रिकाएँ प्रभावित होती हैं। कुष्ठ रोगी धीमी गति से विकास करने वाले एक बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रेई (एम. लेप्रेई) द्वारा होता है।
- 1873 में वैज्ञानिक हान्सेन के द्वारा एम.लैप्रेई बैक्टीरिया की खोज करने के कारण, इस रोग को हान्सेन रोग के नाम से भी जाना जाता है।
- इस रोग में बैक्टीरिया से संक्रमित होने के पश्चात इसके प्रकट होने में 5 से 7 वर्ष तक का समय लग सकता है। तथा इसे पाउसी बैसिलरी अथवा मल्टी बैसिलरी के रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका आधार शरीर के निश्चित भाग में निहित बैसिलरी लोड अथवा बैक्टीरिया की संख्या होती है।
- स्थायी शारीरिक विकलांगता के कारणों में लेप्रोसी का विशेष स्थान है।
- कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति के संदर्भ में दुखद पक्ष यह है, कि रोगी को सामाजिक कलंक के रुप में देखा जाता है जिससे उसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- विधि आयोग ने अपनी 256वीं रिपोर्ट में कुष्ठ रोग से संबंधित कानून को समाप्त था संशोधित किए जाने की सलाह दी थी ताकि पीड़ित के साथ किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके। आयोग ने 'कोढ़ी' (लेपर) शब्द के प्रयोग को समाप्त किए जाने की संस्तुति भी की।
- आयोग ने ऐसे लोगों के विलगाव को समाप्त करने की सलाह दी। कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति देश की 850 "कुष्ठ कालोनियों" में रह रहे है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम और अक्षमता प्रभावी व्यक्ति अधिनियम सभी प्रकार के कुष्ठ रोगियों को शामिल नहीं करता।
- कुष्ठ रोग का उपचार और निवारण पहले से कही अधिक आसान हो गया है। 1980 में मल्टी ड्रग थेरेपी (MDT) कार्यक्रम के प्रांरभ होने के पश्चात कुष्ठ रोग के संक्रमण की दर में गिरावट आई थी। वर्तमान में स्वास्थ्य प्रणाली के केन्द्र में कुष्ठ रोग के स्थान पर एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों के आ जाने के कारण 2005 से कुष्ठ रोग के मामलों में वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2014 में विश्वभर में दर्ज किए गए कुष्ठ रोग के मामलों की कुल संख्या में सर्वाधिक भागीदारी भारत की है, जहाँ कुल नए मामलों के 58% लोग भारत में निवास करते है।
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2005 से 2014 के बीच प्रतिवर्ष 1.25 लाख से 1.35 लाख नए मामले दर्ज किए गए है। रोग से प्रभावितों में सर्वाधिक संख्या बच्चों की है।
- अपनी 256वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने ऐसे कई विभेदक कानूनों को चिन्हित किया जो कुष्ठ रोग प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव करते है।
- ऐसा ही एक कानून कोढ़ अधिनियम (1898) है जो, निर्धन कुष्ठ रोगियों के विलगाव, बहिष्करण और चिकित्सकीय उपचार से संबंधित है। तथा कुष्ठ रोगियों के लिए शरण स्थलों के निर्माण से संबंधित कानून अभी भी कानून मे ही हैं यद्यपि कई राज्यों में ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।
- सभी धर्मो से संबंधित कुछ निजी कानूनों जिसमें दो वर्ष से अधिक समय तक कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहने पर इसे विवाह विच्छेद का वैधानिक आधार माना गया है।
- राज्य भिक्षा अधिनियम में कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों की कोटि में ही रखा गया है। इस कोटि के व्यक्तियों अर्थात इन रोगों से प्रभावित व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जा सकता है एवं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
- जीवन बीमा अधिनियम में कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्तियों से अन्य उच्च/ स्वस्थ व्यक्तियों की अपेक्षा प्रीमियम दरें वसूली जा सकती हैं।
- कई राज्यों के नगर पालिका और पंचायती राज्य अधिनियम में कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद के धारण करने पर रोक है।

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने राष्ट्रीय-ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना प्रस्तावित की है। प्राधिकरण का उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए एक एकीकृत सूचना प्रणाली का विकास करना है।

- प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- राष्ट्रीय ई स्वास्थ्य योजना, मे नीतियों के निर्माण, निर्धारण तथा एक सुसंबद्ध कार्य योजना के निर्माण का उत्तरदायित्व प्राधिकरण के ऊपर होगा।

VISION IAS

- सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के द्वारा योजना को क्रियान्वित करवाने का उत्तरदायित्व भी इसी प्राधिकरण पर होगा।
- प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं के एक ऐसे तंत्र का विकास करेगा, जिसके माध्यम से ई-स्वास्थ्य और टेली मेडिसिन जैसे सेवाएँ सभी को प्रदान की जा सके। यह इन सुविधाओं के संबंध में आंकड़ों के प्रबंधन, निजता और सुरक्षा जैसे मानकों को सुनिश्चित करेगा तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखेगा कि समूची प्रक्रिया कानूनी प्रावधानो से संगत हो।

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण का महत्व

- राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण (National e-Health Authority) कार्यक्रम देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रोगी के सम्पूर्ण और परिशुद्ध स्वास्थ्य विवरण तक पहुँच सुनिश्चित करेगा। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विशेषज्ञ रोग का बेहतर निदान और उपचार कर सकेगें। साथ ही साथ रोगी की निजता और गोपनीयता को पूरी तरह कायम रखा जाएगा।
- आंकड़ों का केन्द्रीकृत संग्रह, किसी भी समय स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रोगी के विवरण तक पहुँच को सुनिश्चित करेगा और यही प्राधिकरण का अंतिम उद्देश्य भी है।
- यह कार्यक्रम इलाज के दौरान चिकित्सक के परिवर्तन किए जाने और नए चिकित्सिक से उपचार शुरु करवाने की स्थिति में, सभी चिकित्सकीय परीक्षणों के पुन: किए जाने की परंपरा को समाप्त करेगा। इससे नए सिरे से चिकित्सकीय परीक्षणों की आवश्यकता न होने पर चिकित्सा उपचार खर्च में महत्वपूर्ण कमी आएगी।
- यह निदान और उपचार प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगा।
- स्वास्थ्य संबंधी समग्र जानकारी का एक जगह होने से यह किसी संकट स्थिति में आंकड़ो का महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होगा।
- मंत्रालय के अनुसार, यह देश में चिकित्सकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की समस्या को हल करेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 1000 की जनसंख्या पर केवल सात चिकित्सक उपलब्ध है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की पर 23 चिकित्सकों का होना अनिवार्य है।

यूनेस्को वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट 2015

अप्रैल 2000 में 164 देशों के द्वारा 2015 तक सबको शिक्षा प्रदान करने (Education For All) की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की डकार (सेनेगल) कार्ययोजना को स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के द्वारा "सबके लिए शिक्षा" के लिए निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित एक वैश्विक निरीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

हासिल किए गए लक्ष्य

एक ऐसा देश जहाँ 220 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हों, वहाँ प्रारंभिक शिक्षा में सुधार, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, बालकों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आना, तथा लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों को हासिल कर पाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- भारत "सबके लिए शिक्षा" योजना के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत प्राप्त कर चुका है जबकि प्राथमिक शिक्षा में सभी बच्चों के नामांकन का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा चुका है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की दर 1999 के क्रमश: 19% और 86% की तुलना में 2012 में क्रमश: 58% और 99% पहुँच चुकी थी।
- भारत कक्षाओं में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लक्ष्य के भी अत्यंत निकट है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 1.02 है वही माध्यमिक स्तर पर यह 0.94 है।

निर्धारित लक्ष्य से पीछे

भारत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वयस्क साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा शहरी बस्तियों मे अमान्य निजी संस्थानों की तेज वृद्धि को रोकने में असफल रहा है।

- 2014-15 की शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राज्यों के मध्य शिक्षा की आधारभूत क्षमताओं में व्याप्त असमानता को चिन्हित करती है। रिपोर्ट के अनुसार 32 प्रतिशत जनता निर्धारित लक्ष्य से अभी भी काफी दूर है। भारत अभी तक निरक्षरता दर में 50 प्रतिशत तक की कमी भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया है, इसमें मात्र 26% कमी दर्ज की गई है। वयस्क निरक्षरों में बहुसंख्य महिलाएँ है। निरक्षरों की कुल संख्या में 68 प्रतिशत महिलायें है।
- यह रिपोर्ट वैश्विक समुदाय से भागीदारी का आह्वान करती है ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और आधारभूत गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए 22 बिलियन डालर की अनुपलब्ध राशि को उपलब्ध कराया जा सके।

सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) में भारत की 101वीं रैंक

- 133 देशों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत 101वें स्थान पर है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, स्वच्छता, निजी सुरक्षा, अवसरों तक पहुँच, सहिष्णुता, समावेशन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन की आजादी जैसे क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के आधार पर भारत का क्रम 93वां है, इस दृष्टि से भारत का सामाजिक प्रगति सूचकांक इससे नीचे है।
- दृष्टव्य है कि नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं। जबकि नार्वे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर है और अमेरिका का स्थान 16वां है।
- सामाजिक प्रगति सूचकांक को 2013 में प्रारंभ किया गया था जो 52 सूचकों पर आधारित है। ये 52 सूचक सामाजिक एवं पर्यावरणीय उपलब्धियों से सबंधित हैं। महत्वपूर्ण है कि 52 सूचकों में कोई भी आर्थिक क्षेत्र से संबंद्ध नहीं है सभी सूचकों को मुख्यत: तीन कोटियों में वगीकृत किया जा सकता है।

- आधारभूत मानवीय आवश्यकताएँ: पोषण एवं आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ, जल एवं स्वच्छता, शरण
- सुखमय जीवन के लिए नींव निर्माण सुखों के आधार: पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता, सूचना एवं संचार तक पहुँच, स्वास्थ्य और कल्याण, मआधारभूत ज्ञान तक पहुँच।
- अवसर: उच्चतर शिक्षा तक पहुँच, निजी अधिकार (महिला, अल्पसंख्यक) और समावेशन।
- संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार सूचकांक और भूटान के समग्र खुशहाली सूचकांक भी सुखी जीवन को मापने के पैमाने है। परंतु आर्थिक पक्ष के प्रभावी होने के कारण समृद्धि का पैमाना जी.डी.पी. में की वृद्धि दर है।
- महज आर्थिक और मौद्रिक पक्षों के आधार बनाकर जी.डी.पी. के विकास दर को ही राष्ट्रीय विकास का पैमाना मानना वास्तविक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की उपेक्षा करना है। कहा गया है - "जी.डी.पी. को विकास का मानक मानना बुरा नहीं है किंतु इसके साथ साथ नीति निर्धारकों के लिए सामाजिक प्रगति भी महत्वपूर्ण होना चाहिए।

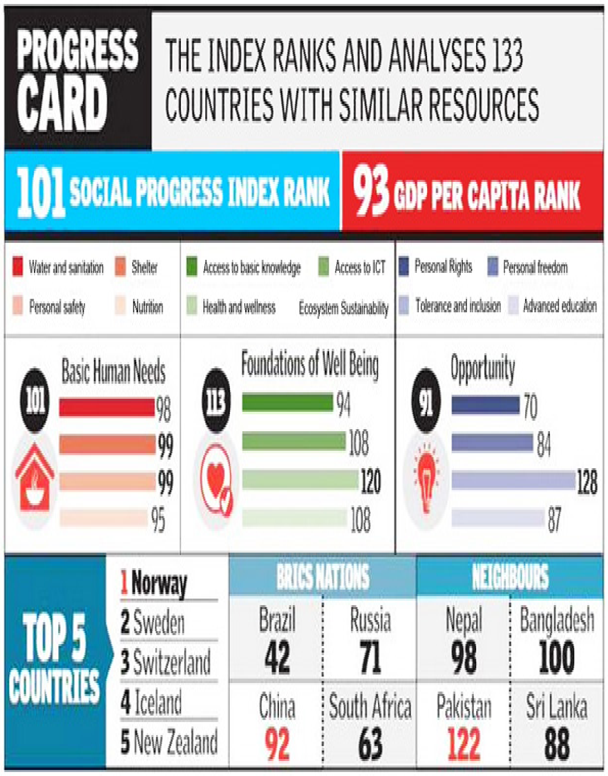

- ओ.इ.सी.डी. तथा यूरोपीय यूनियन के देशों के मध्य सामाजिक प्रगति के प्रयासों को अपनाने पर गंभीर विमर्श चल रहा ताकि समावेशी विकास प्राप्त हो सके।

एसिड हमले की स्थिति में पीड़ित को सम्पूर्ण उपचार का अधिकार: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी निजी अस्पतालों को एसिड हमले के पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त में पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उपचार में शल्य चिकित्सा, मुफ्त औषधि, अस्पताल में पलंग, चिकत्सोपरांत देखभाल और पुनर्वास शामिल है।

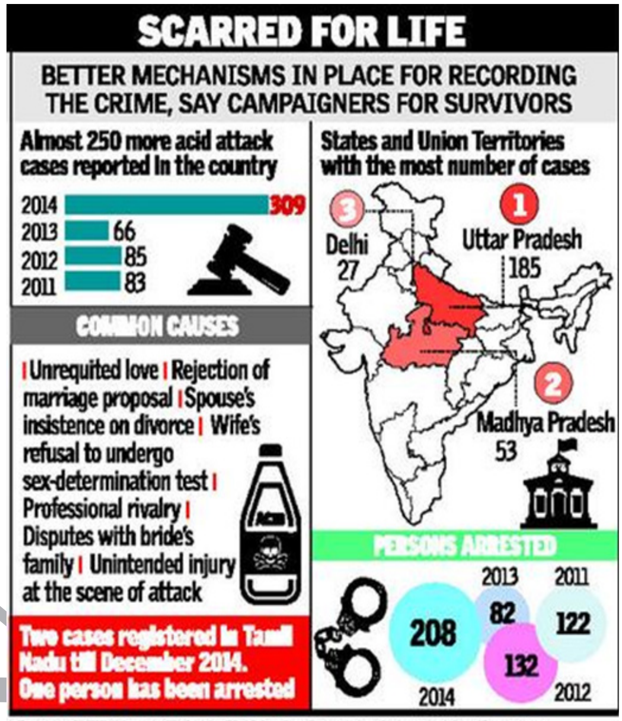

Source: MHA in a affidavit filed in the Supreme Court on April 8, 2015

- पीठ ने यह निर्णय अपराध संहिता की धारा 357(C) के तहत दिया हैं जो पीड़िता के उपचार से संबंधित है जिसे फरवरी 2013 में शामिल किया गया था।
- वर्ष 2014 में एसिड हमलों के मामलों में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014 में कुल 309 मामले दर्ज किए गए है। उत्तर प्रदेश एसिड हमले वाले राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि मध्यप्रदेश और दिल्ली का स्थान क्रमश: दूसरा तथा तीसरा है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व में दिए गए निर्णय

- न्यायालय ने एसिड हमले से पीड़ित को क्षतिपूर्ति की रकम को 50,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है। क्षतिपूर्ति को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- न्यायालय के द्वारा एसिड बिक्री को और अधिक कठोर मानकों के अंतर्गत लाने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय के अनुसार इसे विष अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत तीन माह के अन्दर विष की मान्यता दी जानी चाहिए।
- न्यायालय के अवयस्क लोगों को एसिड बेचे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस घातक पदार्थ को केवल उसी व्यक्ति को बिक्री की जा सकती है, जिसे सरकार द्वारा इस हेतु पहचान पत्र प्रदान किया गया हो। साथ ही ऐसे व्यक्ति को एसिड़ क्रय का उद्देश्य लिखित रुप में देना होगा।
- न्यायालय के द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों को एसिड हमले के अपराध को गैर 2010 जमानती बनाने का निर्देश दिया गया है।

शल्य चिकित्सा: पहुँच से दूर

- विश्वभर में 5 बिलियन लोगों की पहुँच सुरक्षित शल्य चिकित्सा और एनेस्थीसियाँ तक नहीं है।

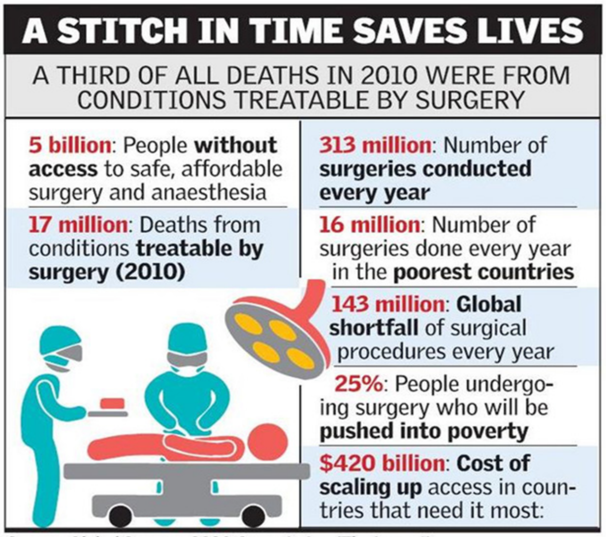

Source: Global Surgery 2030 Commission (The Lancet)

- 2010 में हुई कुल मौतों में दो तिहाई (लगभग 17 लाख) ऐसे मामले थे जिन्हें शल्य चिकित्सा जैसे उपचार की आवश्यकता थी जैसे एपेनडिसाइटिस, टूट-फूट प्रसव पीड़ा आदि।
- 'विश्व शल्य चिकित्सा 2030' सर्वेक्षण को भारत सहित विश्व के 110 देशों के शल्य चिकित्सा और एनेस्थीसियाँ के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है।

वित्तीय दबाव

- जो लोग शल्य उपचार प्राप्त करने में सक्षम होते है, उन्हें भी कई बार इतनी अधिक लागत चुकानी पड़ती है कि वे निर्धनता की दशा में पहुँच जाते है। विश्व भर में जिन लोगों ने शल्य उपचार प्राप्त किया उनमें से एक चौथाई इसकी ऊँची लागत चुकाने में सक्षम नहीं थे। यही कारण है कि वे उपचार के पश्चात अपनी समस्त आर्थिक क्षमता खोकर गरीबी की दशा में पहुँच गए।
- यह पाया गया कि जो दाब जहाँ शल्य उपचार पहुँच से दूर थे हां पेट की बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर अधिक थी। जबकि जिन क्षेत्रों मे यह सुविधा उपलब्ध थी वहाँ उदर पीड़ा से प्रभावित मृत्यु की दर कम थी।
- अत: शल्य चिकित्सा की ऊँची लागत सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। शल्य उपचार उपलब्ध न होने के कारण उपचार योग्य रोग भी प्राणघातक बन जाते है।

दोषपूर्ण योजना

- शल्य चिकित्सा की महत्ता को देखते हुए यदि राज्य के द्वारा मुफ्त और सब्सिडी युक्त शल्य चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है तब भी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक राशि जुटाना भी कई बार दुष्कर सिद्ध होता है। केवल योजना उपलब्ध होना ही सुनिश्चित नहीं करता कि योजना का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकेगा।
- ऐसी विभिन्न परिस्थितियाँ है जो योजना का लाभ उठाने में बाधक बनती है। योजना केवल शल्य उपचार की लागत को वहन करती है। जबकि शल्य उपचार के पहले अनेक कार्य करने होते है जो लागत की अवधारणा में शामिल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो अत्यंत निम्न आर्थिक परिस्थितियों में रहता है उसे उपचार की प्रक्रिया के दौरान अपनी आजीविका के साधनों से दूर रहता पड़ता है। संभव है कि उपचार की आवश्यकता वाला व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित हो जहाँ आवागमन की लागत ही अधिक हो अथवा परिवार में किसी और सदस्य की आवश्यकताओं को वरीयता दिये जाने की स्थिति में योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
- शल्य उपचार सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। यद्यपि अधिक लोगों तक सुविधा पहुँचाने की लागत ऊँची है। किंतु कुछ न करने से आवश्यक राशि और अधिक बढ़ती जाएगी। अत: शल्य चिकित्सा सुविधाओं के सबकी पहुँच में लाने के लिए किए जाने वाले निवेश को वास्तव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश माना जाना चाहिए न कि अत्यधिक लागत वाला।

श्रम बाजार में लैंगिक अंतराल

विश्व महिला रिपोर्ट 2015-16 का प्रकाशन 20 वर्षो के लंबे अंतराल के पश्चात हुआ। इसके पहले चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में हुआ। अधिकांश समाजों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रुप से महिला के कानूनी अधिकारों के संदर्भ में दक्षिण एशिया विश्व भर में सर्वाधिक विषमतापूर्ण लैंगिक अंतराल वाला क्षेत्र है। यह अंतराल उन क्षेत्रों में विशेष रुप से दिखाई पड़ता जहाँ महिलाओं की कार्यशक्ति में भागीदारी तेजी से बढ़ रही है।

- वैश्विक समृद्धि के इस दौर में लाखों महिलाएँ ऐसी है, जिन्हें कम वेतन पर कार्य करना पड़ रहा है। साथ ही श्रमिक महिलाओं को स्वच्छ पेयजल, गरिमापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं है।
- विश्व भर में महिलाओं की कुल संख्या का आधा भाग ही श्रम शक्ति में भागीदारी करता है जबकि पुरुषों की कुल संख्या का तीन चैथाई हिस्सा भागीदार है। भारत में सिर्फ एक तिहाई महिलायें श्रम शक्ति में भागीदार हैं।
- विकासशील देशों में महिलाओं की कुल श्रमशक्ति का 95 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित है। जहाँ उन्हें श्रम कानूनों का संरक्षण भी नहीं प्राप्त है। सामाजिक संरक्षण के अभाव के साथ-साथ महिलाओं के कंधों पर ऐसे कार्यो का उत्तरदायित्व भी होता है, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
- वैश्विक रुप से पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को 24 प्रतिशत कम वेतन प्राप्त होता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन भुगतान में अंतर संतान युक्त महिलाओं के सन्दर्भ में 35 प्रतिशत है। जबकि बिना संतान वाली महिला श्रमिक और पुरुष श्रमिक के बीच यह अंतर 14 प्रतिशत है।
- देखभाल की कीमत: स्त्री की सेवा और स्नेह का अनुचित दंड, उसकी चारदीवारी में बंधन के रुप में सामने आता है। जब राज्य

VISION IAS

के द्वारा मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक संशोधन भी नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं, तब इसका सीधा असर स्त्री की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अरस्तु का कथन - "राज्य का जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है, और इसे सुखी बनाने के लिए यह अब तक जीवित है" की भावना के अनुरुप राज्य को ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जहाँ अपने प्रियजनों के सुरक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी चिंता उच्चतर विकास के मार्ग की बाधा न बने।

विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 73 बिलयन डालर की आवश्यकता

- अनुदान देने वाले राष्ट्र और सरकार को स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 73 बिलियन डालर का कोष उपलब्ध कराना होगा।

ओवरसीज डेवलपमेंट इस्टीटयूट (ओ डी आई) रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- निशुल्क प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा, सार्वभौम स्वास्थ्य और आधारभूत सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्यों को अगले 15 वर्षो में प्राप्त किया जा सकता है। किंतु इसके लिए अधिक अनुदान, करों के बेहतर संग्रहण और कम आय वाले देशों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- यदि विकास की मौजूदा रणनीतियों को कायम रखा गया तो धनी और निर्धन देशों के बीच असमानता बढ़ती जायेगी। और लाखों लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह जाएगें। अभी भी अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्रों के कुछ देश सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने से 20 वर्ष पीछे है।
- सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) से संबंधित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 148 बिलियन डालर की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान में प्राप्त हो रहे अनुदान और सरकारों के कुल कर संग्रह को जोड़ देने के पश्चात भी विश्व सबके लिए सुविधाएँ जुटाने की आवश्यक राशि से 73 बिलियन डालर पीछे रह जाएगा
- सार्वभौम स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की लागत 74 बिलियन डालर आएगी। यह राशि धनी देशों के कुल स्वास्थ्य खर्च का 0.15 प्रतिशत है। यदि इसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की लागत को जोड़ा जाए तो 42 बिलियन डालर की और आवश्यकता होगी। अनुदान दाताओं और सरकारों को सबको प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 32 बिलियन डालर की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।
- जिन राष्ट्रों की प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1045 डॉलर से कम है या बराबर है उन्हें विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार निम्न आय वाले देशों में रखा गया है। उन्हें कर संग्रह को बेहतर बनाते हुए सामाजिक क्षेत्रक पर व्यय को बढ़ाना होगा।
- ओ.डी. आई रिपोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ से एकत्रित हो रहे अनुदान दाता देशों से विकास के लिए उपलब्ध कोष और आवश्यक राशि के बीच के अंतराल को भरने के लिए ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त करने का आग्रह किया है। ओ डी आई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित लक्ष्य, जिसमें समृद्ध देश अपनी राष्ट्रीय आय का 0.7 प्रतिशत अधिकारिक विकास सहायता के रुप में खर्च करना प्रस्तावित है, को पूरा करने का भी आग्रह किया। अनुदान गरीबी की समस्या का एकमात्र हल नहीं है, किन्तु निर्विवाद रुप से यह समाधान का महत्वपूर्ण भाग है।

Kyasanur Forest Disease (KFD)

- यह बीमारी KFD वायरस के द्वारा होती है। इसकी पहचान सन् 1957 में की गई थी, जब इसे कर्नाटक के स्यास्नूर जंगलों में बीमार बंदर से पृथक किया गया था।
- संक्रमित टिक जीव के काटे जाने के बाद रोडेन्ट (चूहे और इसकी प्रजातियाँ), सृयूज (चूहे की प्रजाति) तथा बंदर इस वायरस के मेजबान बनते है।
- मनुष्यों में इसका संक्रमण टिक जीव के काटने अथवा संक्रमित पशुओं के सम्पर्क में आने से होता है। इसकी सर्वाधिक संभावना संक्रमित या मरे हुए बंदर के शरीर के संपर्क में आने से होती है। मनुष्य से मनुष्य में इसका संक्रमण नहीं होता।

लक्षण:-

- 3-8 दिनों के रोग संक्रमण काल के पश्चात् KFD के लक्षण ठंडी, बुखार और सरदर्द के रुप में प्रकट होते है। उल्टी के साथ बदन में तेज दर्द, गैस्ट्रो इन्टेस्टाइनल (गैसान्त्र) लक्षण तथा रक्त स्राव की समस्या, प्रारंभिक लक्षणों के प्रकट होने के 3-4 दिन बाद शुरु होती है।
- इस रोग में रोगी में निम्न रक्तदाब, कम प्लैटलेट्स, लाल रक्त कणों में कमी, तथा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में गिरावट आ सकती है।

रोकथाम

- KFD का कोई सटीक उपचार नहीं है। सही समय पर अस्पताल पहुँचाने और उपचार उपलब्ध कराने से स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें रक्तस्राव जैसी समस्या का ध्यान रखते रखने हुए, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए।

 ©Vision IAS

VISION IAS

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (National Air Quality Index)

- सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) जारी किया है जो वायु में प्रदूषकों के वास्तविक स्तर के बारे में लोगों को सूचित करेगा तथा लोगों को उनके स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के बारे में बताएगा।
- प्रारंभ में यह 10 शहरों के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी ऐसे शहरों, जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, के लिए सूचकांक जारी करना है।

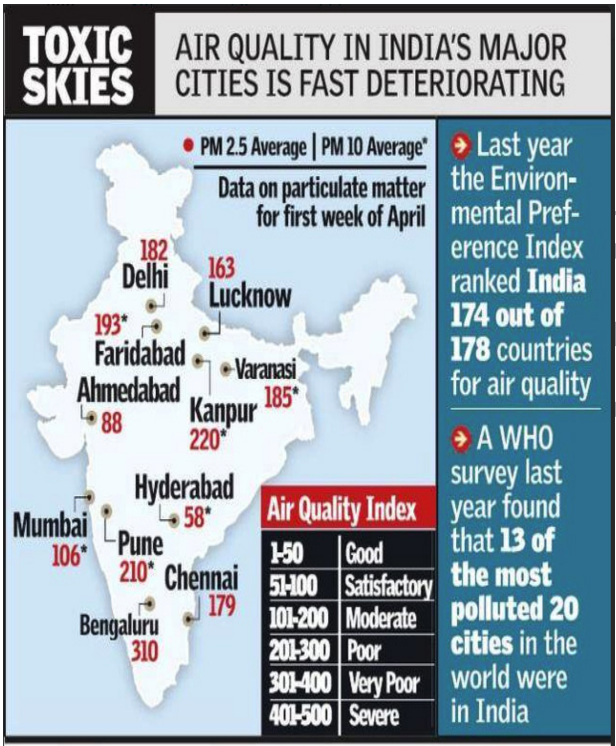

प्रभाव: वायु गुणवत्ता सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करेगा और इसके साथ ही शहरों में लोगों में वायु प्रदूषण कम करने हेतु जागरूकता लाने वाला भी सिद्ध होगा।

विशेषता:

- वायु गुणवत्ता सूचकांक एक वैश्विक मानक है।
- केन्द्रीय ऐजन्सियों ने वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय जारी करते समय आठ प्रदूषकों: PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया तथा लेड (सीसा) को ध्यान में रखा है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता को सरल, आसान व समझने योग्य प्रारुप में बताने के लिए "एक अंक, एक रंग व एक विवरण" होगा।
- इस सूचकांक में लगातार 24 घंटे के औसत आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा तथा ये आंकड़ें शहरों से प्रतिदिन विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों से एकत्रित किये जाऐंगे।

AQI	Remark	Color Code	Possible Health Impacts
0-50	Good		Minimal impact
51-100	Satisfactory		Minor breathing discomfort to sensitive people
101-200	Moderate		Breathing discomfort to the people with lungs, asthma and heart diseases
201-300	Poor		Breathing discomfort to most people on prolonged exposure
301-400	Very Poor		Respiratory illness on prolonged exposure
401-500	Severe		Affects healthy people and seriously impacts those with existing diseases

विश्लेषण:

- सरकार ने वायु प्रदूषण निरीक्षण के लिए एक अच्छी पहल की है। यह नागरिकों को घर से बाहर निकलते समय वायु प्रदूषण से बचने के लिए निवारक उपाय लेने में मदद करेगा। किन्तु यह कदम पर्याप्त नहीं है। अभी तक हमारे पास शीर्ष प्रदूषण स्तर को नीचे लाने वाली कार्यप्रणाली व मानक नहीं है।
- वायु गुणवत्ता सूचकांक को कानूनी कार्यवाही करने योग्य योजनाओं के साथ सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है कि जिससे कि प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। कई देशों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ें निश्चित कार्यवाही के द्वारा प्रदूषण को कम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
- उदाहरण के लिए, बीजिंग में अत्याधिक प्रदूषण के लिए चेतावनी के संकेत जारी किये जाने पर कई उपायों को अपनाया जाता है। उन दिनों में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, सड़कों पर कारों की संख्या कम कर दी जाती है इसके साथ कारखानों से उत्सर्जन कम किये गये अथवा उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया।
- इसी तरह जब पैरिस में हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक ने वायु-प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ बताया तो शहर में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त किया गया तथा सड़क पर वाहनों की संख्या लगभग 50% कर दी गयी।

रक्त वर्षा (Blood Rain)

- वर्षा में लाल रंग की उपस्थिति ट्रेन्टेफोलिया एन्यूलेटा (Trentepohlia annulata) के जीवाणु की मौजूदगी की वजह से होती है। यह एक यूरोपीय प्रजाति का सूक्ष्म शैवाल होता है। शुरू में इसकी मौजूदगी सिर्फ ऑस्ट्रिया (एक मध्य यूरोपीय देश) में पायी गयी थी।
- ब्लड रेन या रक्त वर्षा एक विशाल क्षेत्र में इस शैवाल के जीवाणुओं को फैलाने की क्रियाविधि है ताकि शैवाल एक बड़े क्षेत्र में अपना घर बना लें। ये जीवाणु पादप बीजों के समान ही होते है।

- शैवाल का भारत में आगमन महासागरों पर बादलों के कारण हुआ- अन्तरमहाद्धीपीय जाति प्रसार की यह घटना पूर्व में जीवाणु तथा कवक के लिए ही देखी गयी थी लेकिन शैवाल के लिए पहली बार देखी गयी है।

भारत में रक्त वर्षा : 1896 से केरल व श्रीलंका के कई भागों में लाल रंग की वर्षा की कुछ घटनाएँ दर्ज की गई हैं। अंतिम बार केरल में 2013 में रक्त वर्षा हुई थी।

चेस्टनट-ब्रेस्टेड पैट्रिज (भूरी छाती वाला तीतर)

- चेस्टनट-ब्रेस्टेड पैट्रिज ब्रह्मपुत्र के उत्तर में पूर्वी-हिमालय में स्थानीय तीतर की एक प्रजाति है तथा यह भूटान, पश्चिम बंगाल (केवल दार्जीलिंग), सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर-पूर्व भारत, नेपाल हिमालय और दक्षिण पूर्व तिब्बत में पाया जाता है।
- IUCN ने इस पक्षी को संवेदनशील प्रजाति के रुप में वर्गीकृत किया है।
- IUCN ने अनुमान लगाया है कि लगभग 2,500 चेस्टनट-ब्रेस्टेड तीतर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, भूटान तथा तिब्बत के निचले भाग में रहते हैं।

खबर में क्यों: इस प्रजाति के बारे में पहले सिर्फ देखा व सुना गया था लेकिन इसकी फोटो नहीं ली गयी थी, किन्तु हाल ही में इसकी फोटो ली गयी है।

हबल स्पेस टेलिस्कोप के 25 वर्ष

- हबल स्पेस टेलिस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को स्पेस शटल डिस्कवरी द्वारा पृथ्वी के 552 किमी. ऊपर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह नासा तथा यूरोपीय स्पेस ऐजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है।
- हबल टेलिस्कोप मे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे निकट-अवरक्त (infared), दृश्य-प्रकाश (visible light) तथा अल्ट्रा वायलेट।
- हबल स्पेस टेलिस्कोप का मुख्य उद्देश्य हबल नियतांक (constant) का निर्धारण है जो कि ब्रह्माण्ड के प्रसार की प्राथमिक दर है।
- हबल स्पेस टेलिस्कोप की प्रथम उपलब्धि हमारे ब्रह्माण्ड के प्रसार की दर का निर्धारण है।
- इसका नाम ब्रह्माण्ड के प्रसार के खोजकर्ता एडविन हबल के नाम पर रखा गया था।
- हबल ने परम महाकाय ब्लैक होल्स के अस्तित्व को सिद्ध किया तथा यह पाया कि ये अधिकांश आकाशगंगाओं के केन्द्र में पाया जाता है।
- यह 13.8 बिलियन तक की ब्रह्माण्ड की आयु ज्ञात करने में भी सहायक है।

तीन नए टाइगर रिजर्व

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मध्य प्रदेश के रातापानी, उड़ीसा के सुनाबेड़ा तथा छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास में टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है।
- उड़ीसा सरकार ने राज्य में बाघों की संख्या लगभग 60 होने का दावा किया है। जबकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या 28 है। अब राज्य में तीन टाइगर रिजर्व हैं - सिमलिपाल, सताकोसिआ तथा सुनाबेड़ा।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु 1 अप्रैल 1973 को "प्रोजेक्ट टाइगर" की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर किसी प्रजाति की संरक्षण के लिए विश्वभर में इस प्रकार का सबसे बड़ा प्रयास है।
- प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है जो टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर स्थापित किया गया।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। इसकी भूमिका एक पर्यवेक्षक/समन्वयक की है तथा यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत कार्य करता है।

विगलन (Abscission)

विगलन या अपच्छेदन किसी भी जीव के विभिन्न भागों के झड़ने की प्रक्रिया है, जैसे कि पेड़ से पत्ते, फल, फूल या बीज का झड़ना आदि। पर्ण विगलन की प्रक्रिया में पादप एक निश्चित समयावधि में अपनी पत्तिया गिरा देते हैं। पर्ण विगलन में अनेक जैव रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते हैं जो कि अधिकांशत: पादप के हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं।

कई प्रकार के पादप विभिन्न प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं।

- समशीतोष्ण वनों में पादप ठण्डे मौसम के आने से पहले अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं।
- कुछ पादप अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम की शुरुआत में ही गिरा देते हैं।
- ऐसे पादप जो वर्ष के किसी भाग के दौरान अपनी सभी पत्तियाँ गिरा देते हैं, पर्णपाती वृक्ष कहलाते हैं।
- पत्तियाँ पौधे के निर्माण व भरण-पोषण के लिए एक बहुमूल्य अंग है। सर्दियों में (शीत वातावरण में) या शुष्क मौसम में (ग्रीष्म वातवरण में) मृदा में जल की उपलब्धता कम होने के कारण पौधों में जल-संतुलन को बनाएं रखना कठिन होता है।
- पादप जिस क्षेत्र में विकसित या बड़े होते हैं, उसी के अनुकूल हो जाते है। ऐसे पादप गर्म या शुष्क मौसम जैसी विषम वातावरणीय परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते हैं बल्कि ये अग्रिम रुप में अपनी पत्तियों को प्रतिकूल वातावरण के प्रारंभ होने से पहले ही गिरा देते हैं।
- पत्तियों को गिराने के कारण जल तथा ऊर्जा के संरक्षण में सहायता मिलती है। विगलन की प्रक्रिया के प्रारंभ में ही पादप पत्तियों से

VISION IAS

सभी आवश्यक पोषण तत्व प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रैट्स का पुन: अवशोषण कर लेते हैं तथा अपनी जड़ों व तनों में भविष्य के उपयोग हेतु संरक्षित कर लेते हैं।

IUCN की लाल सूची (red list) में भारत की स्थिति

- भारत ने 15 और प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में शामिल किया। वर्ष 2014 के अंत तक सूची में भारत की 988 प्रजातियाँ संकटग्रस्त थी, जिनमें अत्यधिक संकटग्रस्त तथा लुप्त प्राय प्रजातियाँ शामिल हैं।

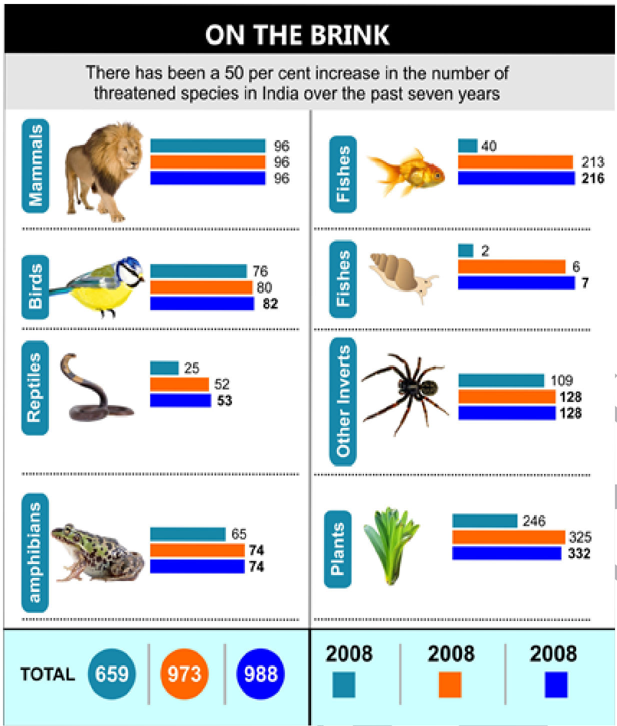

- भारत एक स्थान नीचे गिरकर सांतवे स्थान पर पहुँच गया है।
- पिछले सात वर्षों में 50% की वृद्धि हुई है, वर्ष 2008 में 659 प्रजातियाँ इस सूची मे शामिल थीं।
- **कारण:** वनों की कटाई और संकटग्रसत प्रजातियों की पहचान में बेहतर अनुसंधान।
- भारत में संकटग्रस्त स्तनधारियों की चौथी बड़ी संख्या है, जिनमें से 31 स्थानिक हैं।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

खबर में क्यों: केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राज्य में कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व है।

विशेष:

- यह शिवालिक पर्वत श्रेणी में हैं।
- यह कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है।
- यह उद्यान भारत में हाथियों तथा बाघों के पाए जाने वाले क्षेत्र की पश्चिमोत्तर सीमा पर है तथा इसमें उत्तराखंड में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या है।
- टाइगर रिजर्व बनने से अधिक पर्यटकों के आने व राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ने की उम्मीद है।
- इसका नाम सी. राजागोपालाचारी (राजाजी) के नाम पर रखा गया है।
- कर्नाटक के बाद उत्तराखंड राज्य बाघों की संख्या में दूसरे स्थान पर है।

भारत में ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी

- भारत का ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी में 125वां स्थान है। भूटान तथा श्रीलंका जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश हमसे आगे है।
- वायरलैस या मोबाइल ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी में भारत प्रति 100 निवासियों में 3.2 कनेक्टिविटी के साथ 113वें स्थान पर है।
- कारण: TRAI के अनुसार इसके लिए बहुस्तरीय-संरचना उत्तरदायी है जो इस क्षेत्र के लिए निर्णय लेती है।
- **ट्राई के अनुसार समाधान**
- नियामक ने निर्णय लेने वाले सरकारी निकायों में सुधार की जरुरत का सुझाव दिया है जो ब्रांडबैण्ड के प्रसार पर प्रभाव डालते हैं। इसमें वायरलेस प्लानिंग कमीशन (WPC) भी शामिल है जो दूरसंचार विभाग में स्पेक्ट्रम का संरक्षक है।
- WPC को दूरसंचार विभाग से पृथक करके एक स्वतंत्र निकाय बना देना चाहिए तथा इसे संसद व अन्य मौजूदा सांविधिक निकाय की रिपोर्टिंग हेतु एक सांविधिक निकाय के रुप में स्थापित करने का सुझाव दिया गया हैं।
- नियामक ने कहा कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए निर्णय लेने हेतु बहुस्तरीय-संरचना उपयुक्त नहीं हैं तथा इसमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है।
- सरकार को औद्योगिक पार्कों व सेज (SEZ) की तर्ज पर स्थानीय व विदेशी कंपनियों के डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- फिक्सड लाईन से अर्पित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क में पाँच वर्षों के लिए छूट दी जानी चाहिए।
- नियामक ने सभी निकायों, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ व सरकारी संगठन शामिल हैं, के स्पेक्ट्रम के ऑडिट की मांग की है जिससे इसकी उपयोग कुशलता की जाँच हो सके।
- केबल ऑपरेटरों को सेवा प्रदाता के रुप में कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। श्रेणी-II व श्रेणी-III शहरों में समयबद्ध तरीके से केबल सेवाओं का लाइसेंस व डिजिटलाइजेशन लागू किया जाना चाहिए।

आई.एन.एस. विशाखपत्तनम

आई.एन.एस. विशाखपत्तनम भारतीय नौसेना का प्रथम स्वदेश निर्मित, उन्नत सुविधायुक्त, विध्वसंक जहाज है जो राडार की पकड़ में नहीं आता। यह समुद्री बल की मारक क्षमता को बढ़ाएगा।

विशेषताऐं:-

- स्वदेश निर्मित इस विध्वंसक में, नवीनतम तकनीक वाले हथियार, सेंसर्स, उन्नत एक्शन सूचना तंत्र, एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन तंत्र,

VISION IAS

परिष्कृत ऊर्जा वितरण तंत्र तथा अन्य उन्नत सुविधायें मौजूद हैं।

- सुपरसोनिक सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल तंत्र:- यह तंत्र जहाज को लम्बी दूरी पर अवस्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाता हैं। इसे दुश्मन लक्ष्य को नष्ट करने हेतु घातक प्लेटफार्म के रुप में तैयार करता है।
- वायु रक्षा क्षमता - यह दुश्मन के विमानों व एंटी-शिप-क्रूज मिसाइलों से रक्षा करेगा।
- 30mm की चार रैपिड फायर बंदूकें, जहाज को क्लोज-इन-डिफेंस क्षमता प्रदान करेगी, जबकि MR बंदूक उसे प्रभावी नौसैनिक गोलाबारी की क्षमता प्रदान करेगी।
- पनडुब्बी रोधी क्षमता -स्वदेश निर्मित ट्विन ट्यूब टारपीडो लांचर तथा राकेट लांचर जहाज को पनडुब्बी रोधी बनाएगा।
- पोत में 70% से अधिक स्वदेशी घटक है।
- पोत के वर्ष 2018 में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है।
- यह प्रोजेक्ट सरकार की मेक-इन-इंडिया परियोजना का एक भाग है।
- यह पोत उन्नत विशेषताओं के साथ P15A कोलकाता श्रेणी के विध्वंसकों का अनुसरण करता है।

ई-समीक्षा

यह क्या है?: क्षेत्रीय समय ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है, जो रेल बजट प्रस्तावों सहित विभिन्न चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

विशेषताएं:

- वर्तमान में इस साफ्टवेयर का प्रयोग केबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय व अन्य मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा बैठकों की अनुवर्ती कार्यवाही की निगरानी के लिए किया जा रहा है।
- इस पोर्टल के माध्यम से मुख्य रुप से बजट की समीक्षा, बोर्ड की बैठकों, क्षेत्रीय रेलवे की समीक्षा, आधारभूत लक्ष्य और कार्यान्वयन की समीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।
- इसका उपयोग भारतीय रेलवे के निदेशक, जोनल व संभागीय स्तर के कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह साफ्टवेयर उच्च इन्टरऐक्टिव वेब आधारित, प्रयोक्ता फ्रेन्डली व अनुकूल प्रणाली पर बना हुआ है।

मैग्लेव प्रौद्योगिकी

- मैग्लेव (चुम्बकीय उत्तोलन से व्युत्पन्न) एक परिवहन विधि है, जिसमें जमीन को छुये बिना (जमीन के ऊपर 10 सेमी.) वाहन चलाने के लिए चुम्बकीय उत्तोलन का प्रयोग किया जाता है।
- मैग्लेव में वाहन को ऊपर उठाने व आगे बढ़ाने हेतु चुंबक का प्रयोग होता है जिससे यात्रा के दौरान घर्षण में कमी होती है तथा उच्च गति प्राप्त होती है।
- विश्व में मात्र दो वाणिज्यिक मैग्लेव परिवहन व्यवस्थाएँ चल रही है। 1. शंघाई की ट्रांसरैपिड प्रणाली 2. जापान की अपेक्षाकृत निम्न गति वाली HSST "लिनिमो" लाइन।

खबर में क्यों:– जापान की मैग्लेव ट्रेन ने 600 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर नया रिकार्ड बनाया है।

प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक, 2015

सरकार ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) विधेयक को मंजूरी दे दी है।

'गैर-वन-उद्देश्यों" जैसे उद्योगों तथा अवसंरचना प्रोजेक्टों के लिए वनभूमि से वनों के काटने के मुआवजे के रुप में कई वर्षों से एकत्रित हुई हजारों करोड़ रुपये की राशि के प्रबंधन व उपयोग हेतु इसे स्थापित किया जायेगा।

प्रावधान:

- यह केन्द्र व राज्यों में इस राशि के उपयोग के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र निर्मित करेगा। यह राशि वनीकरण तथा अन्य उन उद्देश्यों में उपयोग में लायी जाएगी जिससे वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव कम होंगे।
- यह संस्थागत तंत्र वर्तमान में मात्र 'तदर्थ' तरीके से चल रहे प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) को प्रतिस्थापित करेगा।
- राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष तथा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की गयी है। एकत्रित राशि को जमा करने तथा गैर वन उद्देश्य के लिए वनभूमि को हटाने से होने वाली क्षति की भरपाई करने हेतु इन्हें बनाया गया है।
- इस प्रस्तावित कानून के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर के प्राधिकरणों द्वारा 38,000 करोड़ का उपयोग किया जाएगा, जो कि कई वर्षो से प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया गया है।
- राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष तथा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के द्वारा जारी राशि के अन्तर्गत होने वाली क्रियाविधियों के मूल्यांकन व निगरानी हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए, एक निगरानी समूह की स्थापना की जायेगी/या की गयी है।
- प्रस्तावित कानून इस राशि के उपयोग में सुरक्षा, सलामती तथा पारदर्शिता भी प्रदान करता है।
- इन राशियों पर संसद व राज्य विधानसभाओं में अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा तथा इन्हें नान-लेप्सेबल ब्याज वाली निधियों में बदलकर आधिकाधिक जनता हेतु प्रयोग मे लाया जाएगा। यह केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक-लेखा के अन्तर्गत बनाया जाएगा।

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी

खबर में क्यों: पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण हेतु पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने का दावा किया है। अत: यह परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सूक्ष्म परीक्षण के अन्तर्गत आती है।

©Vision IAS

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी - विशेषताएँ:

- वल्लभभाई पटेल का स्मारक
- स्थान: बड़ोदरा के निकट नर्मदा के साधु जेट द्वीप पर
- ऊँचाई: 182 मी.
- लगभग 12 किमी. के क्षेत्र तक फैली हुई मानव निर्मित झील से घिरी हुई।
- विश्व की सबसे लम्बी प्रतिमा होगी।

चिंताएँ/आशंकाएँ:

- मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी लिये बिना परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया।
- यह साइट फाल्ट क्षेत्र में एक सक्रिय विवर्तनिक पट्टी पर अवस्थित है।
- यह प्रतिमा एक वृहद पर्यटन परियोजना का एक हिस्सा मात्र है, जिसके लिए पर्यावरणीय तथा वेटलैण्ड कानूनों सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिये।
- परियोजना से होने वाले प्रभावों तथा प्रवासी मजदूरों व पर्यटकों के आने से वहां रहने वाले लोगों की आजीविका किस प्रकार प्रभावित होगी, इसके लिए कोई सामाजिक तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया।
- वर्ष 2014-15 के केन्द्रीय बजट में प्रतिमा के लिए 2 अरब डॉलर की राशि आवंटित की गई। कई लोगों तथा राजनीतिक दलों ने अन्य प्राथमिकताओं जैसे महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा कृषि योजनाओं के स्थान पर प्रतिमा पर किये जाने वाले व्यय की आलोचना की।

ई-वेस्ट पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट (ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2014)

- अमेरिका, चीन, जापान तथा जर्मनी के बाद भारत पाँचवा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक देश है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले तीन वर्षों में वैश्विक ई-कचरे का उत्पादन लगभग 21 प्रतिशत तक बढ़ जायेगा।
- ई-कचरे की उत्पादित प्रति व्यक्ति निम्नतम मात्रा अफ्रीका (1.7 किग्रा/व्यक्ति) में है। अफ्रीका महाद्वीप कुल 1.9 मीट्रिक टन ई-कचरे का उत्पादन करता है।
- ई-कचरा: गत वर्ष मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर तथा सूचना तकनीकी के छोटे उपकरणों से मात्र 7 प्रतिशत ई-वेस्ट का निर्माण हुआ।
- लगभग 60 प्रतिशत ई-कचरे में बड़े व छोटे उपकरण जैसे वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर, विद्युत शेवर, वीडियो कैमरा, वाशिंग मशीन, विद्युत चूल्हा, मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर, पर्सनल कम्प्यूटर तथा लैम्प आदि उपकरण जो घरों व व्यवसायों में काम आते हैं, का मिश्रण होता है।

कचरे से ईंधन उत्पादन की भस्मीकरण तकनीक (RDF from Incinerator Technology)

खबर में क्यों: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्यों को कचरे से ईंधन उत्पादन (RDF) हेतु भस्मीकरण तकनीक के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। इसे सामान्यत: 'वेस्ट-टू-एनर्जी' कहा जाता है।

भस्मीकरण (Incineration)

- यह एक अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का दहन शामिल है।
- अपशिष्ट पदार्थो के भस्मीकरण (incineration) से अपशिष्ट राख, फ्लू गैस तथा ऊष्मा में बदल जाता है।
- भस्मीकरण से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जा सकता है।
- फ्लू गैसों को वायुमंडल में छोड़ने से पहले प्रदूषकों से रहित करने हेतु, उपचारित किया जाता है।
- भस्मीकरण से वास्तविक अपशिष्ट का ठोस द्रव्य 95-96% कम हो जाता है।

भस्मीकरण के विरूद्ध आशंकाएँ व तर्क:-

- अत्यधिक विषाक्त फ्लाई ऐश, डॉई ऑक्सिन तथा फ्यूरेन उत्सर्जन स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- इन्सिनिरेटर विभिन्न भारी धातुओं जैसे एस्वेनेडियम, मैगनीज, क्रोमियम, निकल, आर्सेनिक, लैड तथा कैडमियम का उत्सर्जन करता है, जो कि कम मात्रा में होने पर भी हानिकारक होते हैं।
- इस प्रक्रिया में पुन: उपयोगी तथा पुन: चक्रण योग्य अपशिष्ट भी नष्ट हो जाता है जिससे पुन: चक्रण उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

VISION IAS

आशंकाओं को कम करने हेतु NGT का आदेश

- विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी तरह के अपशिष्ट को ऊर्जा उत्पादन हेतु सीधे इन्सिनिरेटरों में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता।
- केवल ऐसे अपशिष्ट जो पृथक्करण के बाद पुन: चक्रिय नहीं किये जा सकते हैं, उन्ही को इन्सिनिरेटरों में डाला जाना चाहिये।
- ट्रिब्यूनल ने RDF के ऊर्जा उत्पादन ईंधन के रुप में उपयोग किये जाने पर किसी भी प्रकार के पूर्ण प्रतिबंध न लगाने पर जोर दिया लेकिन साथ ही कहा कि प्रथम प्रयास गीले कचरे की कम्पोस्टिंग हेतु किया जाना चाहिये।
- राज्य आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ सावधानी व सुरक्षा को ध्यान में रखकर ईंधन उत्पादन में RDF के उपयोग हेतु स्वतंत्र हैं।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियामक मण्डल एवं पर्यावरण व वन मंत्रालय, इन्सिनिरेटरों द्वारा होने वाले उत्सर्जनों के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करने हेतु निर्देशित हैं।

अपशिष्ट से व्युत्पन्न ईंधन (Refuse Derived Fuel):

- अपशिष्ट से व्युत्पन्न ईंधन या ठोस रिकवर्ड ईंधन/विशिष्ट रिकवर्ड ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो कचरा परिवर्तक तकनीक के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़े करके तथा निर्जलीकरण की क्रिया से उत्पन्न किया जाता है।
- RDF में प्लास्टिक व जैव अपघटनीय अपशिष्ट जैसे बड़ी मात्रा में दहन योग्य घटक होते है।
- RDF नगरीय ठोस अपशिष्ट से मशीनी और जैविक उपचार विधि दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- RDF के निर्माण में निम्न चरण शामिल हैं।
- बैग स्पलीटिंग/ छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना
- आकार की जाँच (स्क्रीनिंग)
- चुम्बकीय पृथक्करण
- लघु टुकड़ों में बाँटना (coarse shredding)
- शोधन (refining) पृथक्करण

RDF के अनुप्रयोग:-

- विद्युत उत्पादन
- कोयले के ऊर्जा संयत्रों में ईंधन के पारंपरिक स्रोतों के साथ उपयोगी
- सीमेन्ट उद्योग में
- इसे प्लाज्मा आर्क गैसीफिलेशन माड्यूल और पाइरोलॉइसिस संयत्रों में उपयोग किया जा सकता है जहाँ RDF क्योटो प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ स्वच्छ रुप से दहनीय होने की क्षमता रखता है।

आलडेन्लेण्डिआ दिनेशी

- केरल के चार शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के पलक्कड घाटी क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के पादप की खोज की है।
- यह आलडेन्लेण्डिआ दिनेशी नाम की एक नयी प्रजाति है। यह एक प्रकार का छोटा पेड़ है जिस पर लंबी व पतली पत्तियां और गहरे नीले रंग के फूल होते हैं। इसका पुष्पन काल जुलाई से सितंबर तथा फलन काल सितंबर से अक्टूबर तक होता है।
- आलडेन्लेण्डिआ के वंश में लगभग 248 प्रजातियाँ है, जिसमें से 27 भारत में पायी गई हैं। ये मुख्यत: पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों तथा उत्तर व उत्तर-पूर्व भारत में वितरित हैं।
- आलडेन्लेण्डिआ वंश की अधिकांश प्रजातियों का उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, जैसे "च्यवनप्राशम" बनाने में।
- IUCN के मानदंडों के आधार पर आलडेन्लेण्डिआ दिनेशी को एक संकटग्रस्त प्रजाति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

जैव-बाड़

असम में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए विद्युत बाड़बंदी के स्थान पर जैव-बाड़ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे भटके हुए हाथियों को बचाया जा सकेगा व उनकी चौकसी की जा सकेगी।

तेलंगाना केकड़ा-मकड़ी (थोमिसस तेलंगानेन्सिस)

- तेलंगाना के नाम के आधार पर तेलंगाना-केकड़ा-मकड़ी (थोमिसस तेलंगानेन्सिस) का नाम रखा गया है। ये मकड़ियाँ केकड़ों से समानता रखने के कारण "केकड़ा मकड़ी" कहलाती हैं।
- केकड़ों के समान ही इनकी प्रवृत्ति भी किनारों पर चलने की है। ये "पुष्प मकड़ियाँ" भी कहलाती हैं क्योंकि ये शिकार के इंतजार में पुष्पीय पादपों पर रहती हैं।
- पारंपरिक मकड़ियों के समान तेलंगाना मकड़ियाँ जाले नहीं बुनती हैं। ये शिकार पर अचानक हमला करके अपने विष से उन्हें स्थिर कर देती हैं।
- ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित करके, जैव-नियामक ऐजेंट की तरह कार्य करती हैं। यह सामान्यत: पौधों, झाड़ियों, घासों, पुष्पीय पादपों, पत्तियों के कचरों तथा कभी-कभी पत्थरों के नीचे पायी जाती हैं।

साइलेंट वैली

- शेर जैसी पूँछ वाले बन्दर (Lion-tailed macaque) केवल साइलेंट वैली क्षेत्र में ही पाये जाते हैं। किन्तु वन अधिकारियों के पास कोलम में शेंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य में इनकी उपस्थिति दर्ज है।
- साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, दक्षिण भारत में केरल के पलक्कड जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में इस क्षेत्र का पता सन् 1847 में वनस्पति विज्ञानी राबर्ट व्हाइट ने ऐतिहासिक रुप में लगाया है जो हिंदु किवंदती से संबंद्ध है। साइलेंट वैली केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

लाल चंदन

- लाल चंदन दक्षिण भारत के दक्षिण-पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में पायी जाने वाले चंदन के वृक्ष पेड़ की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस्सेन्टेलिनस है।
- लाल चंदन सिर्फ भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में

ही मिलता है। आंध्र प्रदेश राज्य के कड़प्पा-चित्तूर जिले के पालकोण्डा व सेशाचलम् पर्वत श्रेणियाँ इसके मूल भौगोलिक स्थान हैं।

- लाल चंदन को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजाति के रुप में वर्गीकृत किया गया है। इसे CITES के परिशिष्ट-II में भी शामिल किया गया है।
- लाल चंदन लकड़ी का उपयोग मुख्य रुप से कामोद्दीपक दवाएँ, संगीत वाद्य यंत्र और फर्नीचर बनाने में किया जाता है।
- लाल चंदन की लकड़ी का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार जिसमें चीन, जापान व खाड़ी देश शामिल है, में अत्यधिक मांग है तथा इस मूल्यवान लकड़ी की आंध्र-प्रदेश से वृहद पैमाने पर तस्करी की जाती है।

भारत का अर्थ-ऑवर कैपिटल (Earth-hour-capital)

- 11 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने इस वर्ष अर्थ ऑवर सिटी चैलेंज में ठाणे शहर को भारत की राष्ट्रीय अर्थ ऑवर कैपिटल घोषित किया है। सिमोल को ग्लोबल अर्थ ऑवर कैपिटल 2015 घोषित किया गया।
- गत वर्ष कोयबंटूर को राष्ट्रीय अर्थ ऑवर कैपिटल माना गया था।
- यह शहरों के मध्य वर्षभर चलने वाली प्रतिस्पर्धा है जिसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना व जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करना है।

ठाणे शहर के प्रशासन द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य:

- नगर निगम के भवनों हेतु सौर जल तापन प्रणाली का इस्तेमाल।
- प्रकाश व वातानुकूलित यंत्रो के लिए पवन-सौर मिश्र प्रणालियों तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करना।
- शहर द्वारा सोलर रूफ टॉप नेट मीटरिंग आधारित ऊर्जा उत्पादन तथा नियमित ऊर्जा ऑडिट की व्यवस्था है।
- ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइटिंग हेतु एनर्जी सर्विस कंपनी योजना
- निगम के ठोस कचरे के प्रबंधन व इससे ऊर्जा उत्पादन हेतु एक बॉयोमीथेन संयंत्र का निर्माण।
- स्ट्रीट लाईट के उचित उपयोग हेतु चक्रीय स्विचिंग यूनिट।

नदियों को जोड़ना

- जल संसाधन, नदी विकास व गंगा कायाकल्प मंत्रालय ने देश में नदियों को जोड़ने (ILR) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष बी.एम. नवलावाला होंगे।
- बी.एन. नवलावाला पैनल ने कहा है कि पैनल द्वारा एक 'तंत्र' विकसित किया जाएगा जो जल आधिक्य वाले राज्यों द्वारा, कमी वाले राज्यों को जल स्थानांतरित करने पर लाभ प्रदान करेगा।

अंतरा बेसिन स्थानांतरण

- पानी का अंतरा-बेसिन स्थानांतरण भी महत्वपूर्ण है। देशभर में वर्षा का वितरण असमान है, यहाँ तक कि राज्यों के अन्दर भी वर्षा का वितरण असमान है।
- इसलिए नदियों को जोड़ने पर, कार्यदल को अन्तरा-बेसिन स्थानांतरण पर भी ध्यान देना होगा।
- इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच केन-बेतवा लिंक के साथ की जा सकती है। इसका अनुसरण गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य दमन गंगा-पिंजर-तापी-नर्मदा लिंक द्वारा किया जाएगा।
- हाल ही में नदियों को जोड़ने पर गठित किया गया केन्द्रीय कार्यबल नदियों को जोड़ने से पहले राहत व पुनर्वास पर ध्यान देगा।
- शेष लिंक के लिए प्रयास तब किया जाएगा जब विरोधी राज्यों को मना लिया जायेगा। केरल, ओडिशा व कर्नाटक इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं।

नदी जोड़ो परियोजना, जिसे राष्ट्रीय जल विकास ऐजेंसी (NWDA) द्वारा जल का अन्तरा-बेसिन स्थानांतरण कहा गया है, को पश्चिमी व दक्षिणी भारत में पानी की कमी की समस्या को कम करने तथा गंगा बेसिन के पूर्वी भागों में बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए तैयार किया गया है।

योजना:

- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) ने हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत 14 लिंक व प्रायद्वीपीय नदियों के 16 लिंकों की पहचान की है।
- NPP के अनुसार, हिमालय नदी विकास परियोजना में गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा भारत व नेपाल में इनकी मुख्य सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण किया जाएगा तथा साथ में गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अतिरिक्त प्रवाह को पश्चिम में स्थानांतरित करने के लिए एक नहर प्रणाली का विकास किया जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र को भी गंगा के साथ जोड़ेगा।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास को चार मुख्य भागों में बांटा गया है –
- महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को जोड़ना तथा इनके बेसिनों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण करना।
- मुबई के उत्तर में और तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ना।
- केन-चंबल को जोड़ना।
- अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को मोड़ना।

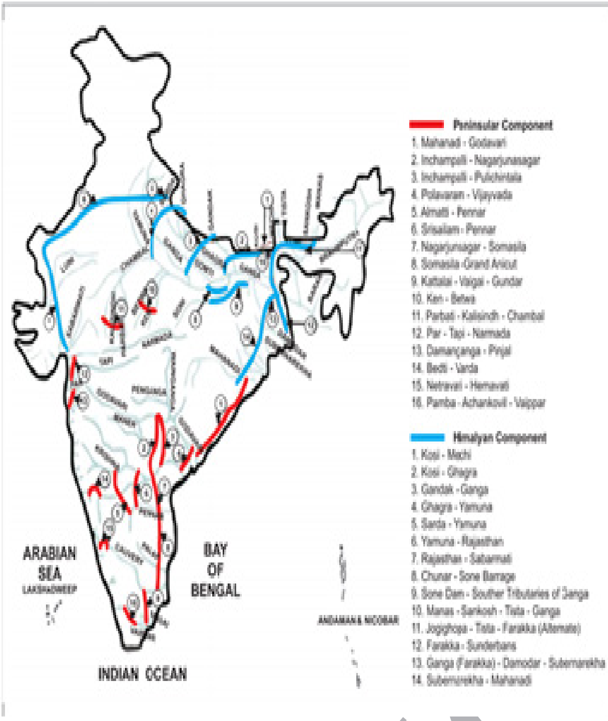

ILR के साथ मुद्दे:-

- दुनिया भर के पर्यावरणविदों, जल-वैज्ञानिकों तथा अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार इससे देश के पर्यावरण व जल संसाधनों पर की अपूरणीय क्षति होगी।
- लाखों की संख्या में लोगों को हटाया जाएगा तथा बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी।
- अन्तर-बेसिन स्थानांतरण का विचार इस अनुमान पर आधारित है कि कुछ निश्चित आधिक्य (बाढ़ की आशंका वाले) तथा कमी (सूखा की आशंका) वाले क्षेत्र उपस्थित है, अत: जल को आसानी से और बिना किसी आपत्ति के आधिक्य वाले स्थान से कमी वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- आधिक्य और कमी वाले क्षेत्रों के बीच स्पष्ट विभाजन जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एक समस्या बन गयी है। इसलिए आसानी से पानी का वितरण हो ही नहीं सकेगा। समस्या और अधिक हो जाएगी जब अंतर- बेसिन स्थानान्तरण में पड़ोसी देशों को भी शामिल करना पड़ेगा।
- एक नदी में होनी वाली जैव-विविधता पर भी असर पड़ेगा जब उसे दूसरी नदी से जोड़ा जायेगा।

भारत की महत्वाकांक्षी परियोजनायें हमेशा से दो तरह के लोगों के बीच विभाजित रहती हैं। एक वो जो ये मानते हैं कि इन परियोजनाओं से बिजली पैदा होगी और ये सिंचाई उपलब्ध कराएंगी; दूसरे वो जो इन परियोजनाओं से होने वाले पारिस्थितिकी दुष्परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं।

हिमालय के पार बायोमास (जैवभार) को जलाने से होने वाले उत्सर्जन:

आम धारणा है कि हिमालय का दक्षिणी ढलान, भारत तथा दक्षिणी एशिया के प्रदूषकों के आगमन के लिए प्रभावी बाधा उत्पन्न करता है। परंतु हाल ही के एक अध्ययन ने इसे गलत साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रस्तुत किये हैं।

- संपूर्ण हिमालय श्रृंखला व उसके पार ऐरोसोल पाए गए हैं।
- प्रदूषकों को हिमालय पार पहुचाने के दो मुख्य कारक - स्थानीय मौसम की स्थिति तथा क्षेत्रीय वायुमंडलीय प्रभाव हैं।

उत्तरदायी कारक:

- ऐरोसॉल में उपस्थित कार्बनिक अम्ल, प्रदूषण के स्रोत की पहचान करने में महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट के रुप में कार्य करते हैं। ऐसे मामलों में डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं।
- डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल जैविक पदार्थ को जलाने (बॉयोमास बर्निंग), वाहनों से निकलने वाली गैस से, भोजन पकाने (प्राथमिक स्रोत) के साथ ही साथ वायुमंडलीय प्रकाशीय ऑक्सीकरण (द्वितीयक स्रोत) के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अत: शोधकर्ता बॉयोमास बर्निंग के रुप में स्रोत को पहचानने में सक्षम थे।
- लीवोग्लेकोजन बॉयोमास बर्निंग का एक विशिष्ट संकेतक है। यह दहन प्रक्रिया के दौरान सेल्यूलोस के पॉयरोलायसिस द्वारा उत्पादित होता है। बॉयोमास बर्निंग का दूसरा संकेतक जल में घुलनशील पोटेशियम है। दोनों ही संकेतक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मजबूत सकारात्मक सहसंबंध दर्शाते हैं, इसलिए इनके द्वारा प्रदूषण के स्रोत के रुप में बॉयोमास बर्निंग को सुनिश्चित किया जाता है।
- ऐसा पाया गया है कि प्रदूषक प्रत्येक मौसम में हिमालय की उत्तरी ढलानों पर पहुँचते रहते हैं। मानसून पूर्व काल में ऐरोसॉल शीर्ष पर मिलते है। अत: यह स्रोत के रुप में बॉयोमास बर्निंग का एक और संकेत है।
- मानसून पूर्व काल में दक्षिणी हिमालयी तलहटी तथा भारत गंगा मैदान में कृषि अपशिष्ट को जलाने की क्रिया उच्च स्तर पर पहुँच जाती है तथा वनों में आग लगने की घटनाएँ भी बहुत होती हैं। शायद इसी कारण मानसून पूर्व काल में बॉयोमास बर्निंग के संकेतकों की मात्रा शीर्ष स्तर पर पायी जाती है।

भले ही ये प्रदूषक कहीं से भी आते हों किन्तु अध्ययन इनके बॉयोमास बर्निंग के कारण आने के उचित साक्ष्य प्रदान करते हैं। हमें जल्द से जल्द बॉयोमास बर्निंग में कटौती करने हेतु वैश्विक स्तर पर कदम उठाने चाहिये।

रोसेट्टा मिशन (Rosetta Mission): धूमकेतु 67P मेग्नेटाइज्ड़ नहीं है

- रोसेट्टा मिशन के शोधकर्ताओं ने एक सनसनीखेज खोज की है - धूमकेतु 67P/Churyumov–Gerasimenko में चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है।
- यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुछ संरचनाओं के निर्माण के सिद्धांतों पर प्रश्न उठाएगी। जैसे कि हमारा सौर तंत्र, जिसमें पदार्थ के झुण्डों के निर्माण हेतु चुम्बकीय क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा जिससे बाद में वृद्धि होने पर खगोलीय पिण्ड बनते है।
- जब रोसेट्टा मिशन धूमकेतु 67P पर पंहुचा तब इसने वहां PHILAE नामक लेण्डर उतारा। PHILAE कुछ हार्पूनो के माध्यम से धूमकेतू की सतह पर उतरने का एक साधन था तथापि यह तंत्र विफल रहा और यह एक जटिल मार्ग पर चलते हुए कुछ दूरी पर जाकर सतह पर कई बार उछला।
- यह उन वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान के दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित हुआ जो PHILAE और रोसेट्टा अन्तरिक्ष यान से मैग्नोमीटर माप को खोज रहे थे। वे PHILAE के अत्यधिक ऊँचाई पर जाकर संपर्क करने पर चार बिंदुओं पर सटीक चुम्बकीय क्षेत्र का मापन करने में सफल रहे।
- मापे गये चुम्बकीय क्षेत्रों की शक्ति धूमकेतु के नाभिक के समीप जाने पर भी व्यवस्थित रुप से नहीं बढ़ी। इसने इस सम्भावना को नकार दिया कि धूमकेतु के नाभिक में चुम्बकत्व की कोई शक्ति है।

धनुष मिसाइल:

- धनुष मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई है। यह पृथ्वी-III मिसाइल का एक संस्करण है।
- धनुष मिसाइल पारपंरिक हथियारों के साथ ही 500 से 1000 किलो तक के परमाणु भार को ले जाने में सक्षम है तथा भूमि व समुद्र आधारित लक्ष्यों को 350 किमी. तक की सीमा तक मारने में सक्षम है।
- एकल चरण व 350 किमी. तक सीमा वाला तरल स्वचालित धनुष पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल की जा चुकी है तथा यह डी.आर.डी.ओ द्वारा इन्टीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलेपमेंट प्रोग्राम (IGNDP) के अन्तर्गत विकसित की गई पाँच मिसाइलों में से एक है।

गट बैक्टीरिया द्वारा की-ग्रेन केमिकल की उत्पत्ति

- विभिन्न विकारों जैसे अवसाद व तनाव को उत्पन्न करने वाले मुख्य रसायन का उत्पादन मुख्यत: आँत में पाये जाने वाले 20 जीवाणुओं के समूह पर निर्भर करता हैं।
- आँत में पाये जाने वाले निश्चित बैक्टीरिया सिराटेनिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं जिसे ब्रेन न्यूरों ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है।
- सिराटोनिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रान्समीटर व हार्मोन है जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में जुड़ा रहता है।
- यह खोज है कि आंत में पाये जाने वाले जीवाणुओं का समूह इसके स्तर को बढ़ाता है, जीव विज्ञान में परिवर्तन लाने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

गुजरात आतंक विरोधी विधेयक

गुजरात विधानसभा ने ऐतिहासिक गुजरात संगठित अपराध एवं आतंक-वाद नियंत्रण विधेयक 2015 को पारित कर दिया।

नया विधेयक गुजरात संगठित अपराध कानून 2003 का नया संस्करण है। पिछले संस्करण को राष्ट्रपति ने कुछ विवादास्पद प्रावधानों के कारण दो बार स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार कर दिया था।

ऐसा प्रतीत होता है, कि विधेयक के प्रावधानों को महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) के अनुरुप विकसित किया गया है।

सुरक्षा

गुजरात आतंक विरोधी विधेयक

गुजरात विधानसभा ने ऐतिहासिक गुजरात संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण विधेयक 2015 को पारित कर दिया।

नया विधेयक गुजरात संगठित अपराध कानून 2003 का नया संस्करण है। पिछले संस्करण को राष्ट्रपति ने कुछ विवादास्पद प्रावधानों के कारण दो बार स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार कर दिया था।

CONTENTIOUS CLAUSES

Police can intercept phone calls, wires; such **intercepts admissible as evidence** in court	With DGP's prior approval, police can **seize property of accused.** Property will be presumed to have been acquired through money generated from organized crime if accused fails to justify source of income
Confession made by accused before an **officer of SP rank or above** admissible in court as evidence	
Investigators get extended deadline of **180 days, against current 90 days, to file chargesheet** after arrest	To protect identity, in-camera trials allowed; **prevents mention of names and addresses of witnesses**

ऐसा प्रतीत होता है, कि विधेयक के प्रावधानों को महाराष्ट्र संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) के अनुरुप विकसित किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- विवादास्पद बिंदुओं में धारा 16 शामिल है।
- धारा के अनुसार - किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की स्वीकृति को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मान्य किया जाएगा। इसमें पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए।
- विधेयक में जाँच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गयी है।
- यह गुजरात संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण विधेयक 2015 के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को गैर जमानती बनाता है।
- विधेयक की धारा 20(4) के अनुसार "अपराध प्रक्रिया संहिता में निहित होने के बावजूद भी उस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी आरोपी व्यक्ति को जमानत या निजी बाण्ड पर रिहा नहीं किया जाएगा"।
- विधेयक के अनुसार तार, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक संप्रेक्षण को गुप्त रुप से पकड़ कर साक्ष्य के रुप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यह राज्य को "सद्भावपूर्ण कार्यवाही" जैसे अस्पष्ट प्रावधान के माध्यम से कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता।
- विधेयक की धारा 25 के अनुसार - "किसी राज्य सरकार अथवा कोई अन्य अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार से संबंधित हो, के द्वारा की गई सद्भावपूर्ण कार्यवाही के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कानूनी प्रक्रिया उसके विरूद्ध नहीं चलाई जाएगी।"

संरक्षण

- किसी मामले को इस कानून के तहत दर्ज करने से पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी)/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति लेनी होगी।
- जाँच अधिकारी पुलिस उप-अधीक्षक के नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए।
- कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

विधेयक की आलोचना

प्रावधान	समर्थन	विरोध
टेलीफोनिक संवादों को गुप्त रुप से पकड़ कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर साक्ष्य के रुप में मान्यता देना।	चूंकि अपराधी और संगठित गिरोह बड़े पैमाने पर दूर संचार साधनों का प्रयोग करते हैं। अत: यह प्रावधान समय की मांग है।	यह निजता के उल्लंघन और लोगों के जीवन में हस्तक्षेप की ओर ले जाएगा।
पुलिस अधीक्षक अथवा इसके ऊपर के स्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई अपराध की स्वीकृति साक्ष्य के रुप में मान्य होगी।	वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उत्तरदायी होंगें। अत: दबाव में स्वीकारोक्ति की कोई संभावना नहीं होगी।	सामाजिक कार्य-कर्ताओं का मानना है कि अपराध स्वीकारोक्ति को नई छूट देना इसके दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। पुलिस के द्वारा उत्पीड़न और बल प्रयोग के द्वारा अपराध स्वीका-रोक्ति कराए जाने की संभावना बढ़ जाएगी।

इस अधिनियम के अनुपालन में सरकार द्वारा सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई को कानूनी कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करना	जाँच ऐजेंसियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह प्रावधान किया गया है।	यह चिंता व्यक्त की गई है कि इस प्रावधान का कार्यपालिका दुरुपयोग करेगी और कानून के प्रति अपने कार्यों और चूकों के संबंध में कम उत्तरदायी बनेगी।
यह आरोपी की हिरासत की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करता है।	यह अभियोजक/ जाँचकर्ता एजेंसी को साक्ष्य संग्रहित करने में सहायता करेगा।	निर्दोष और मासूम लोगों को जेल में बंद रखने का अधिकार देगा। बल प्रयोग एवं उत्पीड़न के द्वारा उनसे अपराध स्वीकार कराने के मामले में वृद्धि होगी। यह केवल फोन रिकार्ड के आधार पर किसी व्यक्ति की 180 दिनों तक बंद रखने का अधिकार प्रदान करेगा।

विश्लेषण:-

- भारत में आतंकवाद विरोधी और संगठित अपराध विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का लंबा इतिहास रहा है।
- टाडा को पंजाब में आतंकवाद के दौरान, पोटा को 2001 के संसद हमले के उपरांत, तथा मकोका को मुम्बई सीरियल ब्लास्ट 1993 के बाद सृजित किया गया। इस प्रकार आतंकवादी घटनाओं और हिंसात्मक परिवेश में प्रतिक्रिया स्वरुप कठोर कानूनों का निर्माण हुआ।
- सरकार का ध्यान कठोर कानूनों के निर्माण की बजाय, संसाधनों को उपलब्ध कराने तथा बेहतर प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए ताकि जाँच अधिकारी वर्तमान अपराध प्रक्रिया कानूनों से संगति बैठाते हुए अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। भारत की अपराध प्रक्रिया संहिता पहले ही व्यापक प्रावधानों को शामिल किए हुए है।

<u>भारत में साइबर आक्रमण</u>

2014 में भारत में साइबर अपराध:

- सोशल मीडिया से संबंधित साइबर क्राइम में भारत दूसरे स्थान पर है।
- रैनसम हमलों के मामले में, भारत की एशिया में तीसरी रैंक है। (रैनसम हमला एक प्रकार का मैलवेयर अर्थात् वाइरस है जो उपयोगकर्ता को उसके सिस्टम का प्रयोग किए जाने से रोक देता है और बदले में फिरौती रकम की मांग करता है, जिसे चुकाने के पश्चात् ही उपयोगकर्ता अपने सिस्टम का दोबारा उपयोग कर पाता है)
- 65 प्रतिशत से अधिक बोट इन्फेक्शन (bot infections) के मामले मेट्रों शहरों में पाए गए हैं।
- 34% सायबर हमलों ने छोटे व्यवसायों को निशाना बनाया।
- भारत वर्ष 2014 में प्रतिघंटा 7 रैनसम हमलों, प्रतिदिन 170 तथा पूरे वर्ष में 60,000 रैनसम आक्रमणों का शिकार हुआ। साइबर अपराधी सोशल मीडिया ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं।
- विश्वभर में 70 प्रतिशत सोशल मीडिया अपराधों में, उपयोगकर्ता को खुद गड़बड़ी करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जाता है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर क्राइम को अंजाम दिए जाने में मामलें में वर्ष 2014 में भारत का स्थान दूसरा है।
- विश्वभर में कुल सोशल मीडिया अपराधों में 6 प्रतिशत भारत में घटित होते हैं।
- विश्वभर में सोशल मीडिया हमलों में, उपयोगकर्ताओं से खुद गड़बड़ी करवाकर मूर्ख बनाया जाता है, जैसे फर्जी ऑफर या छूट टिप्पणी।
- रैनसम हमला एक प्रकार का मैलवेयर अर्थात् वाइरस है जो उपयोगकर्ता को उसके सिस्टम का प्रयोग किए जाने से रोक देता है और बदले में फिरौती रकम की मांग करता है, जिसे चुकाने के पश्चात् ही उपयोगकर्ता अपने सिस्टम का दोबारा उपयोग कर पाता है।
- भारत में अधिकांश मैलवेयर प्रभाव अभी भी 'बोटनेट' प्रकार के है, जिसमें आक्रमणकर्ता उपयोगकर्ता के कंप्यूटर का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर इसका उपयोग दूसरों को फर्जी मेल भेजने या अन्य अनधिकृत कार्यों में करता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS